



बैंकिंग

चिंतन-अनुचिंतन

बैंकिंग पर व्यावसायिक जर्नल





बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन

विषय सूची

संपादक मंडल		1
संपादकीय		2
अनुचिंतन		4
● अमरीकी क्रेडिट रेटिंग में गिरावट - एक विवेचना	निधि चौधरी	6
● ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाएं और पंचायतों की भूमिका	डा.रमाकांत शर्मा	9
● बुनियादी संरचना हेतु बैंकों द्वारा वित्तपोषण	ऋतु शर्मा	15
● आधार- पहचान का नया आधार	उमेश कुमार यादव	21
● आस्बा (ASBA) - कार्यप्रणाली, उपादेयता एवं लाभ	संतोष श्रीवास्तव	26
● इतिहास के पन्नों से	सावित्री सिंह	29
● बैंकों में साइबर सूचना संबंधी खतरे	आनंद कृष्ण	34
● इंटरनेट के परिप्रेक्ष्य में सूचना - सुरक्षा	विनोद चावला	38
● वित्तीय समावेशन : समस्याएं एवं समाधान	संजय कुमार	43
● बैंकिंग सेवाओं के वैकल्पिक डिलिवरी चैनल	अंशुप्रिया अग्रवाल	47
● घूमता आईना	के. सी. मालपानी	53
● पुस्तक समीक्षा	सुशील कृष्ण गोरे	57
● लेखकों से/पाठकों से		59
● सदस्यता नवीकरण फार्म		60



संपादक-मंडल

सदस्य

डॉ. शरद कुमार

परामर्शदाता, सांख्यिकी और सूचना प्रबंध विभाग
भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई

एम. एल. महाजन

महाप्रबंधक
भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई

एम. वी. अशोकन

उप महाप्रबंधक (राजभाषा)
भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई

सूरज प्रकाश

उप महाप्रबंधक (राजभाषा)
भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई

डॉ. गजेंद्र कुमार

सहायक महाप्रबंधक (राजभाषा)
इलाहाबाद बैंक, कोलकाता

डॉ. हरियश राय

सहायक महाप्रबंधक (राजभाषा)
बैंक ऑफ बड़ौदा, मुंबई

अरुण श्रीवास्तव

सहायक महाप्रबंधक (राजभाषा)
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, मुंबई

प्रबंध संपादक

डॉ. रमाकांत गुप्ता

उप महाप्रबंधक (राजभाषा)
भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई

कार्यकारी संपादक

सावित्री सिंह

सहायक महाप्रबंधक (राजभाषा)
भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई

सदस्य सचिव

के.सी. मालपानी

प्रबंधक (राजभाषा)
भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई

संपादकीय कार्यालय

भारतीय रिज़र्व बैंक

राजभाषा विभाग
केंद्रीय कार्यालय, गारमेट हाउस, वरली,
मुंबई - 400 018

इस पत्रिका में प्रकाशित लेखों में दिये गये विचार संबंधित लेखकों के हैं। यह आवश्यक नहीं है कि भारतीय रिज़र्व बैंक उन विचारों से सहमत हो।
इसमें प्रकाशित सामग्री को उद्धृत करने पर भारतीय रिज़र्व बैंक को कोई आपत्ति नहीं है बशर्ते स्रोत का उल्लेख किया गया हो।

डॉ. रमाकांत गुप्ता द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक, राजभाषा विभाग, गारमेट हाउस, वरली, मुंबई 400 018 के लिए संपादित और प्रकाशित
तथा मौज प्रिंटिंग ब्यूरो, मुंबई - 400 004 में मुद्रित।

इंटरनेट <http://www.rbi.org.in/hindi> पर भी उपलब्ध। E-mail : rajbhashaco@rbi.org.in फोन 2498 2076 फैक्स 2498 2077

मुखपृष्ठ : सुधाकर वरवडेकर

संपादकीय

अत्यऽपूर्वः कोषोऽयं विद्यते तव भारति,
व्ययतो वृद्धिमायाति क्षयमायाति संचयात् ॥

चिन्तन

उक्त श्लोक से स्पष्ट है कि ज्ञान का विचित्र कोष व्यय करने से बढ़ता है तथा संचय करने से नष्ट हो जाता है। बैंकिंग और वित्तीय विषय आम आदमी के जीवन को सीधे प्रभावित करते हैं, उन्हें भाषा-विशेष तक सीमित करने से उनका प्रचार-प्रसार आम जनता के बीच नहीं हो सकेगा और उनका लाभ सभी को नहीं मिल पाएगा या यूँ कहें कि वित्तीय समावेशन एवं समावेशी आर्थिक विकास का लक्ष्य पूरा नहीं हो सकेगा। आज बजट आने पर लोग देशी भाषा के चैनलों पर एकटक होकर बजट भाषण सुनते हैं – अतः इसमें कोई संदेह नहीं कि बैंकिंग और वित्तीय साहित्य का ज्ञान बांटने के लिए हिंदी और भारतीय भाषाओं का कोई विकल्प नहीं है।

आज अर्थ के संग्रह के लिए वित्त जगत ने अनेक नवोन्मेषी उपाय खोज लिए हैं, जमा और निवेश के अनेक साधन उपलब्ध हो गए हैं ताकि निवेशक अपने निवेश के जोखिम को कम और उस पर मिलने वाले प्रतिलाभ को अधिकतम कर सकें। इस अंक में अर्थ संग्रह के नवोन्मेषी उपायों की जानकारी देने के साथ-साथ उनमें मौजूद खतरों के बारे में भी विद्वज्जनों के लेख शामिल किए गए हैं। 'आस्बा – कार्यप्रणाली, उपादेयता एवं लाभ', 'बैंकिंग सेवाओं के वैकल्पिक डिलिवरी चैनल', 'आधार – पहचान का नया आधार', 'बैंकों में साइबर सूचना संबंधी खतरे' और 'इंटरनेट के परिप्रेक्ष्य में सूचना सुरक्षा संबंधी खतरे' ऐसे ही लेख हैं। आशा है, इस पत्रिका के पाठक इन्हें पसंद करेंगे।

वित्त जगत की नवीनतम गतिविधियों की विस्तृत जानकारी न दें, ऐसा कैसे हो सकता है। वित्त जगत की नवीनतम गतिविधियों से परिचय कराने के लिए पिछले अंक से 'घूमता आईना' नामक एक स्तंभ शुरू किया गया था तथा पाठकों ने उसकी सराहना की थी। इसी कड़ी में 'अमरीकी क्रेडिट रेटिंग में गिरावट – एक विवेचना' और 'बुनियादी संरचना हेतु बैंकों द्वारा वित्तपोषण' जैसे लेख शामिल किए गए हैं। भारत आज भी गांवों में बसता है तथा अर्थव्यवस्था की संवृद्धि दर को बनाए रखने के लिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था और उनकी वित्तीय ज़रूरतों की अनदेखी नहीं की जा सकती। 'ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाएं और पंचायतों की भूमिका' नामक विचार-गर्भित लेख इस कमी को पूरा करता है। इतिहास के पन्नों में इस बार आपको देखने को मिलेगा 'बैंक ऑफ इंडिया' के अतीत से वर्तमान तक का सफर।

पुराने जमाने में भी लोग धन कमाते थे, इसमें कोई बुराई भी नहीं है। पर धन का दुरुपयोग बुरी बात है। 'रघुवंश' में महाकवि कालिदास ने शासकों की तारीफ 'त्यागाय संभृतार्थानाम्' कहकर की है। उस समय अर्थ का संभरण मुख्यतः त्याग के लिए किया जाता था क्योंकि इसी में प्रजा की भलाई निहित थी और राजा तो होता ही है प्रजा की भलाई के लिए - 'राजा प्रकृतिरंजनात्'। सिर्फ अर्थ-संचय से कभी मानव जीवन सुखी नहीं हो सकता, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि किसी व्यक्ति को सुमेरु पर्वत

के बराबर सोने का ढेर मिल जाए तो उसका घर भले ही भर जाए, पर उससे मन नहीं भरता - 'तिन्ह सोने के मेरु से ढेर लहे, मनु तौ न भरौ, घरु पै भरिया'। जब तक समाज सुखी नहीं होगा और आपका समाज को सुखी बनाने में कोई अंशदान नहीं होगा, तब तक एक व्यक्ति के रूप में आप भी पूरी तरह से सुखी नहीं हो सकेंगे, भले ही आप सुखी होने का दिखावा कर लें। त्याग जरूरी है - समाज और व्यक्ति दोनों के सुख के लिए। त्याग से ही समाज में शान्ति आएगी, सामाजिक शांति से पारस्परिक कलह समाप्त होगा तथा वैमनस्य की भावना मिटेगी और ऐसा होने पर ही व्यक्तिगत शांति मिलेगी और इसी से मिलेगा 'परमानंद'। इसीलिए महाकवि कालिदास ने राजा को प्रजा के हित-साधन में लगने की नसीहत दे डाली - 'प्रवर्ततां प्रकृतिहिताय पार्थिवः' और शायद यही संदेश आज का समाज भी प्रशासन को दे रहा है और ऐसा कैसे हो सकता है कि प्रशासन समाज के संदेश की अनदेखी करे। वित्तीय समावेशन इसी पुनीत प्रयोजन को लेकर बना है और ऐसा कैसे हो सकता है कि 'बैंकिंग चिंतन अनुचिंतन' नामक वित्तीय साहित्य का ज्ञान बांटने वाली पत्रिका के किसी अंक में इससे संबंधित कोई भी लेख न हो - इसी श्रृंखला में इस अंक में प्रस्तुत है 'वित्तीय समावेशन - समस्याएं और समाधान' नामक लेख। आशा है, पाठक इसे उपयोगी पाएंगे।

अनुचिंतन

ज्ञान हमेशा भाषा के परिधान में छिपा रहता है भाषा का परिधान पलटे बिना हम ज्ञान तक नहीं पहुंच सकते। परिधान अधिक जटिल होने पर उसमें निहित ज्ञान तक पहुंचने में कठिनाई अवश्य आती है, अतः परिधान का सहज होना जरूरी है। भाषा की अमानकता उसे सहज के बजाय जटिल बना देती है और इसमें कोई विवाद नहीं है कि हिंदी और भारतीय भाषाएं वर्तनी और तकनीकी शब्दावली की दृष्टि से अंग्रेजी की तरह मानक रूप धारण नहीं कर सकी हैं तथा इस दिशा में काफी अराजकता है और बहुत अधिक प्रयास किए जाने की जरूरत है। भले ही यह बात हिंदी-प्रेमियों को बुरी लगे, पर सच्चाई यही है, कहा भी गया है - 'हितं मनोहारि च दुर्लभं वचः'।

इस मानकीकरण की दिशा में हमने एक छोटा सा प्रयास किया और मुझे खुशी है कि भारत सरकार ने अंग्रेजी वर्णों की मानक देवनागरी वर्तनी संबंधी हमारे प्रस्ताव को पूरी तरह से अनुमोदित कर दिया है, जिसे इस अंक में स्थान दिया गया है। आशा है कि इस दिशा में लोग श्रद्धा से काम लेंगे और व्यक्ति आदि के नाम हिंदी में लिखते समय अंग्रेजी वर्णों की मानक देवनागरी वर्तनी को पूरी तरह से ध्यान में रखेंगे। हिंदी को सहज, सरल एवं सुंदर बनाने के लिए ऐसे अनेक प्रयासों की जरूरत है।

पिछले अंक के बारे में पाठकों ने खुलकर अपनी राय दी और उससे न सिर्फ हमारा उत्साह बढ़ा, अपितु हमें मार्गदर्शन भी मिला। वर्तमान अंक पत्रिका के पाठकों के सामने प्रस्तुत करते समय पुनः उनसे अनुरोध है कि वे इस अंक के प्रति भी अपनी अनुक्रिया और बहुमूल्य सुझाव ramakantgupta@rbi.org.in अथवा savitrisingh@rbi.org.in नामक ई-मेल पत्तों पर अथवा डाक से अवश्य प्रेषित करें, ताकि हम इस पत्रिका को उनकी जरूरतों के अधिक अनुकूल बना सकें।

सादर,

(डॉ. रमाकांत गुप्ता)

अनुचिंतन



बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन का अप्रैल-जून 2011 अंक मिला, धन्यवाद। यह पत्रिका बैंकिंग और उससे संबंधित विषयों पर हिंदी में मौलिक सामग्री उपलब्ध कराने और शब्दावली विकसित करने के अपने मूल उद्देश्य में सफल रहने के साथ पाठकों को उच्चस्तरीय तथा उपयोगी सामग्री उपलब्ध कराने में अग्रणी रही है। यह अंक भी इसका अपवाद नहीं है और बहुत अच्छा बन पड़ा है। इस हेतु संपादक-मंडल बधाई का पात्र है!

इस अंक का संपादकीय समीचीन और विचारोत्तेजक है। “जब आम जनता प्रशासन की भाषा नहीं समझ पाती तो प्रशासन की अच्छी योजनाओं का फल भी उसे नहीं मिल पाता” काश, यह पंक्ति उन तक सही अर्थों में पहुंचे, जिनके लिए अभीष्ट है।

पत्रिका में शामिल सभी लेख और अन्य सामग्री उपयोगी और पठनीय है। “इतिहास के पन्नों से” स्तंभ में श्रीमती सावित्री सिंह ने एक नए अंदाज में और रोचक ढंग से केनरा बैंक के बारे में जानकारी दी है। ‘घूमता आईना’ स्तंभ में संकलित सामग्री जानकारी बढ़ाने वाली है, संकलनकर्ता श्री के. सी. मालपानी को इस हेतु धन्यवाद। इस अंक में शामिल श्री जे. एस. के. रावत का लेख ‘वित्तीय आयोजना’ विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इसमें उदाहरण सहित दी गई उपयोगी जानकारी का लाभ उठाकर (विशेषकर) अपेक्षाकृत कम आयु वर्ग के स्टाफ सदस्य अपने भावी जीवन को सुरक्षित और सुखमय बना सकते हैं। इस पठनीय और संग्रहणीय अंक के लिए पुनः बधाई!

● डॉ. रमाकांत शर्मा
सेवानिवृत्त महाप्रबंधक
भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई

आपके द्वारा प्रकाशित पत्रिका के अप्रैल-जून 2011 अंक की एक प्रति प्राप्त हुई। समग्र रूप से यह पत्रिका बैंकिंग विषयों पर अत्यंत ही उपयोगी एवं सामयिक महत्व के विषयों को समेटे हुए है। पत्रिका के संपादकीय चिंतन में चाणक्य नीति के श्लोक में वर्णित ‘त्याग’ का विश्लेषण प्रासंगिक है। अनुचिंतन

में एक अच्छे प्रशासन के लिए भाषा के महत्व को संक्षेप में लेकिन बहुत ही सटीक ढंग से व्यक्त किया गया है। केनरा बैंक के इतिहास को बड़े ही रोचक रूप से लिखा गया है। मुझे आशा है भविष्य में भी यह पत्रिका हिन्दी में बैंकिंग विषयक आलेखों को बहुत ही सहज और सरल भाषा में पाठकों के सामने प्रस्तुत करती रहेगी।

● विनोदकुमार चावला
प्राचार्य एवं महाप्रबंधक

इलाहाबाद बैंक स्टाफ कालेज, कोलकाता

बैंकिंग चिंतन अनुचिंतन के “इतिहास के पन्नों से” में केनरा बैंक का सरोकार काफी सराहनीय है, सच कहूं तो वर्ष 2007 से 2009 तक स्वयं केनरा बैंक के प्रधान कार्यालय तथा अंचल कार्यालय, लखनऊ में कार्यरत होने के बावजूद मैं इन तथ्यों से इतना परिचित नहीं था। इस आलेख को पढ़कर ऐसा महसूस हुआ कि किसी पुराने घर में फिर से जाने का मौका मिला, या कहूं तो यह मुझे ठीक उसी प्रकार लगा कि पढ़ी हुई रोचक किताब को पुनः पढ़ना। आपकी इस सुन्दर प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

● अजय कुमार प्रसाद
सहायक प्रबंधक (राजभाषा)
भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई

अप्रैल-जून 2011 अंक मिला, बढ़िया लगा कि पत्रिका प्रगति पर है। सामग्री का चयन, उसका संपादन और प्रस्तुतीकरण सभी अच्छे स्तर पर हैं। बैंकिंग जैसे गंभीर विषय पर सरल भाषा की पत्रिका ने मुझे यह पत्र लिखने के लिए प्रेरित किया। सभी लेख सुंदर एवं सार्थक हैं परन्तु मोबाइल बैंकिंग, अधिकारों का प्रत्यायोजन और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की चुनौतियां नामक लेख बहुत ही उभरकर सामने आते हैं। ज्ञानपरक स्तम्भ घूमता आईना (श्री मालपानी) बढ़िया बन पड़ा है, उम्मीद है यह निरंतर चलता रहेगा ज्ञान-बांटता रहेगा, वस्तुतः ऐसे स्तम्भों की इसमें बहुत ज्यादा जरूरत है। खासकर हिन्दी भाषी क्षेत्र के बैंकों के ज्ञान में बढ़ोतरी करने एवं अवधारणाओं को समझने के लिए। बैंकों का इतिहास भविष्य में एक ऐतिहासिक दस्तावेज के रूप में लोग याद रखेंगे।

संपादकीय पत्रिका के स्तर का है और उसकी सोच एवं सामग्री का प्रतिनिधित्व कर रहा है। मेरी बधाइयां। मुखपृष्ठ तो खैर इसका आकर्षक होता ही है। परन्तु साथ ही सार्थक भी सिद्ध होने लगा है। सभी संबंधित को मेरा अभिनंदन।

● डॉ. पुष्पकुमार शर्मा

सेवानिवृत्त प्रभारी महाप्रबंधक
भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई

बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन वर्ष 23, अंक, अप्रैल-जून 2011 मिला। इस पत्रिका का हर अंक संग्रहणीय है और ज्ञान से लबरेज़। पत्रिका में प्रकाशित गहन लेख विविध मुद्दों पर आधारित एवं रोचक हैं, जो बार-बार पढ़ने पर भी नवीनता का अनुभव कराते हैं।

कोई भी भाषा निरंतर प्रयोग के द्वारा ही जीवंत और प्रखर बनी रहती है। बैंकिंग जैसे सारगर्भित विषय में चिंतन, लेखन देखकर हिंदी की वास्तविक ऊर्जा का परिचय मिलता है। इसके लिए 'संपादकीय' एवं 'धूमता आईना' सोने में सुहागे के समान हैं।

हिंदी भाषा में ऐसी उत्कृष्ट पत्रिका के संपादन हेतु कोटिशः साधुवाद।

● अंशुप्रिया अग्रवाल

प्रबंधक
पंजाब नेशनल बैंक, वाशी, मुंबई

'बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन' का नवीनतम अंक (अप्रैल-जून 2011) प्राप्त हुआ। बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं 'बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन' का नियमित पाठक हूँ और यह मुझे नियमित रूप से प्राप्त भी होती है। इस अंक के संपादकीय ने इस कदर प्रभावित किया कि मैं अपने आपको यह पत्र लिखने से रोक नहीं पा रहा हूँ।

आपने संपादकीय में सामाजिक न्याय के साथ-साथ सामाजिक दायित्व की भी बात कही है जिसकी आज निःसंदेह सख्त आवश्यकता है, हमें अपने धन का उपयोग अपने लिए तो करना ही है साथ ही इसका कुछ अंश मानव कल्याण के लिए खर्च किया जाना चाहिए। अपने संपादकीय में वैचारिक खुराक परोसने के लिए मैं संपादक महोदय का धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ।

प्रस्तुत अंक में प्रारंभ किया हुआ नया स्तंभ "धूमता आईना" बहुत अच्छा लगा। यह स्तंभ Short and Sweet

की तर्ज पर चुटकी भर नई और रोचक जानकारी पलभर में प्रदान कर देता है। श्री जे. एस. के. रावत द्वारा कलमबद्ध लेख "वित्तीय आयोजना" निवेशकों के लिए बाजार की अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों में न्यूनतम जोखिम के साथ निवेश करने की एक फायदेमंद कुंजी के समान है।

'बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन' का हर अंक अपने में ढेर सारी ज्ञानवर्धक सामग्री संजोए होता है, बैंकिंग जगत की इस लोकप्रिय पत्रिका की शानदार परम्परा बरकरार रहे, इसी आशा के साथ मैं संपादक मंडल के सभी सदस्यों के प्रति धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूँ।

● ताराचंद मकसाने

सहायक प्रबंधक
भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय, मुंबई

बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन पत्रिका का अप्रैल-जून 2011 अंक प्राप्त हुआ। बैंकिंग से सम्बन्धित जानकारियां एवं व्याख्यान हिन्दी में पढ़कर काफी अच्छा लगा, इसने बैंकिंग क्षेत्र में मेरी हिन्दी की रुचि को बढ़ाया है पत्रिका के माध्यम से मुझे बैंकिंग के विभिन्न क्षेत्रों की जानकारी प्राप्त हुई है, पत्रिका के व्याख्यान रोचक है। भाषा सरल एवं सुगम है। पत्रिका से बैंकिंग क्षेत्र में हिन्दी के प्रचार-प्रसार को एक नई दिशा मिलेगी।

मैं आपके और पत्रिका के उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। मुझे अगले अंक का बेसब्री से इंतजार रहेगा।

● रजत कुमार वार्धेय

सहायक प्रबंधक
सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, किदवई नगर, कानपुर

आपने अपने महिमामय बैंकिंग चिंतन अनुचिंतन के अप्रैल-जून 2011 अंक में "इतिहास के पन्नों से" में हमारे बैंक की आत्म कथा का जो शब्द चित्र खींचा है उसे पढ़कर मैं भाव-विभोर हो गई हूँ।

मेरे लिए वह आलेख हाथ कंगन को आरसी क्यों वाली कहावत क्यों न हो, फिर भी आपने शताधिक वर्षों वाले सागर को चार पन्नों के गागर में छलका दिया है।

इसके लिए मेरे पास आभार के शब्दों का अभाव है।

● सुलेखा मोहन

सहायक महा प्रबंधक
केनरा बैंक, बेंगलूर

अमरीकी क्रेडिट रेटिंग में गिरावट- एक विवेचना

● निधि चौधरी*

वर्ष 2008 की आर्थिक मंदी ने अमरीकी अर्थव्यवस्था को किस हद तक कमजोर किया है यह बात उस समय जगजाहिर हो गई जब स्टैंडर्ड एंड पुअर्स (एसएंडपी) ने 95 वर्षों से एएए रेटिंग रखने वाले अमरीका की क्रेडिट रेटिंग पहली बार घटाकर डबल ए प्लस कर दी। रेटिंग गिरावट से पूर्व अमरीकी अर्थव्यवस्था में नकदी का संकट गहराया, जिसे कर्ज सीमा बढ़ाकर सुलझाया गया। कर्ज सीमा बढ़ाने से अमरीका भी इटली और बेल्जियम की तरह भारी कर्ज लेने वाले देशों में शामिल हो गया है।

यद्यपि अमरीकी केन्द्रीय बैंक फेड रिज़र्व का कहना है कि कर्ज सीमा बढ़ाने और क्रेडिट रेटिंग में गिरावट से हमारी प्रतिभूतियों (बॉण्ड) पर असर नहीं होगा, लेकिन इन दोनों घटनाओं का मतलब साफ है कि अमरीकी अर्थव्यवस्था अब पहले जैसी मजबूत नहीं रही है। इस संकट से उबरने के लिए अमरीका क्या कदम उठाएगा यह तो भविष्य की गर्त में छिपा है लेकिन यदि शीघ्रातिशीघ्र सही कदम नहीं उठाए गए तो 12 से 18 महीनों में रेटिंग और खराब होने की आशंका को झुठलाया नहीं जा सकता है।

एसएंडपी की ओर से अमरीकी रेटिंग उस समय घटाई गई है जब अमरीकी अर्थव्यवस्था में सुधार की गति काफी मंद पड़ चुकी है और बेरोजगारी दर 10 फीसदी के ऊपर पहुँच गई है। यूरोप के अधिकांश देश भी मंदी के शिकार बने हुए हैं तथा अन्तरराष्ट्रीय खाद्यान्न संकट भी पूरी तरह से छंटा नहीं है। ऐसे में अमरीकी साख में आई गिरावट से भारत सहित अन्य विकासशील देश अछूते नहीं रह सकते हैं। अमरीकी साख में आई गिरावट निश्चित ही भारत एवं चीन जैसी तेजी से उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए कई चुनौतियों और अवसरों का मार्ग

प्रशस्त करेगी। जिस तरह से अमरीकी रेटिंग में गिरावट का असर दुनिया भर के शेयर बाजारों पर दिखाई दिया है, उससे स्पष्ट है कि मौजूदा संकट सभी मुक्त व्यापार अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक नई चुनौती बनकर उभरा है तथा समस्त विश्व को एक और मंदी के गर्त में धकेल सकता है।

क्रेडिट रेटिंग में गिरावट के कारण

अधिकांश अर्थशास्त्री मानते हैं कि कोई भी देश यदि अपनी जीडीपी का 40 से 50 फीसदी कर्ज लेता है तो यह तर्कसंगत है क्योंकि यह कर्ज सीमा किसी भी देश को आपात स्थिति से निपटने में सहायक साबित होती है और उस पर किसी भी वित्तीय घटना का ज्यादा नकारात्मक असर नहीं होता। किन्तु

यद्यपि अमरीकी केन्द्रीय बैंक फेड रिज़र्व का कहना है कि कर्ज सीमा बढ़ाने और क्रेडिट रेटिंग में गिरावट से हमारी प्रतिभूतियों (बॉण्ड) पर असर नहीं होगा लेकिन इन दोनों घटनाओं का मतलब साफ है कि अमरीकी अर्थव्यवस्था अब पहले जैसी मजबूत नहीं रही है।

अमरीकी वित्त व्यवस्था के आकार को देखते हुए अमरीकी प्रशासन ने यह नियम बनाया था कि वह अपनी जीडीपी का 90 फीसदी तक कर्ज ले सकता है जिसे आपात स्थिति में 95 फीसदी तक बढ़ाया जा सकता है लेकिन हाल ही में नकदी संकट से जूझ रही अमरीकी सरकार

के लिए वहां की कांग्रेस ने कर्ज सीमा को 14.3 ट्रिलियन डॉलर (अमरीकी जीडीपी के 95 फीसदी) से बढ़ाकर 16.7 ट्रिलियन डॉलर तक कर दिया है जिससे दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था पर कर्ज जीडीपी के 100 फीसदी से भी ज्यादा हो गया है। यह खतरनाक स्थिति है, यदि अमरीकी जीडीपी नहीं बढ़ी और वित्तीय बाजार में उछाल नहीं आया तो अमरीका के लिए यह कर्ज लौटाना मुश्किल हो जाएगा।

अन्तरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर असर

केविन रैफर्टी के अनुसार “हालात आर्थिक संकट और कर्ज सीमा बढ़ाने से कहीं ज्यादा विकट है। बाजार में दुनिया

* प्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक, नई दिल्ली

की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की साख और विश्वसनीयता दांव पर है जिसका सरकारी खजाना हमेशा से दुनिया भर की सरकारों व ऋण बाजारों के लिए एक मानदंड रहा है। यदि अमरीका लड़खड़ाता है तो पूरी दुनिया में सुनामी आने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है।”

मुश्किल यह है कि जिस संकट में अमरीकी अर्थव्यवस्था डूबी है कमोबेश उसी संकट में बाकी अर्थव्यवस्थाएं भी घिरी हैं। यद्यपि जुलाई के अंतिम सप्ताह में यूरोपीय देशों ने ग्रीस के लिए 440 अरब यूरो का एक बेहतर राहत पैकेज मुहैया कराकर उसे मंदी से उबरने का सुअवसर प्रदान किया है किन्तु यदि यूरोजोन के सदस्य इटली और स्पेन जैसे देश, जो कि मंदी के दुष्क्रम में फंसे हैं, को राहत पैकेज मुहैया कराना चाहेंगे तो उन्हें ग्रीस राहत पैकेज से तिगुने बड़े यानि 1300 अरब यूरो से अधिक का बंदोबस्त करना होगा। देर-सबेर ग्रीस, स्पेन और इटली का संकट जर्मनी, फ्रांस और इंग्लैंड तक भी पसर जाएगा क्योंकि यूरोप की जीवन शैली जितना खर्च कर रही है उतना कमा नहीं पा रही है जो यूरोपीय अर्थव्यवस्था के टिकाऊपन पर सवालिया निशान खड़े करता है।

ऐसी स्थिति में अमरीकी साख में गिरावट का असर चीन तथा यूरो संघ के उन देशों पर होना स्वाभाविक है जो अमरीका के साथ भारी मात्रा में व्यापार और ऋण का लेन-देन करते हैं, वहीं भारतीय अर्थव्यवस्था में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश तथा अमरीका के साथ होने वाले निर्यातों में कटौती होने की संभावना है। अमरीका के पारम्परिक प्रतिद्वन्दी रूस ने भी, जिसका कि अमरीकी बॉन्ड में 115 बिलियन डॉलर का निवेश है, अमरीकी अर्थव्यवस्था को वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पलने वाला परजीवी करार दिया है।

चीनी अर्थव्यवस्था पर असर

यद्यपि अमरीका और यूरोप के संकटों ने दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में वैश्विक आर्थिक महाशक्ति बनने का राष्ट्रीय उत्साह भर दिया है। लेकिन इस तथ्य की उपेक्षा नहीं की जा सकती है कि फिलहाल मजबूत स्थिति में दिखाई देती चीनी अर्थव्यवस्था पर अमरीकी संकट का निस्संदेह असर होगा क्योंकि अमरीका को कर्ज देने वाले देशों में सर्वाधिक

हिस्सा चीन का ही है जिसने अमरीकी प्रतिभूतियों में 1.2 खरब डॉलर का निवेश कर रखा है। परिणामतः अमरीकी बॉण्ड में होने वाली गिरावट चीन पर भारी पड़ सकती है। साथ ही, चीन एक पार्टी शासन तथा घोर गोपनीयता वाली सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक व्यवस्था के कारण फिलहाल उस स्थिति में नहीं है कि अमरीका को बेताज कर सके, विशेषकर चीनी मुद्रा पर अत्यधिक सरकारी नियंत्रण तथा चीन में लोकतंत्र व मानवाधिकारों की अनुपस्थिति उसकी अन्तरराष्ट्रीय स्थिति को कमजोर करती है।

भारतीय अर्थव्यवस्था पर असर

प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के प्रमुख श्री सी. रंगराजन का मानना है कि अमरीका की रेटिंग कम होने से भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर पर प्रभाव नहीं पड़ेगा और यह 8.2 प्रतिशत की दर से विकास करेगी। फिर भी दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की दरकती साख का असर भारत पर प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से अवश्य पड़ सकता है क्योंकि-

- भारत ने अमरीका में 41 अरब डॉलर का निवेश किया है। अमरीकी हालात ऐसे ही गंभीर बने रहे तो भारतीय निवेश प्रभावित हो सकता है।
- भारत से अमरीका को होने वाले निर्यात प्रभावित हो सकते हैं। भारतीय निर्यात महासंघ (फियो) के अध्यक्ष रामू एस. देवड़ा ने बताया कि यूरो जोन पहले ही कर्ज संकट में घिरा है। अमरीकी साख घटने से डॉलर कमजोर होने की संभावना है। साथ ही, भारत के पास अपनी मुद्रा को तर्कसंगत स्तर पर लाने का अवसर है।
- एक ओर जहां अमरीकी अर्थव्यवस्था के प्रति निवेशकों का भरोसा घटने का लाभ भारत एवं चीन को होने की संभावना है, वहीं दूसरी ओर भारत में अमरीकी निवेश के कम होने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है।
- अमरीकी राष्ट्रपति ओबामा की पिछली भारत यात्रा की तरह इस बार भी अमरीकी कम्पनियों के लिए भारत में

निवेश के द्वार खोलने के लिए अमरीका रणनीतिक दबाव भारत पर डाल सकता है। यह भी संभव है कि भारत को कृषि, खुदरा व्यापार इत्यादि सहित अनेक क्षेत्रों को एफडीआई के लिए खोलना पड़े।

- अमरीका भारत, पाकिस्तान आदि देशों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता भी कम कर सकता है।
- अमरीका तेल, सोना एवं चांदी में इन्वेस्टमेंट बढ़ाकर इनकी कीमतों को ऊंचा रखने की कोशिश करेगा जिनकी खपत भारत, चीन इत्यादि देशों में अधिक है जिसका सीधा फायदा अमरीकी निवेशकों को होगा। साथ ही, भारत सहित अन्य विकासशील देशों की अर्थव्यवस्थाएं तेल की बढ़ती कीमतों के कारण अपनी विकास दर को बहुत अधिक नहीं बढ़ा पाएंगी।
- अमरीकी रेटिंग में गिरावट के बाद से एसएंडपी ने जहां भारत को एक जोखिम भरा निवेश स्थान बताया है जहां मंदी के और बढ़ने की संभावना है, वहीं गोलडमेन सेक ने उसे मार्केट रेटिंग देकर भावी निवेश के लिए बेहतर स्थान बताया है।

भावी उपाय

कर्ज में बढ़ोतरी और साख में गिरावट से जूझ रही अमरीकी सरकार आने वाले दिनों में घाटा आधारित बजट के स्थान पर एक संतुलित बजट पेश कर सकती है, जिसमें संभवतः अमरीकी सरकार द्वारा राजस्व बढ़ाने के लिए करों को बढ़ाने एवं खर्च घटाने के लिए आम लोगों के लिए चलाई जा रही स्वास्थ्य इत्यादि राहत योजनाओं में कटौती लाने जैसे कदम शुमार हो सकते हैं। यहां यह ध्यान देने योग्य है कि कल्याण कार्यक्रमों की बजाय यदि अमरीकी सरकार अपने सुरक्षा खर्च तथा विदेशी धरती पर चल रहे अभियानों में कटौती करे तो शायद मौजूदा संकट से उबरना और अधिक आसान होगा। इसी तरह अमरीकी सरकार अपने देश में विदेशी निवेश, विशेषकर भारतीय एवं चीनी निवेशकों, को आकर्षित करने के लिए पहल कर सकती है। यहां पर भी अमरीका को केवल बाह्य विदेशी पूंजी पर निर्भर न रहकर आत्मनिर्भर बनने की

कोशिश करनी चाहिए। केवल बाह्य निवेश के भरोसे टिकी अर्थव्यवस्था विदेशी निवेशकों के हाथ खींचते ही औंधे मुंह गिर सकती है। सबसे महत्वपूर्ण होगा यह देखना कि अमरीका सहित दुनिया के अधिकांश देश मुक्त बाजार के मॉडल की समीक्षा किस प्रकार करते हैं क्योंकि अब यह तो जगजाहिर है कि दूसरों के बाजार और दूसरों की पूंजी पर बहुत दिनों तक संपन्नता के शिखर पर बैठना संभव नहीं है।

यह संकट कब और कैसे दूर होगा, कहना मुश्किल है किन्तु इतना तय है कि मौजूदा संकट ने मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था और उपभोग आधारित जीवन शैली की कलाई खोल कर रख दी है। यह नितान्त आवश्यक है कि अमरीकी सरकार और वहां का जनसामान्य चार्वाक की 'यावत् जीवेत सुखम् जीवेत ऋणम् कृत्वा घृतम् पीबेत्' (अर्थात् जब तक जीएं सुख से जीएं, ऋण लें और घी पीएं) की जीवन शैली का परित्याग कर सादा जीवन उच्च विचार, भविष्य के लिए बचत एवं धन संरक्षण की नीति अपनाए। यद्यपि यह विचार कार्यशील कम और दार्शनिक ज्यादा लग सकता है मगर निश्चित ही सभी देशों को मिलकर अपने नागरिकों, समूची मानव जाति के कल्याण के लिए विकास का एक नया ढांचा तैयार करना होगा जो समाज के निचले तबकों, महिलाओं, बुजुर्गों, विकलांगों, वनों, जीवों एवं पर्यावरण के लिए संवेदनशील हो। एक ऐसा विकास, जिसमें कारों की बढ़ती संख्या की बजाय मनुष्यों में बढ़ती समता और समरसता मापी जा सके। एक ऐसा विकास, जो जीडीपी की बढ़ती दर की बजाय गरीब और अमीर के बीच गहराती खाई को कम करने के लिए कार्य करे।

2008 के संकट ने जहां उदारिकरण की सीमाएं बताईं, वहीं मौजूदा अमरीकी संकट ने इसके खोखलेपन की ओर इशारा किया है। दुर्भाग्यवश हमारा देश भी विकास का वही रास्ता अपना रहा है जिस पर चलकर आज अमरीका और यूरोप के विकसित देश मंदी के गर्त में डूबते जा रहे हैं। अतः यह नितान्त आवश्यक है कि हम विकास के एक नए मॉडल का सृजन करें जो कर्ज पर आधारित न होकर बचत पर टिका हो, जो अत्यधिक उपभोग प्रवृत्ति की बजाय सर्वे भवन्तु सुखिनः या महात्मा गांधी के सर्वोदय की भावना पर आधारित हो।

ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाएं और पंचायतों की भूमिका

● डॉ.रमाकांत शर्मा*

गांवों में रहने वाले गरीबों, किसानों, कारीगरों तथा कमजोर और उपेक्षित वर्ग के लोगों को साहूकारों और महाजनों के चंगुल से मुक्त कराने और उनका जीवन-स्तर ऊपर उठाने के लिए बैंकिंग का सहारा लेना आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य भी है। अतः प्रत्येक ग्राम पंचायत को इस संबंध में गंभीरता से सोचना होगा कि उनकी पंचायत के दायरे में आने वाले लोग बैंकिंग सेवाओं से वंचित न रहें। इसके लिए ग्राम पंचायतों को वे सभी संभव कदम उठाने होंगे जिनसे उनके लोगों तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचने के रास्ते में बाधाएं या कठिनाइयां उत्पन्न न हों।

हमारे देश में 300 और उससे अधिक की जनसंख्या वाले प्रत्येक गांव में ग्राम पंचायत का गठन अनिवार्य है। यदि किसी गांव की जनसंख्या 300 से कम हो तो ऐसे कई गांवों को मिलाकर ग्राम पंचायत बनाई जा सकती है। पूरे देश में 2,70,000 से भी अधिक ग्राम पंचायतें गठित हैं और उनके जरिये दूर-दराज के ग्रामीणों से भी संपर्क साधा जा सकता है। इन पंचायतों की स्थिति स्थानीय सरकार जैसी होती है और इनकी कई जिम्मेदारियों में से एक बड़ी जिम्मेदारी कृषि और पशुपालन के लिए विकास योजनाओं को अमली जामा पहनाना होता है। इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को निभाने के लिए भी उन्हें बैंकिंग जैसी औपचारिक वित्त संस्थाओं की जरूरत होगी। गांवों में सड़कों की मरम्मत कराने, बिजली की व्यवस्था करने, औषधालय खुलवाने, शिक्षा की व्यवस्था करने आदि के लिए तथा ग्रामवासियों के जीवन-स्तर को ऊपर उठाने के लिए सरकारी सहायता के साथ-साथ बैंकों से मदद की भी जरूरत पड़ेगी। यही नहीं, भुगतान आदि के लिए भी बैंकिंग सेवाओं की जरूरत होगी। इन सब कारणों से ग्राम पंचायतों को अपनी पंचायत के दायरे में पर्याप्त बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे।

ग्राम पंचायतें कैसे निभाएं यह भूमिका

ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं के संदर्भ में ग्राम पंचायतें निश्चित तौर पर अहम् भूमिका निभा सकती हैं। इस संबंध में निम्नलिखित बातें विचारणीय और महत्वपूर्ण हैं:-

ग्राम पंचायतें जागरूक बनें :

पहली आवश्यकता तो इस बात की है कि ग्राम पंचायतें अपने गांव/गांवों की प्रगति और विकास तथा गांव के लोगों के जीवन-स्तर को उठाने में बैंकिंग सेवाओं की जरूरत और महत्व के प्रति जागरूक बनें। इस संदर्भ में उन्हें इस बात को समझना होगा कि उनकी ग्राम पंचायत के दायरे में आने वाले लोगों की जरूरतें क्या हैं। वास्तव में, अधिकांश लोग कृषि पर निर्भर हैं जिनकी जोत इतनी छोटी होती है कि उससे परिवार का भरण-पोषण भी मुश्किल से हो पाता है या फिर वे खेतिहर मजदूर के रूप में अपना पूरा जीवन गुजार देते हैं, छोटा-मोटा व्यवसाय करते हैं और उसे चलाने के लिए ऊंची ब्याज दरों पर साहूकारों/महाजनों से उधार लेते हैं। हर ग्राम पंचायत को इस बात पर भी विचार करना चाहिए कि-

- अधिकांश ग्रामीण लोगों को बैंकों के बारे में या तो बिल्कुल भी जानकारी नहीं है या फिर बहुत कम होती है,
- वे साहूकारों से ऊंची दरों पर ब्याज लेते हैं और ऋणग्रस्तता उनके जीवन का पर्याय बन गई है,
- बैंक में खाता खोलने के लिए उनके पास साधन नहीं हैं,
- वे बचत का महत्व नहीं समझते और अपनी आमदनी से ज्यादा खर्च करते हैं,
- यदि बचत करते भी हैं तो उसे अपने पास ही रखना बेहतर समझते हैं,

* सेवानिवृत्त महाप्रबंधक, बैपविवि, केंका, भारिबैं, मुंबई

- स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव और लापरवाही के कारण अक्सर बीमारियों से ग्रस्त रहते हैं,
- इनकी कोई नियमित आय नहीं होती,
- अपने छोटे-मोटे व्यवसाय को बढ़ाने के लिए भी उनके पास साधन नहीं होते,
- अपने कार्य में बेहतरी लाने के लिए उन्हें प्रशिक्षण नहीं मिलता,
- परिवार के सभी लोग या तो खेती करते हैं या फिर मजदूरी करते हैं,
- उन्हें अपने अधिकारों की या तो बिलकुल भी जानकारी नहीं होती या फिर बहुत कम होती है,
- बैंकों की योजनाओं की जानकारी नहीं होने के कारण वे उनका लाभ नहीं ले पाते,
- अनपढ़ या बहुत कम पढ़े-लिखे होने के कारण शोषण का शिकार बनते हैं,
- आधारभूत सुविधाओं के अभाव और बिचौलियों के कारण उन्हें अपनी वस्तुओं/उपज का सही मूल्य नहीं मिल पाता।

उपर्युक्त और ऐसी ही अन्य बातों के प्रति ग्राम पंचायतों की जागरूकता उन्हें बैंकिंग के महत्व के प्रति सचेत कर सकती है और उन्हें अपने गांव/गांवों में बैंक खुलवाने और उनके कार्यों में सहयोग देने के प्रति तत्पर बना सकती है।

बैंकिंग की आवश्यकता हेतु सर्वे :

ग्रामवासियों की बैंकिंग संबंधी आवश्यकताओं का पता लगाने के लिए ग्राम पंचायतें बड़ा योगदान दे सकती हैं। इससे संबंधित गांव के लोगों से जुड़ने और उनकी आवश्यकताओं को जानने में काफी मदद मिल सकती है। इसके लिए ग्राम पंचायतें विशेष जानकारी इकट्ठा कर सकती हैं, जिसमें परिवारों

की संख्या, उनके सदस्यों के नाम और आयु, आमदनी के साधन, शिक्षा का स्तर, पहचान के लिए उपलब्ध दस्तावेज, लिये गए ऋण और उसकी चुकौती की स्थिति आदि से संबंधित आंकड़े शामिल हो सकते हैं। अक्सर ग्राम पंचायतें अन्य उद्देश्यों के लिए भी ऐसी जानकारी एकत्रित करती रहती हैं। यदि यह जानकारी बैंकों की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखकर इकट्ठी की जाती है तो बैंकों को लोगों की बैंकिंग संबंधी जरूरतों का आकलन करने, उनके खाते खोलने तथा अन्य सुविधाएं प्रदान करने में आसानी होगी। चूंकि पंचायतों के पदाधिकारी गांव वालों के अपने ही लोग होते हैं अतः उन्हें जानकारी देने में वे कोई आनाकानी भी नहीं करेंगे।

बैंक शाखा/शाखाएं खोलने के लिए बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना :

ग्रामीण तथा दूरदराज के इलाकों में बैंक शाखाएं खोलने के लिए स्थान, कर्मचारियों के लिए आवास, बिजली-पानी आदि जैसी बुनियादी सुविधाओं की जरूरत होती है। ऐसे इलाकों में इन सुविधाओं का नितांत अभाव होने के कारण बैंक शाखाएं खोलने में भारी दिक्कत आती है। इस दिक्कत को दूर करने में ग्राम पंचायतें महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। वे शाखा खोलने के लिए उपयुक्त स्थान मुहैया कराने में मदद कर सकती हैं। बिजली-पानी, स्कूल और डिस्पेंसरी आदि जैसी सुविधाएं गांवों में होंगी तो शाखाओं के संचालन में काफी सुविधा हो सकती है। ग्राम पंचायतें अपने क्षेत्राधिकार वाले गांव/गांवों में ये सुविधाएं उपलब्ध कराकर जहां गांव की तरक्की के रास्ते खोल सकती हैं, वहीं बैंकों को अपनी शाखाएं खोलने के लिए प्रोत्साहित भी कर सकती हैं।

ग्रामवासियों को बैंकों और उनकी योजनाओं की जानकारी देना :

जब तक गांव वालों को बैंकों और उनकी योजनाओं की जानकारी ही नहीं होगी, वे बैंक शाखाओं की ओर रुख नहीं करेंगे। साथ ही, वे अपनी बचत का तथा अन्य बैंकिंग सुविधाओं का कोई लाभ नहीं उठा पाएंगे। इस संबंध में ग्राम पंचायतें पहल कर सकती हैं। वे बैंकों के साथ मिलकर अपने क्षेत्र के निवासियों के लिए ऐसे कार्यक्रम आयोजित कर सकती हैं जिनसे उन्हें यह पता चल सके कि बैंक क्या हैं और वे कैसे

उनकी योजनाओं का लाभ उठा सकती हैं। गांवों में स्कूल स्तर पर बच्चों को ऐसी जानकारी देने की व्यवस्था की जा सकती है ताकि वे शुरू से ही इससे परिचित हो सकें। ग्राम पंचायतें इसके लिए गांव की चौपालों, मेलों, प्रदर्शनियों, व्यक्तिगत संपर्क आदि का आसानी से इस्तेमाल कर सकती हैं।

बचत का महत्व समझाना और उसके लिए प्रोत्साहित करना :

गांवों में रहने वाले अधिकतर गरीब लोग बचत करने की स्थिति में नहीं होते। इसका कारण उनकी बहुत कम आय तो होती ही है, शादी, मृत्यु तथा अन्य अवसरों पर अपनी हैसियत से बहुत अधिक खर्च करना भी होता है। इसके लिए उन्हें ऊंची दर पर उधार लेना मंजूर होता है। ग्राम पंचायतें इस संबंध में लोगों को जागरूक बनाने की मुहिम चला सकती हैं।

यदि बांगला देश ग्रामीण बैंक के भिखारी सदस्य भी बचत के महत्व को समझ कर अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए बचत कर सकते हैं तो कोई कारण नहीं कि गांवों के लघु किसान, शिल्पकार, दिहाड़ी मजदूर और छोटा-मोटा काम करने वाले लोगों को बचत करने के लिए प्रेरित नहीं किया जा सकता। ग्राम पंचायतें विशेष अभियान चलाकर इस दिशा में उल्लेखनीय योगदान दे सकती हैं। इन बचतों का उपयोग बैंकों में खाते खोलने तथा उसके जरिये बैंकिंग के अन्य लाभ उठाने के लिए किया जा सकता है।

बैंकों में खाता खुलवाने में मदद :

बैंकों में खाता खोलने के लिए गरीबों, विशेषकर झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाले तथा दूरदराज के क्षेत्रों से मजदूरी या नौकरी की तलाश में आए लोगों से उनकी पहचान के लिए दस्तावेजी साक्ष्य की मांग की जाती है, जिन्हें प्रस्तुत करना उनके लिए अत्यधिक कठिन और कई मामलों में असंभव होता है। ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायतें उनकी बड़ी मदद कर सकती हैं। ग्राम पंचायतों द्वारा जारी प्रमाणपत्र उनकी पहचान के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। इसके अलावा, बैंक स्टाफ की मदद से वे गांव वालों के खाते खोलने के फार्म भरने तथा अन्य औपचारिकताएं पूरी करने में भी सहायता कर सकती हैं।

बैंकों से संपर्क करने में सहायता :

बैंक परिसरों में गरीब लोग घुसने से डरते हैं। बैंक कर्मचारियों से बात करने का वे साहस नहीं जुटा पाते। साथ ही, गरीब ग्रामीणों का कोई सामाजिक नेटवर्क भी नहीं होता। उन्हें यह पता नहीं होता कि वे बैंकिंग सेवाएं कहां से प्राप्त कर सकते हैं और इसके लिए उन्हें किससे संपर्क करना होगा। इसके परिणामस्वरूप, वे बैंकों में जा ही नहीं पाते और साहूकारों की शरण लेना उन्हें आसान लगता है। ग्राम पंचायतें, बैंकों और ग्रामीणों की इस दूरी को पाटने के लिए कई कदम उठा सकती हैं, जिनमें उनके बीच बैठकें और सभाएं आयोजित करना शामिल है। इस प्रकार, ग्राम पंचायतें अपने सदस्यों और बैंकों के बीच संवाद स्थापित करते हुए उन्हें बैंकिंग की योजनाओं, लाभों आदि की जानकारी तो दिला ही सकती हैं, उनके बीच अपरिचय, डर तथा दूरियों को समाप्त करने में भी अहम भूमिका निभा सकती हैं।

साक्षरता अभियान चलाना :

अधिकांश ग्रामीणों, विशेष रूप से गरीब और पिछड़े वर्ग के लोगों और समाज के अन्य कमजोर वर्ग के लोगों का साक्षर न होना भी बैंकों से उनके न जुड़ने का एक बहुत बड़ा कारण है। ऐसे लोगों को सामान्यतः बैंकों की आवश्यकता ही महसूस नहीं होती और अपनी बहुत ही कम राशि के लेनदेन वे नकद रूप में ही करना पसंद करते हैं। यदि ग्राम पंचायतें अपने लोगों को साक्षर बनाने का अभियान चलाती हैं तो इसके अन्य सभी लाभों के अलावा उन्हें बैंकिंग में रुचि लेने के लिए भी प्रवृत्त करती हैं। एक साक्षर व्यक्ति ही अपने हित की बात को बेहतर रूप से समझ सकता है।

स्थानीय उद्योग-धंधों आदि की पहचान करना :

ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग के लोकप्रिय न होने का एक बड़ा कारण यह भी है कि बैंक सामान्यतः वही सेवाएं और उत्पाद ग्रामीण क्षेत्रों में भी देने के लिए प्रस्तुत होते हैं जो वे शहरों में दे रहे होते हैं। चूंकि ये उत्पाद गांव वालों की परिस्थितियों और जरूरतों के अनुसार नहीं होते, अतः ग्रामीण लोग बैंकों से नहीं जुड़ पाते। उन्हें अलग प्रकार की बैंकिंग सेवाओं और उत्पादों की आवश्यकता होती है जो उनके परिवेश, उनके स्तर, उनकी क्षमताओं तथा उनकी विशिष्ट जरूरतों के अनुरूप हों।

गांव से बाहर से आए बैंक कर्मियों के लिए यह पता लगाना आसान नहीं होता कि वहां के उद्योग-धंधे, आदि कौन से हैं और उनकी विशिष्ट आवश्यकताएं क्या हैं। इस संबंध में ग्राम पंचायतें उनकी काफी मदद कर सकती हैं और बैंक ऐसी सेवाएं और उत्पाद विकसित करने और प्रस्तुत करने में सफल हो सकते हैं जो स्थानीय उद्योग-धंधों और कारीगरों की जरूरतों के अनुसार हों। इससे बैंक गांव के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने में सफल होंगे।

उत्पादक/उपभोग ऋण दिलवाने में मदद :

ग्राम पंचायतें लोगों के बचत खाते खुलवाने के अलावा उन्हें बैंकों से उत्पादक और उपभोग ऋण दिलवाने में भी मदद कर सकती हैं। बैंकों से ऋण लेने में तमाम तरह की औपचारिकताएं पूरी करनी होती हैं। कई बार बैंक गांव के गरीब लोगों को इसलिए उधार नहीं देते कि उनकी ऋणपात्रता का पता लगाना मुश्किल होता है या वे जिस इलाके से आते हैं, उसकी ऋण उठाव क्षमता को पर्याप्त नहीं माना जाता। व्यक्तिगत या सामूहिक गारंटी के अभाव में भी ग्रामीणों को बैंकों से उधार मिलने में कठिनाई होती है। ग्राम पंचायतें इन सब कठिनाइयों में गांव वालों के साथ खड़ी हो सकती हैं और यह सुनिश्चित कर सकती हैं कि सिर्फ तकनीकी कारणों से ग्रामीण लोग बैंक ऋण से वंचित न रह जाएं। ऐसा करके वे साहूकारों द्वारा किए जाने वाले शोषण के विरुद्ध बिगुल बजा सकती हैं।

इस संबंध में, यह उल्लेखनीय है कि स्वयं ग्राम पंचायतें भी अपनी विकासात्मक गतिविधियों के लिए बैंकों से ऋण ले सकती हैं, जो सरकारी योजनाओं के अंतर्गत मिलने वाली सीमित राशि के पूरक का काम कर सकता है।

परामर्शी सेवाएं और सहायता प्रदान करना :

यदि ग्रामीणों को समय पर ऋण की चुकौती के लिए समर्थ बनाना है तो यह आवश्यक है कि बैंकों से लिये गये ऋण की सहायता से उनकी उत्पादकता में वृद्धि हो। ग्राम पंचायतें इस संबंध में ठोस और सकारात्मक कदम उठा सकती हैं। ये कदम किसानों को खेती के नए तरीकों से परिचित कराने तथा कृषि से संबंधित विशेषज्ञ सलाह की व्यवस्था के रूप में उठाया जा सकता है। इसी प्रकार, ग्रामीण कारीगरों की दक्षता

बढ़ाने हेतु उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था ग्राम पंचायतों द्वारा की जा सकती है। परामर्श और प्रशिक्षण, ये दो ऐसे साधन हैं जिनसे किसी भी उत्पादक कार्य के क्षमता-निर्माण में अवश्य ही सहायता मिलती है। अनपढ़/कम पढ़े-लिखे ग्रामीणों को यदि ग्राम पंचायतों के माध्यम से निःशुल्क प्रशिक्षण और परामर्श मिल सके तो वे निश्चित तौर पर इसका स्वागत करेंगे और उनकी उत्पादकता/क्षमता बढ़ेगी। इस सबका सुपरिणाम उनकी बढ़ी हुई आय के रूप में सामने आएगा और वे बैंकों से लिये गए ऋण की समय पर चुकौती कर सकेंगे। यहां यह भी उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि स्वयं बैंक इस प्रकार के परामर्श/प्रशिक्षण केंद्र स्थापित कर रहे हैं, ग्राम पंचायतें इस संबंध में उनका भी विवेकपूर्ण तरीके से इस्तेमाल कर सकती हैं।

स्वयं सहायता समूहों को मदद प्रदान करना :

स्वयं सहायता समूह समाज के कमजोर और गरीब वर्ग के लोगों को एकजुट करके उन्हें नियमित रूप से बचत करना सिखाते हैं और उनकी उपभोग तथा उत्पादन संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऋण की व्यवस्था करते हैं। ये समूह समाज के उक्त वर्गों को बैंकों से जोड़कर उन्हें साहूकारों के जाल से निकालने का महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। इन समूहों का गठन स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा किया जाता है। वे समूहों के गठन से संबंधित शुरुआती कार्रवाई करते हैं, उनकी बैठकें नियमित रूप से आयोजित करते हैं और उन्हें प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। जब समूह अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है तो वे समूह को अपना काम खुद संभालने के लिए स्वतंत्र छोड़ देते हैं। गरीब लोगों के इन समूहों को बैंक बिना किसी जमानत के उधार देने को तैयार हो जाते हैं क्योंकि ऋण समूहों को दिए जाते हैं, व्यक्तियों को नहीं, और इस प्रकार ऋण चुकाने की जिम्मेदारी सदस्य की न होकर समूह की होती है।

हमारे देश में स्वयं सहायता समूह कार्यक्रम बहुत सफल रहा है। इसने गरीब लोगों में बचत की आदत को बढ़ावा दिया है, उन्हें बैंकों से ऋण दिलाने में सहायता करके उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने में मदद की है और ग्रामीण तथा कमजोर वर्ग की महिलाओं को सशक्त बनाने में उल्लेखनीय योगदान दिया है।

स्वयं सहायता समूह जैसे महत्वपूर्ण और सफल कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में ग्राम पंचायतें बहुत योगदान दे सकती हैं। इस काम में आने वाली ऐसी कठिनाइयों और बाधाओं को समाप्त कर सकती हैं जो ग्रामीण क्षेत्र में प्रशासनिक स्वरूप की हों। स्वयं सहायता समूहों से लोगों को जोड़ने के लिए विशेष अभियान चला सकती हैं और इसके लिए उन्हें प्रोत्साहित कर सकती हैं। इस प्रकार परोक्ष रूप से गांववासियों तक बैंक सेवाएं पहुंचाने में बड़ा योगदान दे सकती हैं।

लघु ऋण उपलब्ध कराने में सहायता :

लघु ऋण ऐसी प्रणाली है जो आमतौर पर निम्न आय वर्ग अथवा निर्धनों को ऋण सुविधाएं उपलब्ध कराती है। इस वर्ग में ऐसे लोगों का समावेश होता है जिनके पास बैंक को जमानत के तौर पर रखने के लिए कोई संपत्ति नहीं होती, पर वे सामाजिक जमानत देने की हैसियत रखते हैं। इस सुविधा से गरीब लोग अपना स्वयं का व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। बैंकों द्वारा लघु वित्त गैर-सरकारी संगठनों और स्वयं सहायता समूहों आदि के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है। ग्राम पंचायतें इस संबंध में निम्नलिखित सहायता प्रदान कर सकती हैं :

- लघु वित्त प्रदान करने के लिए समुदायों, व्यक्तियों और उद्यमों की पहचान करना,
- लघु उद्योग तथा कृषि विकास की योजनाओं में स्थानीय उद्यमों/कुटीर उद्योगों/कारीगरों को शामिल करने के उद्देश्य से अपने गांव में बैंक सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना,
- लघु वित्तपोषण के विकास की संभावनाओं में आने वाली स्थानीय बाधाओं का पता लगाना और उन्हें दूर करना,
- ऐसी योजनाएं बनाना जिनमें स्थानीय संसाधनों का उपयोग हो तथा स्थानीय उद्यमों को बढ़ावा मिल सके,
- गांवों में मूलभूत सुविधाएं बढ़ाना और इसके लिए सरकारी योजनाओं का पूरा फायदा उठाने के साथ-साथ बाहरी निवेश को आकर्षित करना,

- सीमांत, लघु, भूमिहीन किसानों और गरीब वर्ग के उत्थान के लिए अतिरिक्त उपाय करना,
- विभिन्न सरकारी योजनाओं को लागू करना तथा उनके प्रयोग पर निगरानी रखना ताकि उनका उचित उपयोग हो,
- वैकल्पिक आय/रोजगार के साधनों का विकास करना,
- गैर-सरकारी संगठनों और स्वयं सहायता संगठनों/समूहों को बढ़ावा देना,
- निर्धन लोगों के लिए बैंकों को सामाजिक जमानत देने की पहल/व्यवस्था करना।

वास्तव में, ग्रामीण क्षेत्र में लघु वित्तपोषण हेतु अपार संभावनाएं मौजूद हैं। इस कारण बैंक अब लघु वित्त के क्षेत्र में अधिकाधिक रुचि प्रदर्शित कर रहे हैं। ग्राम पंचायतें इसे अपने लोगों को रोजगार देने और उनका जीवन-स्तर बढ़ाने के एक बेहतरीन अवसर के रूप में बदल सकती हैं। इसके लिए उपर्युक्त कार्यों को अंजाम देने के लिए उन्हें बैंकों, गैर-सरकारी संगठनों और एजेंसियों के साथ मिलकर काम करना होगा।

किसान क्रेडिट कार्ड और जनरल क्रेडिट कार्ड का प्रयोग बढ़ाना :

किसान क्रेडिट कार्ड योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए बैंकों से आसानी से, समय पर और किफायती दर से पर्याप्त वित्त उपलब्ध कराना है। इसमें सबसे उल्लेखनीय योगदान सहकारी बैंकों का रहा है क्योंकि ये अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों में ही काम कर रहे हैं और किसानों से सीधे रूप से जुड़े हैं।

ग्रामीणों की उपभोग संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जनरल क्रेडिट कार्ड योजना भी बैंकों ने लागू की है। इन योजनाओं की उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए ग्राम पंचायतें इन्हें लोकप्रिय बनाने, इनके लाभों से गांववासियों को परिचित कराने में बैंकों से सहयोग करने के साथ-साथ स्वयं भी विशेष अभियान चला सकती हैं। साथ ही, परामर्श सेवाएं

प्रदान करने, विभिन्न औपचारिकताएं पूरी करने और जमानत आदि की व्यवस्था करने में भी ग्राम पंचायतें योगदान कर सकती हैं।

बैंक ऋणों की वसूली में सहायता :

बांग्ला देश ग्रामीण बैंक, गरीबों और यहां तक कि भिखारियों तक को भी गैर-जमानती ऋण देता है। फिर भी, ऋणों की वसूली में कोई समस्या नहीं आती क्योंकि साथी सदस्यों का नैतिक दबाव उन्हें समय पर ब्याज और मूल राशि की चुकौती के लिए बाध्य करता है। हमारे यहां भी यह तरीका अपनाया जा सकता है। बैंकों की ऋण चुकौती के लिए अन्य उपायों के साथ-साथ ग्राम पंचायतों द्वारा नैतिक दबाव के उपर्युक्त उपाय को अपनाना बहुत अच्छा परिणाम दे सकता है। ग्राम पंचायतें स्थानीय प्रशासन संबंधी अधिकार तो रखती ही हैं, गांवों में सरपंच और पंचों को काफी सम्मान हासिल है और उनकी बातों को सिर माथे पर लिया जाता है। अतः यदि ये ऋण चुकौती के लिए नैतिक दबाव डालेंगे तो निश्चित तौर पर इसके सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे। इस प्रकार, गांव के ये चुने हुए और सम्मानित/प्रतिष्ठित लोग बैंकों

के ऋणों की वसूली में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं।

हमने ऊपर इस बात पर चर्चा की है कि गांवों के विकास और ग्रामीण उद्योग-धंधों की उन्नति में बैंकों की अहम् भूमिका है। ग्राम पंचायतों का उद्देश्य भी गांव का विकास करना और गांववासियों के जीवन-स्तर को ऊंचा उठाना है। उद्देश्य की यह समानता दोनों को एक-दूसरे के निकट आने और परस्पर सहयोग करने के लिए बाध्य करती है। यदि यह कहा जाए कि ग्राम पंचायतें बैंकों और ग्रामवासियों के बीच सेतु का काम कर सकती हैं तो गलत नहीं होगा। गांवों में बैंकों की शाखाएं खुलने/खुलवाने से लेकर ग्राम पंचायतें जानकारियां एकत्रित करने, बैंकों और उनकी योजनाओं की जानकारी देने, बचत का महत्व समझाने, खाते खुलवाने, स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा देने और उन्हें बैंक ऋण दिलवाने में उल्लेखनीय भूमिका निभा सकती हैं। यही नहीं, बैंक ऋणों की वसूली में भी सहायता कर ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं की उपलब्धता और विस्तार में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती हैं। जरूरत इस बात की है कि वे अपनी इस अहम् भूमिका के प्रति जागरूक बनें और उसे निष्ठापूर्वक निभाएं।

अंग्रेजी के वर्णों को देवनागरी लिपि में लिखा जाना - मानकीकरण

हिंदी में अंग्रेजी वर्णों की देवनागरी वर्तनी में एकरूपता बनाए रखने के लिए केंद्रीय हिंदी निदेशालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली ने अंग्रेजी वर्णों के निम्नलिखित देवनागरी लिपि चिह्नों को मानक माना है:

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
ए	बी	सी	डी	ई	एफ	जी	एच	आई	जे	के	एल	एम
N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
एन	ओ	पी	क्यू	आर	एस	टी	यू	वी	डब्ल्यू	एक्स	वाई	जेड

बुनियादी संरचना हेतु बैंकों द्वारा वित्तपोषण

बुनियादी संरचना को भौतिक सुविधाओं के उस फ्रेमवर्क के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिसके द्वारा जनता को आवश्यक वस्तुएं और सेवाएं प्रदान की जाती हैं। इसमें सेवाओं और परिवहन का बहुत बड़ा क्षेत्र शामिल है। बुनियादी संरचना का विकास अर्थव्यवस्था के विकास की प्रमुख शर्त है। देश की बुनियादी संरचना के विकास का जिम्मा प्रमुखतः सरकार का होता है तथा इस विकास के लिए बहुत से संसाधनों की आवश्यकता होती है। विकास की बड़ी-बड़ी योजनाओं को, जिनके लिए धन की प्रचुर आवश्यकता होती है, सरकार अकेले पूरा नहीं कर सकती। अतः फंडिंग और विकास की इन बृहद योजनाओं के लिए **पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (साझेदारी)** एक अच्छे विकल्प के रूप में उभर कर सामने आयी है।

‘बुनियादी संरचना’ क्या है ?

भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुसार निम्नलिखित क्षेत्रों या इसी तरह की अन्य बुनियादी सुविधाओं के विकास या संचालन और देखरेख या विकास को बुनियादी संरचना माना जाएगा-

- सड़क, टोल सड़क, पुल या रेल परियोजना,
- राजमार्ग परियोजना तथा उससे संबंधित अन्य गतिविधियां,
- बंदरगाह, हवाई अड्डा, आंतरिक जलमार्ग या आंतरिक बंदरगाह,
- जल आपूर्ति परियोजना, सिंचाई परियोजना, जल उपचार योजना, साफ सफाई का प्रबंध और सीवरेज प्रणाली या ठोस अवशिष्ट प्रबंधन प्रणाली,

विकास की बड़ी-बड़ी योजनाओं को जिनके लिए धन की प्रचुर आवश्यकता होती है, सरकार अकेले पूरा नहीं कर सकती। अतः फंडिंग और विकास की इन बृहद योजनाओं के लिए **पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (साझेदारी)** एक अच्छे विकल्प के रूप में उभर कर सामने आयी है।

- दूर संचार सेवाएं चाहे वे बेसिक फोन से संबंधित हों या सेल्यूलर फोन से, रेडियो पेजिंग, घरेलू उपग्रह सेवाएं (दूरसंचार सेवाओं के लिए भारतीय कंपनी द्वारा धारित व संचालित उपग्रह) टेलीकॉम टॉवर, ट्रकिंग नेटवर्क, ब्राडबैंड नेटवर्क और इंटरनेट सेवाएं,
- औद्योगिक पार्क या विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज),
- विद्युत उत्पादन या उत्पादन और वितरण के साथ ही साथ नवीनीकृत ऊर्जा स्रोतों जैसे पवन, बायोमास, सौर, छोटे जल स्रोतों पर आधारित ऊर्जा परियोजनाएं भी इसमें शामिल हैं,
- नई संचरण या वितरण लाइन बिछाकर ऊर्जा का संचरण या वितरण,
- एग्रो प्रोसेसिंग परियोजनाएं और कृषि के लिए नए निवेश प्रदान करना,
- संसाधित कृषि उत्पादों के परिरक्षण और भंडारण की योजनाएं, जल्द खराब होने वाले उत्पादों जैसे फल, सब्जियों और फूलों से संबंधित योजनाएं, जिनमें गुणवत्ता परीक्षण की सुविधाएं भी शामिल हैं,
- शिक्षण संस्थाएं एवं अस्पताल,
- गैस, क्रूड ऑयल, पेट्रोल, खनिज तेल, सिटी गैस पाइपलाइन बिछाना और/या उनका प्रबंधन करना,
- इसी तरह की अन्य बुनियादी सुविधाएं।

* सहायक प्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई

बुनियादी संरचना क्यों आवश्यक है ?

- बुनियादी सुविधाएं अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई हैं तथा ये उत्पादन और उपभोग को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती हैं,
- देश के संपूर्ण आर्थिक विकास के लिए पर्याप्त बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता जरूरी है,
- बुनियादी संरचना को वृद्धि के पहिए या इंजन के रूप में जाना जाता है,
- बुनियादी संरचना अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों की तीव्र वृद्धि की कुंजी है, जो जीडीपी और आर्थिक स्थिरता में समग्र वृद्धि करती है,
- 1990 से, जब से भारत ने अपनी बुनियादी संरचना के विकास को महत्व देना शुरू किया है, जीडीपी में लगातार वृद्धि हो रही है।

2009-10 में वैश्विक मंदी के दौर में हमारी जीडीपी वृद्धि दर 7.4 प्रतिशत थी तथा 2010-11 में इसके 8.5 प्रतिशत होने का लक्ष्य है। भारत का लक्ष्य है कि उसकी जीडीपी वृद्धि दर दो अंकों में पहुंच जाए तथा 2020 तक वह वित्तीय सुपर पावर बन जाए।

बुनियादी संरचना के लिए कितने निवेश की आवश्यकता है?

विकासशील देशों के लिए यह आवश्यक है कि वे प्रतिवर्ष अपने जीडीपी का 5 प्रतिशत निवेश बुनियादी संरचना पर करें तथा आर्थिक वृद्धि, बढ़ती जनसंख्या, तीव्र शहरीकरण और अन्य कारणों से यह आंकड़ा समय के साथ निरंतर बढ़ता रहेगा।

- 11वीं पंचवर्षीय योजना (2007-12) में जीडीपी का 9 प्रतिशत अर्थात् 20,56,151 करोड़ रुपये बुनियादी संरचना के लिए आबंटित किए गए हैं।
- यह अपेक्षित है कि इस बृहद निवेश का 30 प्रतिशत वित्तपोषण निजी क्षेत्र द्वारा किया जाएगा।

- 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए अनुमानित निवेश 1 ट्रिलियन है।

‘बुनियादी संरचना के लिए ऋण’ में क्या-क्या शामिल है?

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार बुनियादी संरचना के लिए ऋणदाता (जैसे बैंक, वित्तीय संस्थाएं या एनबीएफसी) द्वारा किसी भी रूप में दी गई क्रेडिट सुविधा ‘बुनियादी संरचना के ऋण’ में शामिल है।

सीधे तौर पर यह कहा जा सकता है कि उधार लेने वाली कंपनी, जो उपर्युक्त क्षेत्रों से संबंधित बुनियादी योजनाओं के निर्माण या संचालन या प्रबंधन में लगी है, को दी जाने वाली क्रेडिट सुविधा इसके अंतर्गत आती है।

वित्तपोषण के मानदंड क्या हैं?

निम्नलिखित शर्तों के तहत बैंक/वित्तीय संस्थाएं सरकारी व निजी क्षेत्रों द्वारा लिए गए तकनीकी रूप से व्यवहार्य, वित्तीय रूप से सक्षम और बैंक द्वारा स्वीकार्य किसी भी योजना में वित्तपोषण के लिए स्वतंत्र हैं :

- स्वीकृत राशि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बुनियादी संरचना के वित्तपोषण के लिए निर्धारित की गई प्रूडेंशियल एक्सपोजर सीमा के अंदर होनी चाहिए।
- योजना की तकनीकी व्यवहार्यता, वित्तीय क्षमता और बैंक स्वीकार्यता का मूल्यांकन करने के लिए बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के पास आवश्यक विशेषज्ञता होनी चाहिए।
- सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों की परियोजनाओं के संबंध में, मीयादी ऋण केवल कंपनी इकाइयों (अर्थात् कंपनी अधिनियम के अधीन पंजीकृत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या संबंधित कानून के अधीन स्थापित कोई निगम) के लिए ही मंजूर किए जाएं। इसके अतिरिक्त, ऐसी मीयादी ऋण परियोजना बजटीय संसाधनों के बदले में या उनके स्थान पर नहीं होनी चाहिए। मीयादी ऋण बजटीय संसाधनों में वृद्धि कर सकते हैं, यदि परियोजना

के डिजाइन में ऐसी वृद्धि करने पर विचार किया गया हो। हालांकि ऐसी सार्वजनिक इकाइयां बुनियादी सुविधा परियोजनाओं में वित्तपोषण के लिए कंपनी अधिनियम के अधीन पंजीकृत एसपीवी को शामिल कर सकती हैं लेकिन बैंक तथा वित्तीय संस्थाएं यह सुनिश्चित करें कि ऋणों/निवेशों का उपयोग राज्य सरकारों के बजट के वित्तपोषण के लिए न किया जाए। ऐसा वित्तपोषण चाहे ऋण द्वारा किया जाए या बांड में निवेश करके किया जाए लेकिन बैंक तथा वित्तीय संस्थाएं ऐसी परियोजनाओं की अर्थक्षमता तथा उन्हें बैंकिंग सुविधाएं देने के संबंध में पर्याप्त सावधानी बरतें ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि परियोजना का राजस्व प्रवाह ऋण शोधन दायित्वों को पूरा करने के लिए पर्याप्त है तथा ऋण की चुकौती/ऋण शोधन बजटीय संसाधनों में से नहीं की जा रही।

- बैंक निजी क्षेत्र के उन एसपीवी को भी ऋण दे सकते हैं जो कंपनी अधिनियम के तहत सीधे ही बुनियादी संरचना की योजना का दायित्व लेने के लिए पंजीकृत हों, ये योजनाएं वित्तीय रूप से व्यवहार्य हों तथा मात्र वित्तीय मध्यस्थ न हों। बैंक यह सुनिश्चित करे कि प्रायोजक कंपनी का दिवालियापन या वित्तीय परेशानी एसपीवी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित न करे।

पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी)

पीपीपी या पी 3 ऐसी सरकारी सेवा या निजी व्यवसाय है जो सरकार की और निजी क्षेत्र की एक या अधिक कंपनी द्वारा वित्तपोषित और संचालित है। पीपीपी में सरकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र की कंपनी के बीच एक संविदा होती है, जिसमें निजी क्षेत्र द्वारा सरकारी सेवा प्रदान की जाती है या योजना बनाई जाती है और उसमें होने वाले वित्तीय, तकनीकी और संचालन संबंधी जोखिम का अनुमान लगाया जाता है। कुछ पीपीपी में सेवा का शुल्क उसका उपयोग करने वाले व्यक्ति द्वारा ही अदा किया जाता है सामान्य करदाता द्वारा नहीं।

पीपीपी योजना बुनियादी सेवा, संपत्ति के निर्माण और देखरेख के लिए सरकार या सांविधिक अस्तित्व वाली संस्था और निजी क्षेत्र की कंपनी के बीच की संविदा है।

पीपीपी क्यों आवश्यक है?

बुनियादी संरचना के विकास के लिए सरकार के पास पर्याप्त पूंजी का अभाव होता है तथा इसके लिए आवश्यक पूर्ण व्यवसायिकता को निजी क्षेत्र द्वारा ही पूरा किया जा सकता है। निजी साझेदारी से जोखिम का बंटवारा हो जाता है तथा अच्छी गुणवत्ता वाली सेवाएं लंबे समय तक प्रदान की जा सकती हैं। इस प्रकार बुनियादी संरचना के तीव्र विकास से अर्थव्यवस्था की वृद्धि में तेजी आ जाती है।

पीपीपी की सफलता के लिए आवश्यक तत्व

पीपीपी के लिए गठित नेशनल काउन्सिल के अनुसार इन योजनाओं की सफलता के लिए निम्नलिखित छः तत्व आवश्यक हैं :

- राजनीतिक नेतृत्व
- सरकारी क्षेत्र की सहभागिता
- अच्छी योजना
- समर्पित आय प्रवाह
- सभी हितधारकों से संवाद
- सही साझेदार का चयन

पीपीपी प्रक्रिया - परियोजना का जीवनचक्र

- अवसर की पहचान करना
- अवसर का अनुमान लगाना
- टेंडर बनाना
- साझेदार का चयन करना
- संविदा निर्माण
- योजना का कार्यान्वयन
- योजना के निष्पादन पर निगरानी
- योजना का निष्कर्ष

विभिन्न योजनाओं के निर्माण, प्रबंध, स्थानांतरण व स्वामित्व के आधार पर पीपीपी के विभिन्न मॉडल तथा विभिन्न संविदा सेवाएं प्रचलित हैं।

बुनियादी संरचना हेतु बैंकों द्वारा वित्तपोषण की आवश्यकता क्यों पड़ी?

आईडीबीआई, आईसीआईसीआई जैसी अखिल भारतीय संस्थाएं, जो अवधि विशेष के लिए ऋण देती थीं, वाणिज्यिक बैंकों में बदल गईं, जिससे ऋण देने का एकाधिकार समाप्त हो गया तथा अन्य वाणिज्यिक बैंक भी इस क्षेत्र में आ गए।

- एनबीएफसी, पीएफसी, एनपीसी, आईआरएफसी, आईएल और एफएस इत्यादि के पास भी अकेले इतनी पूंजी नहीं है कि वे इस क्षेत्र की आवश्यकता को पूरी कर सकें।
- अच्छी गति से अत्यधिक आर्थिक प्रगति प्राप्त करने के लिए सरकार ने बुनियादी संरचना की बहुत सी योजनाएं एक साथ शुरू कर दीं और लगातार बड़ी पूंजी की आवश्यकता महसूस हुई।
- 1990 के मध्य से आज तक यानी पिछले 15 सालों से आर्थिक उदारीकरण और वित्तीय मध्यस्थहीनता के कारण बैंकिंग क्षेत्र में चलनिधि सुविधाजनक स्थिति में है, जिससे बैंक लंबी अवधि के ऋण देने की स्थिति में हैं।
- बुनियादी संरचना से आर्थिक उत्कर्ष का अनुमान लगाकर बड़े-बड़े औद्योगिक घरानों ने बड़ी बुनियादी संरचना विकास कंपनियां बना ली हैं और ऐसी बड़ी कंपनियों को पूंजी उपलब्ध करवाना बैंकों को ज्यादा सुविधाजनक लगा।
- उत्पादन क्षेत्र की अपेक्षा बुनियादी संरचना की योजनाओं में क्रेडिट की अधिक मांग है और बैंकों ने इसका फायदा उठाया।
- आयकर की धारा 10 (23जी) के अनुसार बुनियादी संरचना के लिए दिए गए ऋण पर बैंकों को प्राप्त होने

वाले ब्याज को आयकर के तहत छूट प्राप्त है।

- 1990 के अंत में बैंकों ने एक सुदृढ़ एएलएम प्रक्रिया स्थापित की, जिससे इस क्षेत्र के लिए ऋण प्रदान करना और सुविधाजनक हो गया।
- इस क्षेत्र के बढ़ने के साथ बुनियादी संरचना के वित्तपोषण के लिए ऋण संघ (लोन सिंडिकेशन) सबसे अच्छे तरीके के रूप में उभर कर सामने आया। ऋण संघ स्थापित करने के लिए इसने बैंकों को मर्चेण्ट बैंकिंग डिविजन (जैसे एसबीआई कैप आदि) प्रारंभ करने को प्रेरित किया।

बुनियादी संरचना के लिए बैंकों द्वारा दिए जानेवाले ऋण में लगातार वृद्धि हो रही है तथा यह मार्च 2005 के 6 प्रतिशत से बढ़कर मार्च 2009 में 9.25 प्रतिशत हो गया।

बुनियादी संरचना संबंधी योजना हेतु बैंकों द्वारा किस प्रकार की सुविधाएं प्रदान की जाती हैं?

सामान्यतः बैंक लंबी अवधि के ऋण प्रदान करते हैं जिनकी समयावधि 7 से 12 या 15 साल होती है। फंडिंग के अलावा बैंक अन्य सुविधाएं भी देते हैं जैसे संविदा के निष्पादन के लिए बोली में भाग लेने हेतु गारंटी और मशीनरी की खरीद/आयात के लिए एलसी (LCs) प्रदान करना। जब योजना पूरी हो जाती है और वाणिज्यिक संचालन में होती है तब पूंजी और गैर-पूंजी आधारित दोनों प्रकार की सुविधाएं बैंकों द्वारा प्रदान की जाती हैं।

बैंक ऐसे प्रमोटरों के शेयर के अधिग्रहण के लिए भी उधार देते हैं जो निर्धारित शर्तों के तहत भारत में योजना के कार्यान्वयन में लगे हुए हों।

बैंक द्वारा किए जा रहे वित्तपोषण की मुख्य समस्याएं

लंबी अवधि के ऋण और एएलएम - दोनों बेमेल हैं

वर्तमान में बैंकों में अधिकतर जमा कम अवधि की हैं, जिसकी परिपक्वता अवधि 2 से 3 वर्ष की है इसलिए लंबी अवधि के ऋण तथा परिपक्वता अवधि दोनों में असंतुलन है तथा इसने बैंकों की आस्ति देयता समिति (Asset Liability Committee) के समक्ष चुनौती उत्पन्न कर दी है।

भविष्य में होने वाली धन प्राप्ति ही योजना के ऋण की चुकौती का तरीका

बुनियादी संरचना के लिए दिया जाने वाला ऋण भविष्य में होने वाले धन प्रवाह पर आधारित ऋण है, बैलेंसशीट आधारित नहीं। योजना के ऋण की चुकौती का आधार भविष्य में होने वाला धन प्रवाह ही है। कुछ बुनियादी संरचना परियोजनाएं जैसे-बिजली परियोजनाओं आदि से होने वाले धन प्रवाह पर कुछ सीमा तक विश्वास किया जा सकता है लेकिन सड़क योजना पर नहीं, विशेषतः जब यह एन्यूटी (वार्षिकी) आधार पर न हो।

बुनियादी संरचना ऋण हेतु जमानत

सामान्यतः योजना की सम्पत्ति ही ऋण की जमानत होती है। ऊर्जा क्षेत्र हेतु दिए गए ऋण के लिए उस क्षेत्र की सम्पत्ति को ही ऋण की जमानत माना जाता है। परंतु सड़क, पुल और बाँध आदि योजनाओं के मामलों में उनकी सम्पत्ति को बैंक ऋण हेतु जमानत नहीं माना जा सकता। साथ ही, भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देश के तहत अधिकार लाइसेंस, अनुज्ञप्ति आदि, जो बैंकों पर भी समानान्तर रूप से आरोपित हैं, की गिनती वास्तविक प्रतिभूति के रूप में नहीं होती। अतः ऐसे अग्रिम प्रतिभूति रहित माने जाते हैं।

वाणिज्यिक संचालन में देरी - परिणामतः ऋण की अवधि में लगातार वृद्धि

बुनियादी परियोजनाओं में प्रमुख जोखिम है, योजना के कार्यान्वयन में होने वाली देरी। यह सड़क परियोजनाओं के मामलों में अधिकतर होता है क्योंकि जमीन अधिगृहीत करने और रास्ते का अधिकार प्राप्त करने में समय लगता है। इन सभी कारणों से वाणिज्यिक संचालन में देरी होती है तथा इसके परिणामस्वरूप ऋण की अवधि व पुनर्भुगतान के समय में भी लगातार वृद्धि होती है।

एसपीवी को ऋण देने में जोखिम अधिक

बुनियादी संरचना क्षेत्र की परियोजनाओं का कार्यान्वयन एसपीवी द्वारा किया जाता है। ये बिल्कुल नई कंपनियां होती हैं तथा प्रायोजक इनसे हमेशा दूरी बनाए रखते हैं। अतः इन्हें

ऋण देने में 100 प्रतिशत या उससे भी अधिक की जोखिम होती है।

समूह में ऋण पर विवेकपूर्ण एक्सपोजर सीमा लागू होती है

एसपीवी की इक्विटी में प्रायोजकों का योगदान होता है इसलिए उन्हें समूह कंपनी माना जाता है तथा उन पर बैंक की पूंजी की 50 प्रतिशत तक की विवेकपूर्ण एक्सपोजर सीमा लागू होती है। कई मामलों में इस आधार पर बैंकों की उधार देने की क्षमता पर रोक लगी होती है।

उद्योग क्षेत्र के आधार पर बैंकों द्वारा वित्तपोषण

जिन योजनाओं में अधिक पूंजी की आवश्यकता है या जो अधिक लंबी अवधि की हैं, उनके लिए सामान्य तथा बड़े बैंक ही ऋण प्रदान करते हैं।

चूंकि इस क्षेत्र में अधिकतर बैंकों की ऋण देने की सीमा निश्चित होती है अतः वास्तव में ऋण या तो इस सीमा से कुछ अधिक या इसके आस-पास होता है।

ब्याज दर पुनर्निर्धारण

सामान्यतः बुनियादी संरचना के ऋण की ब्याज दर निश्चित होती है तथा हर वर्ष के अंत में उसके पुनर्निर्धारण का विकल्प या अन्य कोई शर्त, जिस पर सहमति हुई हो, इसके साथ जुड़ी होती है। सामान्यतः जहां ब्याज दर पुनर्निर्धारण का विकल्प होता है वहां यदि ब्याज दर पुनर्निर्धारण के समय ऋण चुकाया जाता है तो कोई जुर्माना नहीं लगता।

बैंक वर्तमान ब्याज दर के आधार पर ब्याज का पुनर्निर्धारण करता है और ऋणी को उसकी सूचना देता है। यदि ऋणी को स्वीकार्य हो तो वह ऋण को जारी रखता है अन्यथा कहीं और से ऋण लेकर उस ऋण को चुकता कर देता है। इस प्रकार ऋण लेने वाला ब्याज दर पुनर्निर्धारण का लाभ उठाना चाहता है लेकिन हर बार दोनों (बैंक तथा ऋणी) की जीत नहीं हो सकती।

ऋण का वापस न आना

सरकार/रिज़र्व बैंक की ओर से बैंकों को सहयोग

बैंकों द्वारा निभाई जा रही महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक दोनों ही बैंकों को निम्नलिखित सहयोग देने पर विचार कर रहे हैं :

- आयकर की धारा 10(23जी) के प्रावधानों पर पुनर्विचार करना।
- विशेष मामलों में टोल प्राप्ति के हस्तांतरण के अधिकार, लाइसेंस, अनुज्ञप्तियों आदि को ऋण प्राप्ति के रूप में माना जाए।
- जोखिम निर्धारण के लिए एसपीवी को प्रायोजक के समान माना जाए।
- समूह को दिए गए ऋण को एसपीवी से जोड़कर न देखा जाए।
- बैंकों को करमुक्त इन्फ्रास्ट्रक्चर बांड जारी करने की अनुमति दी जाए और पूंजी पर्याप्तता (कैपिटल एडीक्वैसी) के उद्देश्य से इसे पूंजी के टियर II के भाग के रूप में माना जाए।
- जल आपूर्ति परियोजना, सिंचाई, जल उपचार योजना, साफ-सफाई, सीवरेज या ठोस अवशिष्ट प्रणाली,

नवीनीकृत किए जा सकने योग्य ऊर्जा स्रोतों जैसे- पवन, बायोमास, सौर, छोटे जल स्रोतों आदि शक्ति परियोजनाओं, संसाधित कृषि उत्पादों के परिरक्षण व भंडारण, जल्द खराब होने वाले उत्पादों जैसे फल, सब्जियों फूलों से संबंधित योजनाओं, जिनमें गुणवत्ता परीक्षण की सुविधा भी शामिल है, एग्रो प्रोसेसिंग और कृषि के लिए नये निवेश करने आदि के लिए दिए जाने वाले ऋण की मात्रा को न देखते हुए उसे प्रमुख क्षेत्रों को दिये जाने वाले ऋण के भाग के रूप में माना जाये।

- बैंकों द्वारा दिए जा रहे ऋण के कुछ प्रतिशत तक रिज़र्व बैंक, आईडीएफसी, आईआईएफसीएल उन्हें पुनर्वित्त सहायता दें और इस पुनर्वित्त को बैंकों के एएलएम (ALM) के प्रयोजन के लिए अल्पावधि अन्तर्वाह के स्रोत के रूप में माना जाए।

उपर्युक्त वर्णित कारणों से इतनी बड़ी विकास योजनाओं के लिए बैंक अकेले ही पूंजी उपलब्ध नहीं करा सकते। अतः इस बृहद आवश्यकता की पूर्ति के लिए 1996 में आयी डॉ. राकेश मोहन समिति के सुझाव के अनुसार बांड बाजार को विकसित करना जरूरी है। इसके अलावा, पीएफ व एलआईसी और अन्य संस्थाओं को भी इस ओर पूंजी प्रवाह को प्रमुखता देनी होगी। साथ ही, यह आवश्यक है कि रिज़र्व बैंक व सरकार के सहयोग से बैंक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निरंतर अदा करते रहें।

इन्फ्रास्ट्रक्चर वित्तीयन

- योजना आयोग ने बारहवीं पंचवर्षीय योजना (2012-2017) के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में 40,99,240 करोड़ रुपये (लगभग 1,025 बिलियन अमरीकी डॉलर) के निवेश की आवश्यकता का अनुमान किया है, जिसे राजकोषीय दबावों के चलते केवल सार्वजनिक क्षेत्र के द्वारा पूरा नहीं किया जा सकता है।
- इन्फ्रास्ट्रक्चर में सकल पूंजी निर्माण जीडीपी के लगभग 5 प्रतिशत के आस-पास रहा है और 2012 तक इसके 11वीं पंचवर्षीय योजना (2007-2012) के जीडीपी के 9 प्रतिशत के लक्ष्य से कम रहने की संभावना है तथा यह लक्ष्य कुछ एशियाई देशों द्वारा प्राप्त स्तर के भी बराबर है। भारत में इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए बैंक ऋण के हिस्से में काफी वृद्धि हुई है और यह मार्च 2011 के अंत में लगभग 13.4 प्रतिशत हो गया है। तथापि, वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिये गए ऋण में आस्ति-देयता अंतर के जोखिम की विवशताएं हैं।

स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट 2010-11.

आधार- पहचान का नया आधार

एक कल्याणकारी राज्य होने के कारण हमारे देश की केंद्र और राज्यों की सरकारें जन कल्याण की कई योजनाएं चलाती हैं। गरीबी से नीचे जीवनयापन करने वालों के लिए सस्ते दर पर राशन उपलब्ध कराना, रोजगार हेतु महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना (मनरेगा) सरीखी योजनाएं, इनमें से कुछेक हैं। मगर सरकारों की चिंता हमेशा यह बनी रही है कि इन योजनाओं का वास्तविक लाभ उस व्यक्ति को नहीं मिल पाता है जो इसका पात्र होता है वरन कुछ बिचौलिए या अन्य लोग इनका लाभ उठा लेते हैं और पात्र व्यक्ति को उसका लाभ नहीं मिल पाता। इसी वजह से केंद्र सरकार की यह इच्छा रही कि कोई ऐसा रास्ता खोजा जाए जिससे इन योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्ति को ही मिले। विश्व के कई देशों में इसका समाधान नागरिकों को पहचान संख्या देकर किया गया है। जब यह बात हमारे यहां उठाई गई तब कुछ आपत्तियां सामने आई कि मतदाता पहचान कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड सरीखे पहचान संबंधी कई दस्तावेज उपलब्ध होने के बावजूद क्या एक और कार्ड की आवश्यकता है। इस आपत्ति का निराकरण करते हुए यह उल्लेख किया गया कि आज भी देश में ऐसी बहुत बड़ी आबादी है जिसके पास अपनी पहचान साबित करने का कोई जरिया नहीं है। ऐसे व्यक्ति जब बैंक में अपना खाता खोलने जाते हैं तो किसी भी तरह का पहचान पत्र न होने की स्थिति में वे खाता नहीं खोल पाते हैं और हम जिस वित्तीय समावेशन की बात करते हैं वह वहीं फेल हो जाता है।

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) का गठन

सरकार ने इन सब समस्याओं को समझा तथा मार्च 2006 में संचार मंत्रालय के तहत विशिष्ट पहचान हेतु एक प्रोजेक्ट चलाया, जिसे “गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वालों के लिए विशिष्ट पहचान संख्या” का नाम दिया गया। आइये, सबसे पहले हम एक नज़र यूआईडीएआई की गठन प्रक्रिया पर डाल लें। जुलाई 2006 में योजना आयोग के तत्कालीन प्रधान परामर्शदाता डॉ. अरविंद विरमानी की अध्यक्षता में एक संसाधन समिति बनाई गई जिसको इस प्रोजेक्ट हेतु एक

कोर डेटाबेस बनाने, उसको अद्यतन करने, उसमें संशोधन करने आदि का काम सौंपा गया। बाद में मेसर्स विप्रो लिमिटेड ने ‘स्ट्रैटेजिक विज़न ऑन दि यूआईडीएआई प्रोजेक्ट’ तैयार किया तथा इस समिति को सौंपा। इसमें इस बात पर जोर दिया गया कि अपने डेटाबेस के लिए यूआईडीएआई को मतदाता डेटाबेस का सहयोग लेना चाहिए।

बाद में इस वास्ते प्रधानमंत्री के अनुमोदन से मंत्रियों के एक दल (जीओएम) का गठन 04 दिसंबर 2006 को किया गया। इस दल की पहली बैठक 27 नवंबर 2007 को हुई। इसमें नागरिकों का डेटाबेस बनाने की आवश्यकता को महसूस किया गया तथा इसके लिए यह आवश्यक समझा गया कि यह डेटा पहले से ही सृजित डेटा जैसे कि मतदाता सूची आदि से लिया जा सकता है तथा कोई संस्था ऐसी हो जो इसके रखरखाव एवं इसे अद्यतन करने का काम भी देखती रहे। 28 जनवरी 2008 की अपनी दूसरी बैठक में दल ने योजना आयोग के तहत भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के गठन प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की। 07 अगस्त 2008 को हुई इस दल की तीसरी बैठक में यूआईडीएआई के गठन के बारे में योजना आयोग की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। इसमें आयोग ने कतिपय मुद्दे उठाए थे जिन्हें जांच हेतु सचिवों के दल को भेज दिया गया, जिसे अपनी सिफारिशों से मंत्रियों के दल को अवगत कराना था। 04 नवंबर 2008 को हुई बैठक में सचिवों के दल ने अपनी सिफारिशें मंत्रियों के दल के समक्ष रखीं और उनके आधार पर निर्णय लिए गए कि :

- आरंभ में यूआईडीएआई को कार्यकारी प्राधिकारी के रूप में अधिसूचित किया जाए, सांविधिक प्राधिकारी के रूप में इसे अधिसूचित करने पर बाद में विचार किया जा सकता है;
- शुरू में यूआईडीएआई मतदाता सूची से अपना डेटाबेस तैयार कर सकता है तथा डेटाबेस तैयार करने के बारे में अपना निर्णय स्वयं ले सकता है;

* प्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक, लखनऊ

- पहले पांच वर्ष यह योजना आयोग के तहत कार्य करेगा, बाद में इसके सरकारी ढांचे के तहत रहने पर निर्णय लिया जाए;
- इसके संस्थागत ढांचे के बारे में योजना आयोग अलग से विस्तृत प्रस्ताव दे;
- केंद्रीय स्तर पर यूआईडीएआई के साथ-साथ राज्य स्तर पर यूआईडीएआई के 3 कर्मियों की कोर टीम को मंजूरी;
- यूआईडीएआई को दिसंबर 2009 का लक्ष्य दिया गया कि इस समय तक वह प्राधिकृत उपयोगकर्ताओं का एक वर्ग तैयार करे;
- स्टाफ संबंधी आवश्यकताओं हेतु कैबिनेट सचिव एक बैठक बुलाए जिसमें समान्य प्रक्रिया के अनुसार निर्णय लिए जाएं।

मंत्रियों के दल की 04 नवंबर 2008 को संपन्न हुई बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) का गठन किया गया तथा 28 जनवरी 2009 को योजना आयोग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी। योजना आयोग के तत्वावधान में 115 सदस्यों के कोर दल ने काम करना शुरू कर दिया।

02 जुलाई 2009 को सरकार ने श्री नंदन एम. नीलकेणि को कैबिनेट मंत्री का दर्जा देते हुए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) का पांच वर्ष के लिए चेयरमैन नियुक्त किया तथा उन्होंने 23 जुलाई 2009 को पदभार ग्रहण किया। उनकी नियुक्ति की मीडिया में बहुत चर्चा रही थी। इसके पश्चात यूआईडीएआई पर प्रधानमंत्री की काउंसिल भी बनाई गई जिसकी स्थापना 30 जुलाई 2009 को हुई थी। इस काउंसिल का मुख्य उद्देश्य यूआईडीएआई को परामर्श देना, विभिन्न विभागों/मंत्रालयों के साथ समन्वय तथा कार्यान्वयन में सहायता करना है। इसकी बैठक प्रत्येक तिमाही में होती है। बाद में सरकार ने 22 अक्टूबर 2009 को यूआईडीएआई पर एक कैबिनेट समिति भी बनाई। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली इस समिति में वित्त मंत्री, कृषि मंत्री, उपभोक्ता मामलों के मंत्री,

खाद्यान्न मंत्री, गृह मंत्री, विदेश मंत्री, विधि मंत्री, संचार मंत्री, श्रम मंत्री, मानव संसाधन मंत्री, ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री, आवास तथा पर्यटन मंत्री इसके सदस्य बनाए गए हैं। योजना आयोग के उपाध्यक्ष तथा यूआईडीएआई के चेयरमैन इसके विशेष आमंत्रित अतिथि होते हैं।

उद्देश्य

योजना आयोग से संबद्ध इस संस्था का उद्देश्य निवासी भारतीयों को विशिष्ट पहचान संख्या उपलब्ध कराने के लिए आधारभूत संरचना उपलब्ध कराना है। यह एक ऐसा सिस्टम तैयार करेगी जिससे ऑनलाइन रूप में ही लाभप्रद तरीके से व्यक्ति की पहचान सुनिश्चित की जा सके और नकली पहचान की संभावना को जड़ से खत्म किया जा सके। इससे अपेक्षा की गई थी कि अगस्त 2009 से साल-डेढ़ साल की अवधि में यह विशिष्ट पहचान संख्या देना शुरू कर देगी। 29 सितम्बर 2010 को महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले के टेंबली गांव के एक स्कूल में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी ने यूआईडी पहचान पत्र बांटने की शुरुआत की है।

मुख्यालय तथा क्षेत्रीय कार्यालय

इसका मुख्यालय दिल्ली में है तथा श्री नंदन नीलकेणि इसके चेयरमैन तथा श्री आर. एस. शर्मा इसके डायरेक्टर जनरल हैं। इसके विभिन्न स्कंधों के प्रभारी संयुक्त सचिव स्तर के 7 डिप्टी डायरेक्टर जनरल हैं। प्रत्येक डिप्टी डायरेक्टर जनरल के अधीन 21 असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल, 15 डिप्टी डायरेक्टर, 15 सेक्शन ऑफिसर तथा 15 सहायक होते हैं।







क्षेत्रीय कार्यालय डिप्टी डायरेक्टर जनरल के नेतृत्व में काम करता है। 4 असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल, 3 डिप्टी डायरेक्टर, 3 सेक्शन ऑफिसर, 1 सीनियर एकाउंट्स ऑफिसर, 1 एकाउंटेंट तथा पर्सनल स्टाफ इनकी सहायता करते हैं। यूआईडीएआई ने अपने कार्यक्षेत्र की सुविधा के लिए पूरे देश को आठ क्षेत्रों में बांटा है। तदनुसार, इसके क्षेत्रीय कार्यालय चंडीगढ़ (जम्मू और कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़), लखनऊ (उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश), मुंबई (गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दादर और नागर हवेली, दमण और दीव), दिल्ली (मध्य प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, दिल्ली),

रांची (बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल), गुवाहाटी (असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, मिज़ोरम, त्रिपुरा, सिक्किम), बेंगलूर (कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, लक्षदीप), तथा हैदराबाद (आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, अंडमान और निकोबार) में स्थित हैं।

आधार का नामकरण और लोगो

जब बात आई कि इस विशिष्ट पहचान संख्या का नामकरण क्या किया जाए तो एक ही जवाब मिला कि इसका नाम आधार होना चाहिए क्योंकि यह शब्द अधिकांश भारतीय भाषाओं में मिलता है।

आधार कार्ड का नमूना

 आधार	 AADHAAR
भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरण भारत सरकार Unique Identification Authority of India Government of India	निर्देश
नोंदणी क्रमांक/Enrolment No.: 1218/17664/00997	<ul style="list-style-type: none"> ■ आधार ओळखीचे प्रमाण आहे, नागरीकत्वेचे नाही. ■ ओळखीचे प्रमाण ऑनलाइन ऑथेन्टीकेशन द्वारा प्राप्त करा. ■ कोणत्याही प्रकारच्या मदतीकरिता :- फोन नं. 1800 180 1947 वर संपर्क करा, किंवा पी.ओ. बॉक्स नं. 1947, बेंगलूरू-560001 वर पत्र पाठवा, किंवा help@uidai.gov.in वर ईमेल करा.
<p>To: Vishalpratap Motichand Singh (विशालप्रताप मोतीचंद सिंह) Room No.7 Panchratna Society Singh Estate Road No.3 Near Rain Basera Society Kandivali East Mumbai Maharashtra - 400101</p> <p>Date: 29/05/2011</p>	INSTRUCTIONS <ul style="list-style-type: none"> ■ Aadhaar is proof of identity, not of citizenship. ■ To establish identity, authenticate online. ■ In case any help is required :- Call 1800 180 1947 or; Write to P.O. Box No. 1947, Bengaluru - 560 001 or; Email at help@uidai.gov.in
 EY 07499124 5 IN Ref. No : 29052011-02178	
आपला आधार क्रमांक / Your Aadhaar No. : 4914 8301 4886	
आधार – सामान्य माणसाचा अधिकार	
 भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA	 भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरण UNIQUE IDENTIFICATION AUTHORITY OF INDIA
<p>विशालप्रताप मोतीचंद सिंह Vishalpratap Motichand Singh</p> <p>जन्म वर्ष / Year of Birth : 1981 पुरुष / Male</p> <p>4914 8301 4886 </p>	<p>पता : रूम नं.७ पंचरत्न सोसायटी, सिंह इस्टेट रोड नं रेन बसेरा सोसायटी जवळ कांदिवली पूर्व मुंबई, महाराष्ट्र, 400101</p> <p>Address : Room No.7 Panchratna Society, Singh Es Near Rain Basera Society Kandivali East Mumbai, Maharashtra, 400101</p>
आधार – सामान्य माणसाचा अधिकार	Aadhaar - Samanya Maansacha Adhikaar

बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन

आधार के लोगो का निर्धारण करने के लिए फरवरी 2010 में राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रतियोगिता आयोजित की गई थी जिसमें 2000 से ज्यादा प्रविष्टियां प्राप्त हुई थीं। अंततः पुणे निवासी श्री अतुल एस. पांडे की प्रविष्टि को इसके लिए चयनित किया गया। 26 अप्रैल 2010 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में इस लोगो को जारी किया गया। विजेता को एक लाख रुपए का पुरस्कार दिया गया।

आधार हेतु पात्रता

यूआईडीएआई द्वारा निर्धारित सत्यापन प्रक्रिया से गुजरने पर हर एक निवासी भारतीय इसे पाने का हकदार है।

आधार कैसे हासिल किया जाए

जिस क्षेत्र में आधार हेतु नाम दर्ज करवाने का कैंप लगेगा उसके बारे में स्थानीय मीडिया में जानकारी दी जाएगी। निवासी उस स्थान पर जाकर आधार हेतु आवेदन कर सकते हैं। आधार हेतु पंजीकरण करवाने के पश्चात निवासियों की दसों उंगलियों तथा आंखों की पुतलियों की बायोमैट्रिक स्कैनिंग की जाएगी। चूंकि यूआईडीएआई की स्टाफ संख्या इतनी अधिक नहीं है कि वो हर जगह जाकर पंजीकरण का कार्य कर सकें, इसलिए यूआईडीएआई ने राज्य सरकारों एवं कुछ बैंकों/वित्तीय संस्थानों आदि के साथ करार किया है। ये एजेंसियां पंजीकरण का कार्य करेंगी तथा उसके बदले उन्हें प्रति पंजीकरण निश्चित धनराशि अदा की जाएगी।

यूआईडीएआई ने जिन राज्य सरकारों तथा अन्य एजेंसियों के साथ आधार हेतु समझौता किया है उनकी सूची इस प्रकार है:-

राज्य/केंद्र शासित प्रदेश			
1.	अंडमान निकोबार	2.	आंध्र प्रदेश
3.	अरुणाचल प्रदेश	4.	असम
5.	बिहार	6.	चंडीगढ़
7.	छत्तीसगढ़	8.	दादरा नगर हवेली
9.	दमण और दीव	10.	दिल्ली
11.	गोवा	12.	गुजरात
13.	हरियाणा	14.	हिमाचल प्रदेश
15.	जम्मू और कश्मीर	16.	झारखंड

17.	कर्नाटक	18.	केरल
19.	लक्षद्वीप	20.	मध्य प्रदेश
21.	महाराष्ट्र	22.	मणिपुर
23.	मेघालय	24.	मिजोरम
25.	नागालैंड	26.	उड़ीसा
27.	पुदुचेरी	28.	पंजाब
29.	राजस्थान	30.	सिक्किम
31.	तमिलनाडु	32.	त्रिपुरा
33.	उत्तर प्रदेश	34.	उत्तराखंड
35.	पश्चिम बंगाल		

अन्य एजेंसियां

1.	इलाहाबाद बैंक	2.	आंध्रा बैंक
3.	बैंक ऑफ बड़ौदा	4.	बैंक ऑफ इंडिया
5.	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	6.	केनरा बैंक
7.	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	8.	कॉर्पोरेशन बैंक
9.	देना बैंक	10.	डाक विभाग
11.	इग्नू	12.	आईडीबीआई बैंक
13.	इंडियन ओवरसीज बैंक	14.	भारतीय जीवन बीमा निगम
15.	तेल और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	16.	ग्रामीण विकास मंत्रालय
17.	ओरियंटल बैंक ऑफ कामर्स	18.	पंजाब एंड सिंध बैंक
19.	भारतीय स्टेट बैंक	20.	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर
21.	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	22.	सिंडिकेट बैंक
23.	यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	24.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
25.	यूको बैंक	26.	विजया बैंक

आधार : कुछ खास बातें :

अंत में, इसके बारे में कुछ बातें स्पष्ट करना लाजिमी होगा कि:-

- आधार 12 अंकों की एक संख्या है न कि कोई नया कार्ड।

- यह संख्या प्रत्येक व्यक्ति को दी जाएगी।
- यह सिर्फ आपकी पहचान बताएगी, इसके आधार पर भारतीय नागरिकता का दावा नहीं किया जा सकता है। इसमें आपकी जनसांख्यिकी संबंधी तथा बायोमैट्रिक सूचना ही एकत्र की जाएगी। आपकी जाति, धर्म, भाषा सरीखी सूचना एकत्र नहीं की जाएगी।
- यह पूर्णतः स्वैच्छिक है।
- जिन व्यक्तियों के पास आवश्यक कागजात नहीं हैं उनकी पहचान स्थापित करने का कार्य ग्राम प्रधान, पंचायत सदस्य, राजपत्रित अधिकारी आदि अपनी पहचान के माध्यम से करेंगे। इसलिए इसके लिए कोई दस्तावेज विशेष होना जरूरी नहीं है।
- यह प्रत्येक व्यक्ति को एक विशिष्ट पहचान संख्या देगा। इसके बाद अन्य किसी पहचान संबंधी दस्तावेज की आवश्यकता नहीं रह जाएगी।
- किसी भी पहचान संबंधी पूछताछ का उत्तर प्राधिकरण हां या ना में देगा। अतः, आपकी पहचान से संबंधित अन्य सूचनाएं गुप्त ही रहेंगी। वे पब्लिक डोमेन में नहीं जाएंगी।

वित्तीय समावेशन में इसकी भूमिका

इसका सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि जिस किसी भी संस्था

को किसी व्यक्ति विशेष के बारे में सत्यापन करना है वह सीधे भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण से संपर्क करेगा और प्राधिकरण उसका सत्यापन करेगा। इसलिए यह आधार संख्या बेहद उपयोगी होगी। निवासियों को विभिन्न कार्ड या दस्तावेज साथ ले जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया में इसका लाभ निम्नलिखित कार्यों के लिए उठाया जा सकता है:-

- बैंक खाता खोलने के लिए,
- व्यावसायिक प्रतिनिधि (बी.सी.) के साथ वित्तीय लेनदेन करने के लिए,
- विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत दी जाने वाली राशि को सीधे बैंक खाते में जमा करने के लिए,
- भविष्य में एटीएम आदि से धन आहरण के लिए,
- “अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)” मानकों के लिए।

अभी हाल में यह बात भी सामने आई है कि सरकार अब आधार का उपयोग करते हुए गरीबों को दी जाने वाली सब्सिडी को सीधे लाभग्राही के खाते में ही जमा करेगी। आशा है कि इससे गरीबों को दी जाने वाली सहायता उन तक वास्तविक रूप में पहुंचेगी।

वैयक्तिक पाठक कृपया ध्यान दें

‘बैंकिंग चिंतन अनुचिंतन’ पत्रिका के सभी वैयक्तिक पाठकों (Individual Readers) से अनुरोध है कि यदि उन्होंने सदस्यता का नवीकरण किए जाने का अनुरोध अभी तक प्रेषित नहीं किया है तो पृष्ठ सं. 60 पर दिए गए सदस्यता फार्म में भरकर यथाशीघ्र प्रबंध संपादक, बैंकिंग चिंतन अनुचिंतन, भारतीय रिज़र्व बैंक, राजभाषा विभाग, केंद्रीय कार्यालय, गारमेट हाउस, डॉ. एनी बेसंट रोड, वरली, मुंबई - 400 018 को भिजवा दें। आपका अनुरोध प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाएगा कि आप आगे से इस पत्रिका को प्राप्त करने के इच्छुक नहीं हैं और आपका नाम पत्रिका की डाक सूची से हटा दिया जाएगा।

आस्बा (ASBA) - कार्यप्रणाली, उपादेयता एवं लाभ

● संतोष श्रीवास्तव*

कुछ समय पूर्व तक कम्पनियों / वित्तीय संस्थानों द्वारा आईपीओ / एफपीओ जारी किये जाने पर जनता के द्वारा उनमें अभिदान के लिए प्रत्यक्ष आवेदन प्रणाली अपनाई जाती थी, जिसके साथ मांगी गई राशि का चेक/डिमांड ड्राफ्ट एवं आवेदन पत्र संलग्न कर प्रेषित किया जाता था। कई बार डाक की गड़बड़ी के कारण यह आवेदन एवं डीडी गंतव्य स्थान पर नहीं पहुँच पाता था, जिससे आवेदकों को नुकसान होता था।

इस समस्या को देखते हुए 30 जुलाई 2008 को “भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) ने समस्त सार्वजनिक निर्गमों (Public Issue) में आईपीओ / एफपीओ के लिए “बुक बिल्डिंग” प्रक्रिया से “तत्काल ऑनलाइन आवेदन” की सुविधा उपलब्ध कराई है, जिसे आस्बा (APPLICATION SUPPORTED BY BLOCK AMOUNT) के नाम से जाना जाता है। आस्बा से सुविधा प्रदान करने वाले पंजीकृत बैंक एवं ग्राहक दोनों को ही लाभ हुआ है।

आस्बा की मुख्य विशेषताएं :

- जो बैंक आस्बा की सुविधा उपलब्ध करवाना चाहता है, वह अपने नाम में आस्बा पंजीकरण हेतु सेबी को आवेदन कर सकता है, उसका नाम स्वीकृत होने पर संबंधित बैंक, आस्बा सूची में शामिल हो जाता है। इसे एससीएसबी (Self certified syndicate Bank) कहते हैं और वह ग्राहकों को आस्बा की सुविधा प्रदान करने लगता है।
- “आस्बा” सार्वजनिक निर्गम (पब्लिक इश्यू) के आवेदन की एक प्रक्रिया है, जिसमें आवेदक, आवेदित राशि को अपने बैंक खाते में अवरुद्ध (Block) करवाते हैं।
- कोई भी आवेदक आस्बा प्रक्रिया को अपनाने के लिए बाध्य नहीं है, यदि वह चाहे तो प्रत्यक्ष आवेदन भी कर सकता है।

इस तरह से हम देखते हैं कि आस्बा आधुनिक प्रौद्योगिकी तकनीक है, जिससे आवेदक एवं सार्वजनिक निर्गम जारी करने वाली संस्था को सुविधा होती है। साथ ही साथ इससे समय की बचत होती है और “पेपरलेस” ट्रांजेक्शन को बढ़ावा मिलता है।

आस्बा की कार्यप्रणाली

बिडिंग अवधि में -

- बिडिंग अवधि में आस्बा निवेशक को एससीएस बैंक की शाखा में, जहां उसे अपने खाते से आवेदित राशि अवरुद्ध करवानी है, इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से अथवा प्रत्यक्ष रूप से फार्म जमा करवाना होता है।
- आवेदन को एससीएस बैंक द्वारा एक सूचना क्रमांक प्रदान किया जाता है जो कि आवेदन जमा होने का साक्ष्य होता है। इस समय यह ध्यान देने योग्य बात रहती है कि आवेदन करने वाले व्यक्ति के खाते में पर्याप्त राशि होनी चाहिए अन्यथा बैंक आवेदन को रद्द कर देता है।
- एससीएस बैंक आवेदन प्राप्त होने के बाद आवेदक के बैंक खाते से राशि अवरुद्ध कर देता है तथा इसके बाद निम्न जानकारी को सिस्टम में अपलोड करता है -
 - आवेदन क्रमांक,
 - डीपी आईडी,
 - ग्राहक आईडी,
 - पैर संख्या,
 - बिड गुणवत्ता।

यह जानकारी सार्वजनिक निर्गम हेतु स्टॉक एक्सचेंज द्वारा इलेक्ट्रॉनिक बिडिंग प्रणाली के लिए आवश्यक होती है।

* यूनिनियन बैंक आफ इंडिया, स्टाफ प्रशिक्षण केन्द्र, भोपाल, मध्यप्रदेश

ऑनलाइन आवेदन में, आवेदन क्रमांक को छोड़कर बाकी सभी जानकारियां आवेदक को स्वयं ही भरनी पड़ती है, इसके बाद आवेदन क्रमांक स्वयमेव मिल जाता है।

- एससीएस बैंक की नामित शाखा एक संव्यवहार पंजीकरण पर्ची जनरेट करती है, जो आस्बा आवेदक के मांगने पर उसे प्रदान की जाती है।
- बिडिंग तिथि समाप्त होने से पूर्व आवेदक चाहे तो अपना आवेदन निरस्त करवा सकता है और बैंक द्वारा अवरुद्ध की गई राशि मुक्त करा सकता है।
- बिडिंग तिथि समाप्त होने के बाद स्टॉक एक्सचेंज इश्यू रजिस्ट्रार को अद्यतन इलेक्ट्रॉनिक बिड उपलब्ध करवाता है।

बिडिंग अवधि समाप्त होने के बाद:

- बिड अवधि की समाप्ति पर एससीएस बैंक, इश्यू रजिस्ट्रार को निम्न सूचनाएं प्रेषित करता है-
 - एससीएस बैंक द्वारा कुल अपलोडेड आस्बा आवेदन,
 - कुल आवेदित शेयर तथा कुल अवरुद्ध राशि।
- इश्यू रजिस्ट्रार, स्टॉक एक्सचेंज एवं समस्त एससीएस बैंकों के आंकड़ों का समेकन कर उनका मिलान करता है।
- इश्यू रजिस्ट्रार मिलान डेटा को डिपॉजिटरी के डेटाबेस से मिलाता है जिससे डीपी आईडी, ग्राहक आईडी, पैन संख्या आदि की सत्यता प्रमाणित होती है तथा किसी भी जानकारी के नहीं मिलने पर आवेदन को निरस्त कर दिया जाता है।
- अपूर्ण एवं गलत जानकारी वाले आवेदनों के संबंध में इश्यू रजिस्ट्रार संबंधित एससीएस बैंक से एक निश्चित समयावधि के अंदर संशोधित आंकड़े मांगता है, जो समय सीमा में प्राप्त होने पर पुनः उन आवेदनों को प्रोसेस करता है।

- आस्बा आवेदक यदि बिड समाप्त होने के बाद अपना आवेदन निरस्त करवाना चाहता है तो आवेदक इश्यू रजिस्ट्रार को निकासी आवेदन देकर अपना आवेदन निरस्त करवाने हेतु अनुरोध कर सकता है।
- इश्यू रजिस्ट्रार, यूनिट निर्धारित शेयर आबंटित करने का आधार निश्चित कर उसे नामित किये गये स्टॉक एक्सचेंज को अनुमोदन के लिए प्रेषित कर देता है।
- जब नामित स्टॉक एक्सचेंज, आबंटन का आधार अनुमोदित कर देता है, तब इश्यू रजिस्ट्रार, बैंक की नियंत्रित शाखा को निम्न सूचनाएं / निर्देश प्रेषित करने हेतु निर्देशित करता है :
 - वह आवेदक की अवरुद्ध राशि को मुक्त कर निर्धारित समय में शेयर जारीकर्ता के खाते में अंतरित करे,
 - प्रत्येक योग्य एवं वैध आस्बा आवेदक को आवंटित यूनिट शेयर,
 - प्रत्येक योग्य एवं वैध आस्बा आवेदक के खाते से अंतरित की जाने वाली राशि,
 - आस्बा आवेदनों के अस्वीकार / निरस्त होने की स्थिति में, बैंक समेकित आंकड़ों के निरस्तीकरण के कारण सहित विधिवत विवरण एवं अवरुद्ध राशि आवेदित व्यक्ति के खाते में वापिस जमा करके निधि अंतरण की सूचना नियंत्रक शाखा, इश्यू रजिस्ट्रार को देता है।
- इस प्रक्रिया के बाद इश्यू रजिस्ट्रार सफल आस्बा आवेदकों के डी-मैट खातों में यूनिट शेयर जमा कर देता है।

आस्बा आवेदकों के मामले में एससीएसबी शाखा एवं शाखा कार्मिकों की जिम्मेदारी

- बैंक एवं बैंक के कार्मिक नियंत्रण शाखा, इश्यू रजिस्ट्रार, स्टॉक एक्सचेंज एवं मर्चेन्ट बैंकरों के बीच आपस में सामंजस्य स्थापित करने हेतु एक निर्धारित एवं मान्य

प्रक्रिया का पालन करेंगे।

- बैंक अपनी आस्वा शाखाओं का प्रचार प्रसार करेंगे एवं कार्मिकों को उचित प्रशिक्षण प्रदान करेंगे।
- बैंक अपनी वेबसाइट पर संबंधित इश्यू का संक्षिप्त विवरण उपलब्ध करवाएंगे, जिससे आस्वा आवेदक उसे पढ़ सके।
- बैंक बिडिंग तिथि / समय समाप्ति के बाद कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं करेगा।
- बैंक द्वारा आस्वा आवेदक को आवेदन प्राप्ति की सूचना देनी चाहिए।
- आस्वा आवेदन पत्र प्राप्त करके एवं आवेदित राशि अवरुद्ध करके ही आवेदक का आवेदन सिस्टम में अपलोड करना चाहिए।
- बैंक की यह जिम्मेदारी है कि वह आस्वा आवेदन की पूर्णता व सत्यता को सुनिश्चित करे।
- बैंक को अस्वीकृत एवं निरस्त आस्वा आवेदन की अवरुद्ध राशि को निर्धारित समय सीमा में आवेदक के खाते में, जहां से राशि अवरुद्ध की गई है, वापस जमा कर देनी चाहिए।
- शेयर आवंटन के बाद बैंक आस्वा आवेदक की अवरुद्ध राशि को इश्यूअर के खाते में जमा कर देगा।
- यदि कोई सार्वजनिक (पब्लिक) इश्यू विफल होता है अथवा निरस्त हो जाता है तब बैंक को आस्वा आवेदकों की अवरुद्ध राशि मुक्त कर आवेदक के खातों में जमा कर देनी चाहिए।
- बैंक को अपूर्ण एवं असत्य सूचना की जानकारी दिए जाने पर निर्धारित समय सीमा के अंदर बैंक इस तरह की जानकारी / आंकड़े रजिस्ट्रार को उपलब्ध करवाएगा।

- “बिड अवधि” अथवा “प्राइस बैण्ड” में कोई संशोधन होने पर इसकी जानकारी बैंक आस्वा आवेदकों को उपलब्ध करवाएगा।
- बैंक आस्वा से संबंधित गलतियों का उचित निराकरण करेगा तथा किसी आवेदक की शिकायत प्राप्त होने पर उसका निपटान तुरंत उचित तथा मान्य तरीके से करेगा।
- बैंक किसी भी भूल-चूक के लिए पूर्णतः जिम्मेदार होगा।
- बैंक की गलती सिद्ध होने पर संबंधित बैंक पीड़ित आस्वा आवेदक के प्रति क्षतिपूर्ति हेतु भी उत्तरदायी होगा।
- बैंक इश्यू रजिस्ट्रार, स्टॉक एक्सचेंज एवं मर्चेन्ट बैंकर्स को डेटा अंतरण सुरक्षापूर्वक व “रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस” के तहत इक्विटी शेयरों का आवंटन निर्धारित समय सीमा में पूरा करेगा।
- बैंक भौतिक आवेदन 6 माह तक अपने पास रखेगा तथा इसके बाद उसे इश्यूअर को प्रेषित कर देगा।
- इलेक्ट्रॉनिक आस्वा आवेदन पत्रों का प्रिंट रखने अथवा उसे प्रेषित करने की जरूरत नहीं रहती है, तथापि बैंक को ऐसे आवेदनों को कम-से-कम 3 वर्ष तक अपने पास सुरक्षित रखना होगा।

आस्वा से लाभ

आस्वा आधुनिक प्रौद्योगिकी का उन्नत रूप है, इसके माध्यम से कार्य करने से जहां आवेदकों का कार्य तुरंत एवं विश्वनीय तरीके से हो जाता है वहीं इससे एससीएसबी शाखा का काम भी आसान हो जाता है एवं वांछित जानकारी तुरंत उपलब्ध हो जाती है। आस्वा बैंक को कमीशन के रूप में अतिरिक्त आय होती है। यह प्रसन्नता की बात है कि आस्वा की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है एवं अधिकाधिक निवेशक इससे जुड़ रहे हैं।



बैंक ऑफ इंडिया



रिशतों की जमापूजी

किसी भी संस्था के गुजरे हुए अतीत का सफर करना हमेशा एक नई अनुभूति, एक नए अहसास को जन्म देता है। उसके गौरवशाली विरासत का परिचय उसके आनेवाले कल की इमारत का आईना होता है। इतिहास के झरोखे नामक स्तंभ के अंतर्गत हमने अब तक आपको स्थापना के कालक्रमानुसार चार बैंकों के इतिहास से रू-ब-रू कराया है। इस बार हम आपको ले चलते हैं स्थापना के वरीयताक्रम में पांचवें नंबर पर विराजमान बैंक ऑफ इंडिया के ऐतिहासिक सफर पर।

कुछ बैंक ऐसे होते हैं जो परंपरागत परिपाटी पर चलने में ही अपने आपको सुरक्षित महसूस करते हैं तो वहीं कुछ ऐसे भी होते हैं जो एक नई परंपरा को स्थापित करने में विश्वास करते हैं। ऐसे ही बैंकों में से एक है बैंक ऑफ इंडिया जो अपनी स्थापना की शतकीय पारी को पूरा कर नए क्षितिज को नापने के लिए सतत प्रयत्नशील है। पचास लाख की प्रदत्त पूंजी और पचास कर्मचारियों के साथ अपनी यात्रा आरंभ कर ऊबड़-खाबड़ रास्तों पर अपनी सधी चाल के साथ यह बैंक आज की तारीख में भारतीय बैंकिंग जगत में अपनी मजबूत स्थिति के साथ सफलता के नए सोपान पार कर रहा है। आइए, जानते हैं बैंक ऑफ इंडिया की कहानी, उसकी अपनी जुबानी...

आज से 105 वर्षों पूर्व 7 सितंबर 1906 को कुछ पारसी, हिन्दू, मुस्लिम और यहूदियों ने मिलकर "दि बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड" के नाम से एक ज्वाइंट स्टॉक कंपनी बनाई और उसी के साथ मेरा जन्म हुआ। भारतीय बैंकिंग के इतिहास में मुझे पहला धर्मनिरपेक्ष बैंक होने का गौरव हासिल है क्योंकि मुझसे पहले बैंकों की स्थापना या तो अंग्रेज करते थे या फिर अन्य यूरोपियन समुदाय के लोग। इनके अलावा दक्षिण में छोटे-छोटे भारतीय समुदायों ने भी अपने समुदाय के लोगों के हितार्थ बैंकिंग कंपनियों की स्थापना की। लेकिन सही अर्थों में "सर्वधर्म समभाव" की भावना तो मेरे जन्म से जुड़ी है।

सन् 1905 में स्वदेशी आंदोलन से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नया आयाम मिला। उस समय बंबई अपनी सूती मिलों और अपने बंदरगाह के लिए जाना जाता था। अंग्रेजों और यूरोपियन समुदाय के लोगों द्वारा चलाए जा रहे बैंकों ने भारतीय सूती मिलों को विदेशी व्यापार करने के लिए आर्थिक सहायता देने से मना कर दिया। लेकिन शायद उन्हें हम भारतीयों की जीवटता का भान नहीं था। उनके इस कदम की प्रतिक्रिया के रूप में सन् 1900 से लेकर 1913 के बीच 5 लाख रुपए से अधिक की पूंजी वाले बैंकों की संख्या तेजी से बढ़ी और वह 9 से बढ़कर 18 हो गई। ये तो मैंने आपको सुदृढ़ स्थितिवाले बैंकों की संख्या ही बताई है लेकिन इनके साथ-साथ छोटे आकार वाले और भी कई बैंकों ने इस दौरान आकार ग्रहण किया।

इस पृष्ठभूमि में मेरा जन्म हुआ। एक समृद्ध मिल मालिक और एक समय बंबई के मेयर रह चुके सर ससून डेविड अपने आपको भारतीय कहलाने में गर्व महसूस करते थे तथा हिंदी में बात करने का कोई मौका नहीं चूकते थे। जैसे ही इनके मन में एक बैंक की स्थापना का विचार आया उन्होंने सर कावसजी जहांगीर द्वितीय बैरोनेट से संपर्क किया और उनसे पूछा कि क्या उनके पिताजी सर कावसजी जहांगीर प्रथम बैरोनेट, जो उस समय लंदन में रह रहे थे, बैंक की स्थापना में उनका साथ देंगे? आप शायद सर कावसजी जहांगीर से परिचित ही होंगे लेकिन मैं उनके बारे में आपको यह जरूर बताना चाहूंगा कि वे बंबई में भूसम्पत्ति के सबसे बड़े मालिकों के घराने से थे और एक प्रसिद्ध व्यापारी थे। इनके परिवार ने बंबई को कई सुप्रसिद्ध इमारतें दी हैं जिनमें प्रमुख हैं जहांगीर आर्ट गैलरी, मुंबई विश्वविद्यालय का दीक्षान्त भवन, कई अस्पताल और



सर ससून डेविड

आश्रम आदि। सर कावसजी जहांगीर, प्रथम बैरोनेट ने सर डेविड के बैंक की स्थापना के प्रस्ताव को स्वीकार करने में क्षण भर की भी देरी नहीं की और इस तरह से अधिनियम VI, 1882 के तहत 7 सितंबर 1906 को मैं अस्तित्व में आया।

शायद आप सोच रहे होंगे कि बैंक ऑफ इंडिया के नाम से तो पहले भी बैंक थे, फिर 1906 में ये नया बैंक कहां से आ गया? जी हां, आप सही सोच रहे हैं। मैं आपको एक मजेदार तथ्य बताना चाहता हूँ, मुझसे पहले “बैंक ऑफ इंडिया” के नाम से तीन बैंक खुल चुके थे, उनमें पहला था सन् 1828 में रामकिशन दत्त द्वारा कोलकाता में स्थापित पहला बैंक जिसके बारे में बहुत जानकारी उपलब्ध नहीं है। उसके बाद दूसरा था 1836 में लंदन में स्थापित बैंक जो भारतीय व्यापार के लिए लंदन में निधि उपलब्ध करवाता था और तीसरा था 1864 में बंबई में स्थापित बैंक। लेकिन ये सभी असमय काल की गर्त में समा गए और 1906 में जब सर ससून डेविड ने मेरी स्थापना की उस समय इनमें से कोई भी अस्तित्व में नहीं था।

जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था मेरे पहले निदेशक मंडल में सर डेविड ससून के अलावा सर कावसजी जहांगीर प्रथम बैरोनेट, रतनजी खेतसी, दादाभाई टाटा, गोवर्धनदास खटाऊ, लल्लूभाई समलदास, रामनारायण हरनंदराय, जयनारायण हिंदूमल दानी और नूरादिन इब्राहिम जैसे अलग-



सर कावसजी जहांगीर प्रथम बैरोनेट

अलग धर्मों के लोग शामिल थे जो समाज के अलग-अलग तबकों का प्रतिनिधित्व करते थे। इस बहुप्रतिभावान निदेशक मंडल की छत्रछाया में मैंने 1 नवंबर 1906 से बंबई के एस्लेनेड रोड स्थित ओरिएंटल बिल्डिंग के अपने पंजीकृत कार्यालय से काम करना आरंभ किया।

सर डेविड ससून की अनुभवी एवं पारखी आंखों ने मि. स्ट्रिंगफेलो को मेरे पहले मैनेजर के रूप में चुना जो आगे चलकर बहुत ही निर्णायक कदम साबित हुआ। भारतीय बैंकिंग के उनके अनुभवों ने मेरी स्थापना के आरंभिक झटकों से पार पाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। हालांकि एक अंग्रेज को इस पद के लिए चुनने पर सर डेविड ससून की कड़ी आलोचना भी हुई थी। लेकिन समय की मांग को देखते हुए उनका निर्णय सही साबित हुआ।

मेरी पहली वार्षिक आम सभा 6 मार्च 1907 को हुई। अपनी गतिविधियों को आरंभ करने के बाद पहले दो महीनों के दौरान ही मैंने 25,177/- रुपए का लाभ कमाया और साथ ही 18.08 लाख रुपए की जमाराशि हासिल करने में भी सफलता पाई। मेरा कारोबार बहुत ही “विवेकपूर्ण” ढंग से और “सतर्कता” पूर्वक किया जा रहा था जो मेरी स्थापना से जुड़े मूल सिद्धांत भी थे। शायद इसी का परिणाम था कि पूरे एक वर्ष के कारोबार के बाद मैंने 3.28 लाख रुपए लाभ के रूप में अर्जित किए। साथ ही, 132 लाख रुपए अग्रिम के

रूप में दिए जो मुख्यतः बिल पुनर्भुनाई से संबंधित थे और इस तरह से सुरक्षित भी थे।

1913 तक का समय बहुत ही कठिन था। मेरे संस्थापकों ने केवल प्रतिस्पर्धा के मद्देनजर शाखा विस्तार करने से इनकार कर दिया। इसके अलावा, यह ऐसा दौर था जब बहुत से छोटे-मोटे बैंक ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए आपस में कड़ी प्रतिस्पर्धा कर रहे थे और जमाराशि पर ऊंची से ऊंची ब्याज दर देने के लिए तैयार थे। लेकिन मैं इस अंधी दौड़ से दूर ही रहा। मेरे संस्थापक ऐसी गलाकाट प्रतिस्पर्धा का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे। उनका यह निर्णय आगे चलकर मेरे अस्तित्व के लिए निर्णायक साबित हुआ जब उथल-पुथल भरे दौर में बहुत से बैंक औंधे मुंह गिरने लगे और उनका अस्तित्व समाप्त होता गया। लेकिन मैं 1913 के बैंकिंग महासंकट में से भी सही सलामत बचकर निकल आया।

भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए प्रथम विश्वयुद्ध वरदान बनकर आया। घरेलू उत्पादन के लिए यह सुनहरा दौर था, देशी कंपनियों ने अपने कारोबार में इस दौरान चौतरफा प्रगति की। भारतीय बैंकों की जमाराशियों में 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई लेकिन इसके साथ ही मुद्रास्फीति का भी आगमन हुआ। सरकारी प्रतिभूतियों के निवेश मूल्य तेजी से गिरने लगे और जिन बैंकों ने इनमें पैसे लगाए थे उन्हें घाटा सहना पड़ा। लेकिन मैं अपने संस्थापकों का शुक्रगुजार हूँ कि इस आपदा से भी मैं बचा रहा क्योंकि सरकारी प्रतिभूतियों में मेरा निवेश नहीं के बराबर था। भविष्य में ऐसी परिस्थिति का सामना न करना पड़े इसके लिए एहतियाती कदम उठाते हुए मैंने “खराब और संदिग्ध” कर्जों के लिए पहले ही एक आरक्षित कोष बना लिया।

अपनी सतर्कता की नीति के कारण स्थापना से लेकर बैंकिंग इतिहास के उथल-पुथलवाले दौर एवं प्रथम विश्वयुद्ध के दौरान मैं अपने पंख फैलाने से गुरेज करता रहा। लेकिन 1919 में जब मैंने देखा कि मेरा कारोबार पर्याप्त रूप से बढ़ गया है और मुझे नए क्षेत्रों का भी स्वाद चखना चाहिए तब मेरे निदेशकों ने शेरधारकों से संपर्क किया और शाखाएं खोलने की अनुमति मांगी। और इस तरह से 16 फरवरी 1920 को भद्र, अहमदाबाद में मेरी पहली शाखा खुली। बंबई और अहमदाबाद की मेरी शाखाओं के ज्यादातर ग्राहक गुजराती व्यवसायी थे जिनके रिश्तेदार ब्रिटिशों द्वारा शासित पूर्वी अफ्रीका में रहते थे इसलिए व्यवसाय एवं ग्राहकों की

सुविधा को ध्यान में रखते हुए मैंने अपनी पहली विदेशी शाखा 1921 में मोम्बासा (केन्या) में खोली।

अपनी प्रसिद्धि और अपने पर विश्वास का एक उदाहरण मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा। मेरी कार्यप्रणाली में विश्वास के कारण 1921 में बाम्बे स्टॉक एक्सचेंज के क्लियरिंग हाउस को संभालने की जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई और यह बताते हुए मैं गर्व महसूस करता हूँ कि तब से लेकर आज तक मैं यह जिम्मेदारी सफलतापूर्वक निभाता चला आ रहा हूँ। मेरे इस कौशल को देखते हुए आगे चलकर मुझे अन्य स्टॉक एक्सचेंजों के प्रबंधन की जिम्मेदारी भी सौंपी गई।

फिर आया 1923 का वह साल जब युद्ध के बाद के असर से व्यापार में मंदी आई और गिरती कीमतों से उद्योग के साथ-साथ बैंकिंग जगत की हालत भी खस्ता होने लगी। नतीजतन 1922-23 में 35 बैंक फेल हो गए लेकिन मैं फिर भी सतर्कता बरतते हुए टिका रहा और सीमित कारोबार की अपनी नीति पर अमल करता रहा। मैंने तत्कालीन बाम्बे प्रांत के बाहर अपनी पहली शाखा 17 अगस्त 1925 को कलकत्ता में खोली जो उस समय उद्योग-व्यापार की दृष्टि से बंबई के बाद दूसरा महत्वपूर्ण शहर था। 1922 में मेरे साथ कई घटनाएं घटित हुईं। मेरे संस्थापकों में से एक सर कावसजी जहांगीर प्रथम बैरोनेट ने खराब स्वास्थ्य के चलते अपना पद छोड़ दिया और उनकी जगह उनके बेटे सर कावसजी जहांगीर द्वितीय बैरोनेट को नियुक्त किया गया। दूसरे संस्थापक निदेशक श्री खेतसी ख्यासी का देहान्त हो गया। इनके अलावा सबसे महत्वपूर्ण घटना रही प्रबंधक श्री स्ट्रिंगफेलो का त्यागपत्र, लेकिन मैंने उन्हें जाने नहीं दिया और कई वर्षों तक उन्हें सलाहकार के रूप में अपने साथ जोड़े रखा। मेरी प्रमुख शाखाओं के तार पते में शामिल “स्ट्रिजेंट” (Stringent) उनके नाम से ही लिया गया है और मेरे कारपोरेट मुख्यालय के तार पते “सेंट स्ट्रिंग” (centstring) का उद्गम भी वहीं से हुआ है। इस तरह से मैंने अपने अतीत के एक महत्वपूर्ण योगदानकर्ता के नाम को आज भी अपने साथ जोड़े रखा है।

1935 में भारतीय रिज़र्व बैंक के गठन के साथ ही 5 लाख रुपए से अधिक की प्रदत्त पूंजी वाला बैंक होने के नाते मुझे रिज़र्व बैंक अधिनियम की दूसरी अनुसूची में शामिल कर लिया गया। मैं अपनी लगन और कर्तव्यनिष्ठा के साथ काम करता रहा और शायद इसी का परिणाम था कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने 1944 में पूना स्थित मेरी मुख्य शाखा में

अपना खाता खोला। यही नहीं मेरी प्रसिद्धि और ख्याति को देखते हुए 1944 में पालनपुर के नवाब ने शाखा खोलने के लिए मुझे आमंत्रित किया और इसके लिए उन्होंने अपना एक भवन तक मुझे दे दिया। उन्होंने खुद 20,000/- रुपए जमा कर अपना खाता खोला जो उस समय काफी बड़ी रकम समझी जाती थी। 1947 में जब देश आजाद हुआ तब मेरी कुल 33 शाखाएं काम कर रही थीं और उनकी जमाराशि 68.64 करोड़ रुपए, अग्रिम 28.71 करोड़ रुपए तथा निवेश 29.75 करोड़ रुपए था। स्वतंत्रता के उपलक्ष्य में 1947 में मैंने अपने स्टाफ को 1.20 लाख रुपए बोनस के रूप में दिए थे।

मैंने 1950-51 से विदेशी मुद्रा के कारोबार में सक्रिय रूप से भाग लेना आरंभ कर दिया। इसके लिए समुद्रपार विदेशों में भी मैंने अपनी कई शाखाएं खोलीं। वैसे आजादी के बाद वाले वर्ष काफी संघर्ष भरे रहे क्योंकि उस समय नियंत्रण काफी कठोर थे। बैंककारी कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 1956 ने रिज़र्व बैंक की नियंत्रणकारी शक्तियों को और मजबूती प्रदान कर दी जिससे बैंकों पर उसका नियंत्रण और मजबूत हो गया। इसी साल मैंने अपनी स्थापना की स्वर्ण जयंती पूरी कर ली।

मैं पूरी निष्ठा के साथ अपने ग्राहकों की सेवा में लगा रहा परिणामतः मुझ पर उनके विश्वास ने 1959 के अंत तक मेरी जमाराशि को 100 करोड़ रुपए के उल्लेखनीय आंकड़े तक पहुंचा दिया और अपनी शाखाओं का शतकीय आंकड़ा मैंने 1962 में सी.पी.टैंक, बंबई में खुलने वाली शाखा के साथ पूरा किया। कर्मचारियों की एक प्रशिक्षित और दक्ष टीम तैयार करने के उद्देश्य से उसी साल मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा के सहयोग से बंबई में एक प्रशिक्षण केन्द्र खोला जो कुछ वर्ष पूर्व भवन विवाद के कारण बंद हो गया। आज की तारीख में सीबीडी, बेलापुर, नवी मुंबई में मेरा अपना एक शीर्ष प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान है और इसके अलावा चेन्नै, कोलकाता, नोएडा तथा भोपाल में स्टाफ प्रशिक्षण महाविद्यालय भी मेरे मानव संसाधन विकास के कार्य में लगे हुए हैं।

1964 में मैं अपनी कुल 149 भारतीय शाखाओं एवं 14 विदेशी शाखाओं के साथ मजबूती से कार्य करने लगा। इसी वर्ष जुलाई में मेरी गृहपत्रिका “बैंक ऑफ इंडिया हाउस जर्नल” का पहला अंक प्रकाशित हुआ। इसे आगे चलकर “दि टेलर” नाम दिया गया जो आज बदलकर “तारांगण”

के नाम से जानी जाती है। 28 दिसंबर 1965 को नडियाद, गुजरात में मैंने पहली मोबाइल शाखा आरंभ की थी जो उस समय छह गांवों को बैंकिंग सुविधा प्रदान करती थी। अपनी स्थापना के 60 वें वर्ष अर्थात् 1966 में मैंने 183 घरेलू शाखाओं एवं 16 विदेशी शाखाओं के साथ 307 करोड़ रुपए की जमाराशि एवं 222 करोड़ रुपए की अग्रिम राशि के आंकड़े को छूने में सफलता पाई।

फिर आया 19 जुलाई 1969 का वह दिन जब 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया जिनमें से एक मैं भी था। उस समय निजी क्षेत्र में मैं दूसरा सबसे बड़ा बैंक था। राष्ट्रीयकरण के साथ ही मेरे नाम से ‘दि’ और “लिमिटेड” को अलग कर दिया गया और मैं “बैंक ऑफ इंडिया” के नाम से जाना जाने लगा। इस समय मेरी जमाराशियां बढ़कर 435.88 करोड़ रुपए और अग्रिम 295.68 करोड़ रुपए हो गये थे। मैंने सरकार द्वारा तय किए गए राष्ट्रीयकरण के लक्ष्यों को पाने में पूरी लगन और निष्ठा के साथ कार्य किया और अर्ध शहरी क्षेत्रों तथा गांवों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई।

1975 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना के सरकार के निर्णय के अनुसरण में मैंने मार्च 1976 में दो ग्रामीण बैंकों को प्रायोजित किया जो उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद और बाराबंकी जिले में स्थित थे। अपनी गतिविधियों को नए आयाम प्रदान करने के लिए मैंने 1977 में मर्चेंट बैंकिंग के क्षेत्र में कदम रखा और इसके लिए बंबई तथा दिल्ली में विशेष पूंजी बाजार शाखाओं की स्थापना की।

बदलते समय के साथ मैंने काफी पहले दिसंबर 1978 में ही ‘वोस्ट्रो’ खातों के कंप्यूटरीकरण का काम आरंभ कर दिया था। 1981 में मैंने अपनी क्रेडिट सूचनाओं का भी कंप्यूटरीकरण कर दिया। 1992-93 में आंतरिक तौर पर विकसित किए गए सॉफ्टवेयर की मदद से मेरे सभी बचत खातों का कंप्यूटरीकरण कर दिया गया। अगस्त 1988 में महालक्ष्मी, बंबई स्थित शाखा को पूरी तरह से कंप्यूटरीकृत करनेवाला मैं पहला राष्ट्रीयकृत बैंक बना। आज एटीएम, आरटीजीएस, स्विफ्ट जैसे पड़ावों से गुजरता हुआ मैं इंटरनेट एवं मोबाइल बैंकिंग के द्वारा अपनी सेवाओं में तत्परता लाने में जुटा हुआ हूँ।

अपने ग्राहकों की बहुविध मांग को पूरा करने के लिए मैंने 1989-90 में बैंक ऑफ इंडिया फाइनेंस लिमिटेड के

नाम से अपनी एक अनुषंगी इकाई खोली जो मर्चेट बैंकिंग के कार्य करती है। इसी के साथ म्यूच्युअल फंड की अपनी आस्तियों की देखरेख के लिए मैंने 1994-95 में बैंक आफ इंडिया आस्ति प्रबंधन कंपनी लिमिटेड के नाम से एक और अनुषंगी इकाई की स्थापना की। लेकिन वर्ष 2001-02 में मेरे प्रबंधन वर्ग ने यह पाया कि इन दोनों इकाइयों से अपेक्षित लाभ नहीं मिल पा रहा तब उन्होंने इन दोनों के समापन और मुझमें विलयन का निर्णय लिया। बंबई स्टॉक एक्सचेंज के क्लियरिंग का प्रबंधन करनेवाली इकाई “बैंक ऑफ इंडिया शेयर होल्डिंग लिमि.” अभी भी सफलतापूर्वक कार्य कर रही है।


2002-03 में मैं मुंबई के बांद्रा-कुर्ला संकुल स्थित अपने नए प्रधान कार्यालय में शिफ्ट हो गया। मेरे लोगो “स्टार” के नाम पर इस नए भवन को “स्टार हाउस” नाम दिया गया है जिसे एक रिकार्ड समय में तैयार किया गया। उल्लेखनीय है कि इसे बनाने में आंकी गई रकम से काफी कम राशि ही खर्च हुई। मैंने 2005-06 में अपनी स्थापना के शतकीय वर्ष में प्रवेश किया और पूरे वर्ष के दौरान अपने 42,635 कर्मचारियों की मदद से 2.34 लाख नए ग्राहक अपने साथ जोड़े। आज बैंकिंग की नवीनतम मुहिम “वित्तीय समावेशन” को मैंने काफी पहले ही अंगीकार कर लिया था। माननीय राष्ट्रपति डॉ. अब्दुल कलाम की PURA की अवधारणा को अमली जामा पहनाने के लिए मैंने वर्ष 2006 तक 17 राज्यों के 78 जिलों के 128 गांवों में 50,000 से अधिक परिवारों को इस प्रोजेक्ट के तहत 80 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की। इसके अलावा, लगभग 100 ग्रामीण कियोस्क स्थापित किए जिन्हें “ई-ग्राम” के नाम से जाना जाता है।

मेरे कार्यों को समय-समय पर राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सराहा जाता रहा है। मुझे बैंकिंग क्षेत्र के सबसे अधिक “विश्वसनीय ब्रांड” के अलावा लघु उद्योगों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत भी किया जा चुका है। परंपरागत रूप से मैं रिश्तों को बनाए रखने में विश्वास करता रहा हूँ और इसीलिए मैंने अपने ग्राहकों से जुड़ने के लिए उनकी भाषा को अपनाने से भी परहेज नहीं किया है। भाषा के माध्यम से अपने ग्राहकों से नजदीकी रिश्ता कायम करने के लिए मुझे 1993-94 से लेकर 1996-97

तक लगातार इंदिरा गांधी राजभाषा शीलड पुरस्कार जीतने में सफलता मिली, जो देश में राजभाषा हिंदी के प्रयोग के लिए दिया जाने वाला सर्वोत्कृष्ट सम्मान है। इसके अलावा, मैं हिंदी के उल्लेखनीय प्रयोग के लिए रिज़र्व बैंक के गवर्नर शीलड सम्मान से भी नवाज़ा जा चुका हूँ।

मेरा प्रतीक चिह्न भारतीयता से पूरी तरह ओत-प्रोत है। आरंभ में यह एक गोलाकार घेरा था जिसमें भारतमाता की प्रतिकृति मौजूद थी जो मेरे परंपरागत गौरवशाली अतीत का परिचायक है। 1962 में मैंने इस घेरे को पंचकोणीय सितारे के भीतर ले लिया और इस तरह मेरे मौजूदा “लोगो” ने आकार ग्रहण किया। इस सितारे के पाँच कोण उस समय दुनिया के पाँच भागों में मेरी मौजूदगी को दर्शाते थे। साथ ही यह सितारा उन लोगों के लिए पथप्रदर्शक का भी काम करता है जिन्हें मार्गदर्शन की जरूरत है। इस सितारे का ऊपरवाला सबसे लंबा कोण सतत आगे बढ़ने और लक्ष्यों को हासिल करने की मेरी लालसा को दर्शाता है जो मुझे निरंतर प्रगति पथ पर आगे बढ़ने के लिए भी प्रेरित करता है।

अपनी इस लंबी यात्रा में मैंने समय-समय पर अपनी धनराशि और अपनी आस्था का निवेश भारत के लोगों में किया है, फिर चाहे वे पढ़े-लिखे नौजवान, कलाकार या कारीगर रहे हों या फिर अनपढ़-अशिक्षित बेरोजगार किसान, श्रमिक या गरीब महिलाएं। मैंने उन सभी के दुःख-दर्द को सुना, समझा और जाना है और उसके बाद यथासंभव उनकी मदद की कोशिश की है ताकि वे गरीबी, दीनता के मकड़जाल से बाहर निकलें और अपना विकास करें, जिससे अन्ततः पूरे राष्ट्र का विकास होगा और हम सफलता के सर्वोच्च शिखर पर दीप्तिमान होंगे। ठीक मेरे टिमटिमाते “स्टार” की तरह। बस अब इतना ही, शेष फिर।



प्रस्तुतकर्ता :

सावित्री सिंह

सहायक महाप्रबंधक
भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई

बैंकों में साइबर सूचना संबंधी खतरे

● आनंद कृष्ण*

साइबरस्पेस एक विश्वव्यापी कंप्यूटर नेटवर्क (इंटरनेट) है जो कंप्यूटर एवं संचार संबंधी उपकरणों को जोड़ता है। इंटरनेट स्वभावतः कम सुरक्षित होने के कारण सदैव घुसपैठ के खतरों से प्रभावित रहता है। जब इंटरनेट से जुड़ा हुआ कोई कंप्यूटर वायरस के संपर्क में आता है तो नेटवर्क के अन्य कंप्यूटर भी इससे जुड़े होने के कारण प्रभावित हो जाते हैं। इसी प्रकार एक कंप्यूटर की कमजोरी किसी बड़ी घुसपैठ की संभावना को जन्म देती है।

साइबर खतरे कई हैं जो बिलकुल अलग प्रकार के होते हैं, जिनमें से कुछ निम्नांकित हैं:

1. फ़िशिंग (Phishing)

कंप्यूटर सुरक्षा के क्षेत्र में, फ़िशिंग एक आपराधिक धोखाधड़ी की प्रक्रिया है जिसके द्वारा नकली पहचान बनाकर संवेदनशील जानकारी जैसे उपयोगकर्ता का नाम, पासवर्ड, क्रेडिटकार्ड का विवरण आदि की चोरी का प्रयास किया जाता है।

फ़िशिंग के प्रकार

- भ्रामक फ़िशिंग (Deceptive Phishing)
- मैलवेयर-आधारित फ़िशिंग (Malware-based Phishing)
- डीएनएस आधारित फ़िशिंग (DNS-based Phishing) (Pharming)

भ्रामक फ़िशिंग (Deceptive Phishing)

भ्रामक फ़िशिंग के हमले में फ़िशिंग करने वाला एक लिंक भेजता है जिस पर क्लिक करने के लिए प्राप्तकर्ता से आग्रह किया जाता है। लिंक पर क्लिक करने से प्राप्तकर्ता किसी नकली वेबसाइट पर पहुंच जाता है जहाँ पर दी गयी जानकारियाँ गलत हाथों में पहुंच जाती हैं। कई मामलों में, फ़िशिंग करने वाला सीधा नुकसान नहीं करता है लेकिन वह

प्राप्त जानकारी बाजार में बेचकर धन प्राप्त करता है।

मैलवेयर - आधारित फ़िशिंग (Malware Based phishing)

मैलवेयर आधारित फ़िशिंग में शिकार व्यक्ति के कम्प्यूटर पर एक दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर चला दिया जाता है जिसे मैलवेयर कहते हैं। यह मैलवेयर कई प्रकार से नुकसान पहुंचाने में सक्षम होता है। सामान्यतः यह मशीन पर सामाजिक इंजीनियरिंग अथवा डाउनलोड किए सॉफ्टवेयर के माध्यम से आता है। उदाहरण के लिए:

- की लागर (Key loggers),
- स्क्रीन लागर (Screen loggers),
- स्पाई वेयर (Spyware)।

डीएनएस आधारित फ़िशिंग (फार्मिंग) (Pharming)

फार्मिंग हमले में उपभोक्ता को वैध वाणिज्यिक वेबसाइटों से फर्जी साइटों पर पहुंचा दिया जाता है जो देखने में वास्तविक साइट की तरह ही लगती हैं। लेकिन जब उपयोगकर्ता अपने लॉगिन नाम या पासवर्ड दर्ज करते हैं अथवा अन्य कोई जानकारी दर्ज करते हैं तो उस पर अपराधियों द्वारा कब्जा कर लिया जाता है। ऐसा करने के लिए डोमेन नाम सर्वर (Domain Name Server) के साथ छेड़खानी की जाती है और वेब यातायात को गुप्त रूप से और दुर्भावनापूर्ण तरीके से एक अलग नकली साइट पर भेज दिया जाता है जिसकी जानकारी उपभोक्ता को नहीं हो पाती।

2. स्निफर (Sniffer)

स्निफर मूलतः रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर है जो कि नेटवर्क पर भेजे जा रहे डेटा पैकेट को रिकॉर्ड और स्टोर करता है और कभी-कभी डेटा पैकेट का विश्लेषण भी करता है। मूलतः इसका विकास नेटवर्क के रखरखाव के लिए किया गया था,

* सहायक महाप्रबन्धक, सूचना सुरक्षा विभाग, प्रधान कार्यालय, इलाहाबाद बैंक

उदाहरणार्थ किसी हवाई जहाज का ब्लैक बाक्स भी इसी तरह का कार्य करता है। इस साफ्टवेयर का प्रयोग करके नेटवर्क पर भेजी जा रही सूचनाएं चोरी कर ली जाती हैं और उनका दुरुपयोग किया जाता है।

3. पासवर्ड की चोरी (Password Cracking)

- अनुमान के द्वारा (By simple guess)
- डिफॉल्ट पासवर्ड (Default passwords)
- शब्दकोश आधारित हमले (Dictionary based attacks)
- ब्रूटफोर्स हमला (Brute force attack)

अनुमान से पासवर्ड डालने की कोशिश करना पासवर्ड क्रैकिंग का सबसे सरल तरीका है। यह प्रक्रिया धीमी गति से चलने के कारण कई बार हमलावर पासवर्ड जानने के लिए एक स्वचालित साफ्टवेयर का प्रयोग कर शब्दकोश के विभिन्न शब्दों को पासवर्ड की तरह डालने की कोशिश करता है। सामान्यतः डेटाबेस एवं अन्य कई साफ्टवेयर डिफॉल्ट पासवर्ड के साथ आते हैं, इनका न बदला जाना भी पासवर्ड क्रैकिंग का खतरा उत्पन्न करता है। ब्रूटफोर्स हमले में स्वचालित साफ्टवेयर द्वारा विभिन्न प्रकार के पासवर्ड संयोजित करके उनका प्रयोग करने की कोशिश की जाती है।

4. पहचान हमला: आईपी स्पूफिंग (IP Spoofing)

आईपी स्पूफिंग हमले को पहचान हमला भी कहा जाता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हमलावर अपने स्रोत कम्प्यूटर की पहचान छुपाकर नकली पहचान धारण कर लेता है। इससे प्राप्तकर्ता को ऐसा प्रतीत होता है कि डेटा किसी वास्तविक (genuine) स्रोत से भेजा गया है और वह इस तरह किसी धोखाधड़ी का शिकार हो सकता है।

5. इनपुट मान्यकरण हमला (Input Validation Attack)

इनपुट सत्यापन हमले खराब प्रोग्रामिंग की वजह से तब होते हैं जब इनपुट स्वीकार करने से पहले इसे मान्य करने के लिए की जाने वाली प्रक्रिया ठीक तरह से काम न कर रही

हो। यह हमले का सरलतम प्रकार है, इसमें किसी उपकरण की आवश्यकता नहीं होती। एक हमलावर अवांछनीय एवं दुर्भावनापूर्ण तरीकों का प्रयोग करके संवेदनशील फाइलों, क्रेडिट कार्ड विवरणों इत्यादि की चोरी कर सकता है।

6. एसक्यूएल इंजेक्शन हमला (SQL Injection Attack)

यह इनपुट सत्यापन हमले का दूसरा रूप है जिसमें विशेष रूप से हमलावर SQL queries का उपयोग करके दुर्भावनापूर्ण गतिविधियाँ करता है। यह जोखिम तब उत्पन्न होता है जब एक डेटाबेस क्वेरी इंटरनेट के माध्यम से की जाती है तथा वेब पेज में इसके सत्यापन का अभाव होता है। ऐसे हमले करने के लिए केवल एप्लीकेशन (Application) की कमजोरी को जानने की आवश्यकता होती है।

7. सेवा रोकने वाले हमले (Denial of Service Attack)

सेवा रोकने वाले हमले वेबसाइट पर सामान्य गतिविधि को रोकने के इरादे के साथ किए जाते हैं। ऐसे हमले में वेबसाइट से संबंधित कम्प्यूटर संसाधनों जैसे सीपीयू, मेमोरी, डिस्क स्पेस, नेटवर्क आदि का अत्यधिक उपयोग बढ़ाकर उन्हें बाधित कर दिया जाता है जिससे वास्तविक ग्राहक का संबंध उक्त वेबसाइट से नहीं हो पाता और सामान्य गतिविधियाँ रुक जाती हैं। स्मर्फ (Smurf) और सिन (Syn) हमले, सेवा रोकने वाले हमलों के ही एक उदाहरण हैं।

स्मर्फ हमला (Smurf Attack)

यह हमला शिकार नेटवर्क पर प्रसारित जाली संदेश की बाढ़ लाकर किया जाता है। इस तरह के हमले में, एक अपराधी बड़ी मात्रा में पिंग ट्रैफिक (ping traffic) भेजता है जिसमें स्रोत आईपी एड्रेस नकली होते हैं। अत्यधिक मात्रा में पिंग ट्रैफिक होने के कारण नेटवर्क के कार्य में बाधा उत्पन्न हो जाती है।

सिन बाढ़ (SYN Flood)

यह हमला शिकार नेटवर्क पर प्रसारित SYN अनुरोधों

की बाढ़ लाकर किया जाता है। ऐसे हमले में कुछ सिस्टम क्रेश कर सकते हैं या उनमें बुरी तरह खराबी आ सकती है जिससे सेवा बाधित हो जाती है।

8. 'मध्य में आदमी' हमला (Man-in-Middle Attack)

यह रास्ते में डेटा की चोरी का एक तरीका है। यह जावा स्क्रिप्ट, स्निफर, की-लागर आदि के माध्यम से किया जाता है। इसमें डेटा भेजने के बाद रास्ते में उसकी नकल कर ली जाती है या उसमें अवांछनीय परिवर्तन कर दिये जाते हैं।

9. सोशल इंजीनियरिंग हमला (Social Engineering Attack)

इस प्रकार के हमले में हमलावर अत्यंत चालाकी से अल्प समय के लिए शिकार व्यक्ति का जबरदस्त भरोसा प्राप्त करके उससे क्रेडिट कार्ड, पासवर्ड, एकाउंट नम्बर, पते आदि की जानकारी प्राप्त कर लेता है। संवेदनशील जानकारी प्राप्त करने के लिए हमलावर तकनीकी व्यवस्थापक, सिस्टम व्यवस्थापक आदि होने का दिखावा करता है और कई प्रकार का भय दिखाकर ऐसी जानकारी प्राप्त कर लेता है।

10. सीएसआरएफ हमला (Cross Site Request Forgery (CSRF) attack)

ऐसे हमले में हमलावर उस उपयोगकर्ता को, जिसने इंटरनेट में लॉग-इन किया है, हमलावर द्वारा बनाये पृष्ठ विशेष पर जाने के लिए प्रेरित करता है। इस पृष्ठ विशेष पर जाने पर एक जाली लेन-देन का अनुरोध, बिना उपयोगकर्ता की जानकारी के, एक असली अनुरोध की तरह जारी हो जाता है और इस तरह बिना वैध अनुरोध के धोखाधड़ी कर ली जाती है।

11. क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग (Hijack of user session via XSS (Cross Site Scripting))

क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग (XSS) वेब प्रोग्राम (एप्लीकेशन) में एक प्रकार की कमजोरी है। इसके द्वारा हमलावर पहुँच नियंत्रण (Access Controls) को बाईपास करने में सक्षम हो सकता है जिसके कारण वह कई प्रकार के नुकसान कर सकता है।

12. ई-मेल और सूचनाओं की चोरी

- असंतुष्ट कर्मचारियों अथवा दुर्भावनापूर्ण हमलावरों द्वारा ई-मेल का दुरुपयोग कर बौद्धिक संपत्ति की चोरी की जा सकती है।
- एन्क्रिप्शन का अभाव होने के कारण महत्वपूर्ण सूचनाओं की चोरी सम्भव हो जाती है।
- कई बार उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड ईमेल द्वारा सादे शब्दों में भेजता है जिसकी चोरी कर हमलावर इसका दुरुपयोग कर सकता है।
- अगर ब्राउजर में 'save password' के विकल्प का प्रयोग किया जाता है, तो पासवर्ड का पता किया जा सकता है।
- ई-मेल के सबसे आम खतरे हैं: अपमानजनक ई-मेल, जाली ईमेल और स्पैम।
- 70% ई-मेल संदेश स्पैम होते हैं।

13. ई-मेल फोर्जिंग (Email forging)

यह ई-मेल शिकार व्यक्ति को इस तरह से भेजा जाता है मानों यह किसी अधिकारिक स्थान से भेजा गया हो। ई-मेल भेजने वाला ऐसे ई-मेल में अपनी पहचान छुपा लेता है। ऐसा करने के लिए किसी विशेष ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती। SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) की केवल बुनियादी जानकारी होने से भी ऐसा करना सम्भव है। शिकार व्यक्ति धोखे से अपनी सारी सूचनाएं ई-मेल भेजने वाले को प्रदान कर देता है जिसका कालांतर में दुरुपयोग किया जा सकता है।

14. स्वचालित हमले: साइट पर कैप्चा (CAPTCHA) का अभाव

कैप्चा (Completed Automated Public Turing test to tell Computers and Human Apart) का प्रयोग वेबसाइट पर किए जाने वाले कई प्रकार के स्वचालित हमलों से बचने के लिए किया जाता है। इसमें उपयोगकर्ता

एक तस्वीर में दिखाए गए शब्द को पहचान कर वेबपेज में दिए textbox में दर्ज करता है। शब्द सही होने पर ही उपयोगकर्ता को आगे जाने की अनुमति मिलती है। वेबसाइट पर कैप्चा का प्रयोग न होने पर स्वचालित हमलों की सम्भावना बढ़ जाती है।

साइबर सुरक्षा रणनीति

इस प्रकार हम अनुमान लगा सकते हैं कि अपनी सूचनाओं को सुरक्षित रखना हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, विशेषकर

तब जब यह सूचनाएं धन से संबंधित होती हैं। बैंकों में सूचना सुरक्षा के महत्व को समझते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक ने विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं जिससे बैंकों एवं खातेदारों को होने वाली किसी भी सम्भावित हानि से बचाया जा सके। इसके अतिरिक्त भारत सरकार ने आईटी अधिनियम, 2000 तथा आईटी (संशोधन) विधेयक, 2008 पारित कर इस प्रकार के अपराधों को दंडनीय अपराधों की श्रेणी में रख दिया है।

बैंकिंग क्षेत्र में स्वचलित डेटा प्रवाह: प्रभावी डेटा संचारण और प्रबंधन का भविष्य

संसार भर में केन्द्रीय बैंक और विभिन्न विनियामक निकाय विनियमित संस्थाओं से प्राप्त सूचनाओं पर निर्भर होते हैं, ये सूचनाएं उनको कुशल तरीके से अपनी जिम्मेदारियों और कार्यों को करने में मदद करती हैं। इससे उन्हें समुचित नीतियां बनाने में भी मदद मिलती है। सूचनाओं में वे डेटा शामिल होने चाहिए जिन्हें अखंडता, विश्वसनीयता और सटीकता के सिद्धांतों के आधार पर एकत्र किया जाना चाहिए। ये सूचनाएं व्यवस्थित रूप से और सार्थक रूप से डेटा से निकाली गयी होती हैं। इसलिए यह सुसंगत है कि डेटा और सूचनाएं विनियामकों तक न केवल समय पर पहुंचें, बल्कि वे त्रुटियों और गड़बड़ियों से मुक्त हों। इसलिए आवश्यकता है कि प्रोसेसिंग के साथ गुणवत्ता डेटा का मिलान सुनिश्चित किया जाए और समयबद्ध रूप से उचित स्तर तक उनका प्रवाह हो।

स्वचलित डेटा प्रवाह (एडीएफ) की अवधारणा इस अपेक्षा को पूरा करती है जिसमें डेटा का अंतरण अबाध रूप से होस्ट प्रणाली से प्राप्तकर्ता प्रणाली तक होता है, इससे पूरी प्रक्रिया अधिक कुशल, सुसंगत और भरोसेमंद बन जाती है। साथ ही, एक बड़े 'स्पिन-ऑफ' लाभ के लिए, स्वचलित डेटा प्रवाह की प्रणाली 'होस्ट' स्तर पर सूचना के आदान-प्रदान की व्यवस्था को भी सुचारु बनाती है। इस प्रकार यह सक्षम एमआईएस उपकरण के रूप में कार्य करती है और उत्तम डेटा प्रबंधन व्यवहारों को प्रोत्साहित करती है।

आईटी बैंकों को न केवल अपने ग्राहकों को कम मूल्य पर सुदृढ़ और भरोसेमंद सेवाएं प्रदान करने में मदद करती है बल्कि सूचनाओं को प्रभावी तरीके से सृजित करने और उनके प्रबंधन का भी कार्य करती है।

बैंकों द्वारा समय पर सुसंगत आंकड़ों को प्रस्तुत करना रिज़र्व बैंक के लिए अपने विनियामक और पर्यवेक्षी कार्य को करने के लिए महत्वपूर्ण है। बैंकों से रिज़र्व बैंक को स्वचलित तरीके से डेटा प्रवाह न केवल समय पर उनकी उपलब्धता को सुनिश्चित करेगा बल्कि प्रभावी निर्णय समर्थनकारी प्रणाली बनाने के लिए एक बेहतर सूचना वातावरण भी प्रदान करेगा। ग्राहकों और लेन-देनों से संबंधित बड़ी मात्रा में डेटा अब बैंकों के पास उपलब्ध हैं, जिनका समुचित विश्लेषण के माध्यम से लाभपूर्वक उपयोग, कारोबार नीति को अनुकूल बनाने, विविधीकृत आंतरिक और बाह्य एमआईएस अपेक्षाओं को पूरा करने तथा सुदृढ़ जोखिम प्रबंधन प्रणाली बनाने के उद्देश्य के साथ, किया जा सकता है।

वाणिज्यिक बैंकों का कम्प्यूटरीकरण काफी ऊंचाई तक पहुंच जाने के साथ (सीबीएस को अपनाने के बाद भी), यह संभव हो गया है कि आईटी संसाधनों के लाभों का उपयोग करके डेटा प्रवाह और सूचना आदान-प्रदान व्यवस्था में अभूतपूर्व परिवर्तन लाया जाए। एडीएफ की प्रणाली से इन लाभों का फायदा उठाने और अगले उच्चतर स्तर तक बैंकों और रिज़र्व बैंक के बीच सूचना के आदान-प्रदान को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी।

स्रोत : भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति एवं प्रगति संबंधी रिपोर्ट, 2009-10.

इंटरनेट के परिप्रेक्ष्य में सूचना-सुरक्षा

● विनोद चावला*

समय के साथ इंटरनेट बैंकिंग का प्रचलन काफी तेजी से बढ़ रहा है। कुछ समय पश्चात ऐसा लगता है कि इंटरनेट बैंकिंग के आदी हो चुके लोगों के लिए बैंक शाखा में जाने की यादें भी शायद धुंधली पड़ जाएंगी। रकम का स्थानांतरण करना हो, यूटिलिटी बिलों का भुगतान हो या फिर यात्रा के टिकट खरीदना हो, बैंक के ग्राहक इतनी तेज गति से इंटरनेट का रुख कर रहे हैं जो इतिहास में कभी नहीं देखा गया। जिन लोगों ने बैंकिंग के लिए अब तक इंटरनेट का रुख नहीं किया है, वे जल्द ही अल्पसंख्यकों में गिने जाएंगे। पब्लिक सेक्टर बैंक, जिनकी पहुंच देश के कोने-कोने तक है, ने भी 'कोर-बैंकिंग सोल्यूशन' का ठोस इंतजाम किया है जो बड़े पैमाने पर इंटरनेट बैंकिंग को प्रोत्साहित कर रहा है। जहां सरकारी बैंकों के ग्राहकों में से लगभग 30 फीसदी बैंकिंग लेन-देन के लिए ऑनलाइन माध्यम का इस्तेमाल कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर प्राइवेट बैंकों ने इंटरनेट बैंकिंग का रुख करने वाले ग्राहकों की तादाद में 40 से 80 फीसदी का इजाफा देखा है।

ऑनलाइन बैंकिंग अपनाते चलन जोर पकड़ चुका है, इसके बावजूद कई बैंक व इंटरनेट सुविधा का इस्तेमाल करने वाले लोग सुरक्षा से जुड़े मुद्दों को लेकर काफी चिंतित नजर आ रहे हैं। ग्राहकों के लिए ऑनलाइन बैंकिंग में चिंता की सबसे बड़ी वजह सुरक्षा से जुड़ा पहलू है। इस चिंता का समाधान बैंक और ग्राहक, दोनों को मिलकर निकालना होगा। बैंकरों और आईटी जानकारों का मानना है कि पर्याप्त सिक्वोरिटी सिस्टम के नहीं होने तथा ग्राहकों के बीच समुचित जानकारी और जागरूकता के अभाव के कारण इंटरनेट असुरक्षा बनी रहती है तथा हैकिंग जैसी घटनाएं होती हैं। सच पूछिए तो ऑनलाइन लेन-देन के लिए साइबर कैफे से दूर रहना ही बेहतर है। साइबर सेंटर में आपके डेटा के वायरस की सीमा में आने की आशंका ज्यादा होती है और दुरुपयोग का खतरा

बढ़ जाता है। अगर आप इंटरनेट कैफे से वेबसाइट तक पहुंचने की कोशिश करते हैं तो लाइन और सिस्टम सुरक्षित नहीं होता। आप इस बात को लेकर निश्चित नहीं हो सकते कि कैफे के सिस्टम में इस्तेमाल हो रहा सॉफ्टवेयर कितना विश्वसनीय है। इसके अलावा डेस्कटॉप 'कुकीज सिस्टम' में संचित होते हैं और चतुर हैकर उन्हें आपके बैंक खाते तक पहुंचने में इस्तेमाल कर सकता है। यही बात उन लोकेशन पर लागू होती है जो वायरलेस नेटवर्क (वाई-फाई) के जरिए ऑनलाइन कनेक्शन मुहैया कराते हैं। आपके दफ्तर के डेस्कटॉप ज्यादातर दुर्भावनापूर्ण हमलों से बच सकते हैं क्योंकि उन्हें अधिकतर आप खुद इस्तेमाल करते हैं और पासवर्ड भी सुरक्षित होता है।

सूचना-सुरक्षा का अर्थ है - सूचना को सुरक्षित रखना एवं सूचना प्रणालियों को अनधिकृत पहुंच से बचाना तथा उनके दुरुपयोग, प्रकटीकरण, विघटन, संशोधन, अवलोकन, निरीक्षण, रिकार्डिंग अथवा उनको नष्ट होने से सुरक्षित रखना।

सूचना-सुरक्षा

सूचना-सुरक्षा का अर्थ है - सूचना को सुरक्षित रखना एवं सूचना प्रणालियों को अनधिकृत पहुंच से बचाना तथा उनके दुरुपयोग, प्रकटीकरण, विघटन, संशोधन, अवलोकन, निरीक्षण, रिकार्डिंग अथवा उनको नष्ट होने से सुरक्षित रखना। सूचना-सुरक्षा, कम्प्यूटर की सुरक्षा और सूचना की विश्वसनीयता को अक्सर गलत तरीके से समझा एवं प्रयुक्त किया जाता रहा है। ये सभी क्षेत्र दरअसल एक दूसरे के संपूरक हैं एवं इनका उद्देश्य है सूचना की गोपनीयता, अखंडता एवं सूचना की उपलब्धता को सुरक्षित रखना। तथापि इनके बीच कुछ सूक्ष्म मतभेद हैं। ये मतभेद प्राथमिक रूप से विषय के दृष्टिकोण, प्रयुक्त तकनीक तथा तत्संबंधी क्षेत्र की केन्द्रिकता को लेकर हैं। सूचना की सुरक्षा का मुख्य उद्देश्य सूचना की गोपनीयता, अखंडता एवं आंकड़ों (चाहे इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट या अन्य किसी भी रूप में हों) की उपलब्धता को सुरक्षित रखने के संबंध में है। कम्प्यूटर की सुरक्षा, मुख्यतः कम्प्यूटर प्रणाली की उपलब्धता एवं उसके सही परिचालन पर केन्द्रित रहती है। सरकार, सैन्य संगठन, विभिन्न निगम, वित्तीय संस्थाएं, अस्पताल तथा प्राइवेट

* महाबंधक एवं प्राचार्य, इलाहाबाद बैंक, स्टाफ कॉलेज, 1-ए, रोनाल्डसे रोड, अलीपुर, कोलकाता - 700027

व्यवसायी अपने कर्मचारियों, ग्राहकों, उत्पादों, अनुसंधान तथा वित्तीय परिस्थितियों के संबंध में अनेक गोपनीय सूचनाएं संगृहीत करते हैं। इनमें से अधिकांश सूचनाएं कम्प्यूटर में एकत्रित, संशोधित (प्रोसेस्ड) एवं संगृहीत करने के पश्चात अन्य कम्प्यूटर अथवा नेटवर्क के माध्यम से प्रेषित की जाती हैं। यदि किसी व्यवसाय से संबंधित ग्राहकों, वित्तीय स्थिति अथवा उत्पादों के संबंध में इस प्रकार की गोपनीय जानकारी किसी प्रतिद्वंदी के हाथ लग गई तब सूचना के सार्वजनिक होने के कारण उस संस्थान एवं व्यवसायी विशेष का अत्यधिक नुकसान हो सकता है। जहाँ इस जानकारी का प्रतिद्वंदी द्वारा लाभ उठाया जा सकता है, वहीं संस्था/व्यवसायी को विश्वास खोने, साथ ही गोपनीयता भंग करने के आरोप में कानूनी दांव-पेंच का सामना करना पड़ सकता है। इससे व्यवसाय में हानि, प्रतिष्ठा का ह्रास तथा व्यवसाय बंद होने अथवा संस्था के दिवालिया होने का खतरा भी हो सकता है। अतः 'गोपनीय सूचनाओं' की सुरक्षा न केवल व्यावसायिक आवश्यकता है, अपितु कई मामलों में यह नैतिक एवं कानूनी आवश्यकता भी है। व्यक्ति विशेष के संदर्भ में, सूचना की सुरक्षा जीवन के गोपनीय पहलुओं पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है जिसे विभिन्न संस्कृतियों में अलग-अलग तरीके से लिया जाता है। हाल के वर्षों में सूचना की सुरक्षा का क्षेत्र काफी विस्तृत तथा प्रभावी रूप से विकसित हुआ है।

मूल अवधारणा

पिछले बीस वर्षों से 'सूचना-सुरक्षा' के मूलभूत सिद्धान्तों में 'गोपनीयता, अखंडता और उपलब्धता' की तिकड़ी को महत्वपूर्ण माना जाता रहा है। इन सिद्धान्तों की तिकड़ी का विस्तार करने पर लगातार बहस होती रही है। इसमें 'जवाबदेही' को भी शामिल करने का प्रस्ताव आया है।

वर्ष 2002 में डॉन पार्कर ने इस त्रिकोण मॉडल का एक वैकल्पिक मॉडल प्रस्तुत किया जिसकी उन्होंने सूचना के छह विशेष तत्वों के रूप में व्याख्या की। इन तत्वों में सूचना की गोपनीयता, कब्जा, अखंडता (ईमानदारी), प्रामाणिकता, उपलब्धता और उपयोगिता को सम्मिलित किया गया। पार्करियन षटकोण 'सूचना-सुरक्षा' के विद्वानों के बीच बहस का विषय रहा है।

गोपनीयता (Confidentiality)

अनधिकृत व्यक्तियों या प्रणालियों द्वारा सूचना के प्रकटन

(डिसक्लोजर) को रोकने के लिए गोपनीयता का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के तौर पर एक क्रेडिट कार्ड के माध्यम से लेन-देन में क्रेडिट कार्ड नंबर नेटवर्क के माध्यम से संप्रेषित होता है। इस संप्रेषण के दौरान नेटवर्क प्रणाली कार्ड नंबर को इनक्रिप्ट करते हुए उसकी गोपनीयता की रक्षा के लिए सचेत होती है। इस हेतु नेटवर्क प्रणाली में इस प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था होती है कि इनक्रिप्ट करते समय जहां-जहां यह नम्बर दिखाई पड़ सकता है, जैसे कि डेटाबेस, लॉग फाइल, वेकअप, छपी हुई रसीदें आदि, वहां पर यह न दिखाई पड़े एवं जहां-जहां यह डेटा संगृहीत हो उस तक किसी की पहुंच न हो सके। इसका मुख्य उद्देश्य है कि सूचना का संप्रेषण गोपनीय एवं सुरक्षित तरीके से हो। यदि कोई अनधिकृत व्यक्ति इस इनक्रिप्टेड संदेश को डिकोड कर लेने में सफल हो जाता है तो यह सूचना-सुरक्षा की बहुत बड़ी कमजोरी है जिससे गोपनीयता के मूलभूत सिद्धान्त का खुला उल्लंघन होता है। अतः नेटवर्क प्रणाली द्वारा संगृहीत की गई व्यक्ति की निजी जानकारियों को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए 'सूचना की गोपनीयता' बनाए रखना नितान्त आवश्यक है।

अखंडता (Integrity)

'सूचना की सुरक्षा' में आंकड़ों की अखंडता परम आवश्यक है। आंकड़ों की अखंडता से तात्पर्य है कि आंकड़ों में किसी प्रकार का संशोधन/परिवर्तन अनधिकृत व्यक्तियों द्वारा न किया जा सके ताकि आंकड़े उसी रूप में प्रेषित हों जिस रूप में भेजे गए थे। इसे ही अखंडता कहा गया है। डेटा प्रेषण की अवधि के दौरान किसी भी संदेश को सक्रिय रूप में संशोधित करने से अखंडता का उल्लंघन होता है। सूचना-सुरक्षा प्रणाली में इस प्रकार की विशेष व्यवस्था की जाती है कि आंकड़ों की गोपनीयता के साथ उसकी अखंडता भी सुरक्षित रहे।

उपलब्धता (Availability)

किसी भी सूचना प्रणाली का उद्देश्य होता है जरूरत पड़ने पर तत्काल अपेक्षित सूचना का उपलब्ध होना। इसका अर्थ हुआ कि कम्प्यूटर प्रणाली द्वारा सूचना को सुरक्षित रूप से स्टोर तथा प्रोसेस करना तथा सुरक्षा नियंत्रकों द्वारा इन सूचनाओं को सुरक्षित रखना एवं संप्रेषण चैनलों के जरिए इन्हें प्रदर्शित करना इत्यादि कार्य सुचारु रूप से संचालित होते रहने चाहिए। दूसरे शब्दों में कम्प्यूटर प्रणाली के इन चारों चैनलों यथा स्टोर, प्रोसेसर, सुरक्षा तथा संप्रेषण को ठीक तरीके से कार्य करना होगा ताकि समय पड़ने पर 'सूचना' तुरंत उपलब्ध

रहे। उच्च स्तरीय कम्प्यूटर प्रणाली में यह गुण है कि सूचना हर समय उपलब्ध रहती है ताकि विद्युत आपूर्ति, हार्डवेयर की विफलता इत्यादि घटनाओं के बावजूद सूचना सुचारु रूप से एवं तुरंत उपलब्ध रहती है।

प्रामाणीकरण (Authenticity)

ई-व्यवसाय में सूचना की सुरक्षा के लिए यह अनिवार्य है कि डेटा, लेन-देन, दस्तावेजों का आवागमन प्रामाणिक एवं मूल रूप में तथा विशुद्ध/वास्तविक हो। लेन-देन में यह भी सुनिश्चित होना चाहिए कि लेन-देन करने वाले दोनों पक्ष मूल रूप से वही हैं जिनके लिए तथा जिनके द्वारा वह सूचना प्रेषित की गई है। इसकी प्रामाणिकता एवं पुष्टि आवश्यक है।

इन्कार/अस्वीकार नहीं करना (Non-Repudiation)

अस्वीकार नहीं करने से तात्पर्य है कि प्रत्येक पक्ष की यह भावना होनी चाहिए कि वह अपने दायित्व को पूरा करे तथा कानूनी रूप से हो रहे लेन-देन संबंधी संविदा में किसी भी प्रकार से इन्कार नहीं करे। कोई भी पक्ष यह न कह सके कि अमुक संदेश उसके द्वारा नहीं भेजा गया या उसे नहीं मिला। संदेश की प्रामाणिकता बनाए रखने के लिए 'डिजिटल हस्ताक्षर' एवं 'इनक्रिप्शन' इत्यादि का इस्तेमाल किया जाता है जो कि संदेश को अस्वीकार न करने में भी मददगार होता है।

नियंत्रण

सूचना को किसी भी प्रकार के खतरों से बचाने के लिए निम्नलिखित तीन कदम महत्वपूर्ण हैं :-

(1) प्रशासनिक नियंत्रण

प्रशासनिक नियंत्रण, जिसे प्रक्रियात्मक नियंत्रण भी कहते हैं, आवश्यक नीतियों, मानक एवं दिशा-निर्देशों पर आधारित होता है। इसी प्रशासनिक नियंत्रण के द्वारा व्यवसाय को चलाने तथा कर्मचारियों को नियंत्रित करने की आधारशिला रखी जाती है। इन्हीं नीतियों, मानकों के द्वारा यह निर्धारित किया जाता है कि किस प्रकार दैनिक क्रिया-कलापों को सम्पादित किया जाना है तथा किस प्रकार व्यवसाय को आगे बढ़ाना है।

इन प्रशासनिक नियंत्रणों के अन्तर्गत 'कारपोरेट सिक्यूरिटी पॉलिसी', 'पासवर्ड पॉलिसी' (नियम), अनुशासनात्मक नीति,

बाहर से कार्य करवाने इत्यादि से संबंधित नियम बनाए जाते हैं, जिनका अनुपालन सूचना-सुरक्षा की दृष्टि से अत्यावश्यक है।

इसी प्रशासनिक नियंत्रण के आधार पर तार्किक तथा भौतिक नियंत्रण को चुनने एवं कार्यान्वयन करने का मार्ग तय होता है।

(2) तार्किक नियंत्रण

तार्किक नियंत्रण को तकनीकी नियंत्रण भी कहते हैं। इसके तहत सॉफ्टवेयर और डेटा का उपयोग होता है जिसके माध्यम से 'सूचना' एवं सूचना प्रणाली का अनुश्रवण एवं सूचना तक पहुंच को नियंत्रित किया जाता है। इस नियंत्रण में प्रमुख होते हैं—पासवर्ड, नेटवर्क एवं मेजबान आधारित फायरवाल, नेटवर्क में घुसपैठ / बल प्रवेश की जांच, सूचना तक पहुंच की नियंत्रण सूची तथा सूचना का एनक्रिप्शन नियंत्रण। तार्किक नियंत्रण का मुख्य सूत्र है 'न्यूनतम विशेषाधिकार का सिद्धान्त', जिसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को, कार्यक्रम को अथवा प्रक्रिया को उतना ही विशेषाधिकार दिया जाए जितना कि उसे, उस कार्य को सम्पादित करने हेतु जरूरी है। जरूरत से ज्यादा अधिकार के उपयोग पर सिस्टम रोक लगाता है। यह तार्किक नियंत्रण हेतु आवश्यक है।

(3) भौतिक नियंत्रण

भौतिक नियंत्रण मुख्य रूप से सूचना प्रणाली के चारों ओर के परिवेश तथा कम्प्यूटर में उपलब्ध सुविधाओं को नियंत्रित करता है। यह किसी भी प्रकार की सिस्टम तक आने-जाने वाली सुविधाओं की निगरानी भी करता है जैसे दरवाजे, ताले, वातानुकूलन, धुंआ, आग, अलार्म, अग्नि-प्रतिरोधक प्रणाली, कैमरा, केबल लाइन, सुरक्षा गार्ड आदि। किसी भी नेटवर्क और कार्य के बीच सामंजस्य बनाए रखना भी भौतिक नियंत्रण का ही अंग है। भौतिक रूप से सूचना को नियंत्रित करने के लिए कार्य को बांटा जाता है। इसके तहत यह सुनिश्चित किया जाता है कि कोई भी एक व्यक्ति सिस्टम की विशिष्ट प्रक्रिया को अकेले बल पर पूरा न कर सके। उदाहरण के तौर पर किसी बैंकिंग ट्रान्जेक्शन में प्रविष्टि और उस प्रविष्टि को एक ही व्यक्ति द्वारा प्राधिकृत नहीं किया जाना चाहिए। एक एप्लीकेशन प्रोग्रामर को कभी भी सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर तथा डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर दोनों कार्य का दायित्व नहीं दिया

जाता है। यह जिम्मेदारी अलग-अलग व्यक्तियों को दी जानी चाहिए।

सूचना को उसके पूरे जीवनकाल के लिए सुरक्षित करना चाहिए अर्थात् उसके निर्माण से निस्तारण तक। सूचना का उपयोग करने अथवा नहीं करने दोनों परिस्थितियों में उसकी सुरक्षा आवश्यक है। सूचना अपने जीवन काल में सिस्टम के कई स्तरों से होकर गुजरती है जिसके कारण उसके असुरक्षित होने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए यह आवश्यक है कि सूचना के हर अभिन्न अंग को हर स्तर पर उसके व्यवहार के अनुरूप सुरक्षित किया जाए। किसी सूचना को बताना, उसकी लेयरिंग करना तथा उसकी ओवरलैपिंग की समूची प्रक्रिया को 'डिफेंस इन डेप्थ' कहा जाता है। किसी भी सूचना की एक कमजोर कड़ी इसकी समस्त विशेषताओं को नष्ट कर घातक सिद्ध हो सकती है। 'डिफेंस इन डेप्थ' यह सुनिश्चित करता है कि यदि किसी कारण सूचना की बचाव-व्यवस्था की कोई एक कड़ी नष्ट हो जाती है तो कड़ी में अन्य 'बचाव' उपायों के द्वारा उसकी सुरक्षा की जा सके।

सूचना का वर्गीकरण

सूचना-सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है सूचना के महत्व को समझना तथा उसकी सुरक्षा के उपायों एवं तरीकों को सही तरीके से अपनाना। सभी सूचनाएं समान नहीं होतीं अतः सभी के बचाव के उपाय भी समान नहीं हो सकते। इस हेतु सूचना को वर्गीकृत किया जाता है तथा तदनुसार बचाव के उपाय अपनाए जाते हैं।

अलग-अलग संगठन के लिए सूचनाओं की प्राथमिकता भी अलग-अलग होती है। संगठन के आधार पर सूचनाओं का वर्गीकरण किया जाता है, जैसे :-

- (क) व्यापारिक संस्थान में : पब्लिक, प्राइवेट, गोपनीय, संवेदनशील, सीमित,
- (ख) सरकारी संस्थान में : अवर्गीकृत, संवेदनशील, अति गोपनीय, निषेधात्मक, सीमित।

पहुंच पर नियंत्रण (Access Control)

पहुंच पर नियंत्रण यह सुनिश्चित करता है कि सुरक्षित की गई सूचना ऐसे व्यक्ति तक ही सीमित हो जो उसके लिए अधिकृत है। साथ ही 'कम्प्यूटर प्रोग्राम' एवं कम्प्यूटर भी अधिकृत

होने चाहिए। इसके लिए सूचना की पहुंच/पैठ पर नियंत्रण रखना पड़ा है। किसी व्यक्ति को किसी सूचना के लिए पहुंच हेतु, कहां तक एवं किस प्रकार से अधिकृत करना है, यह सूचना की प्राथमिकता पर निर्भर करता है। सूचना जितनी संवेदनशील होगी, उसका नियंत्रण तथा पहुंच भी उतनी ही मजबूत होनी चाहिए। इसके लिए दो प्रकार के उपकरणों की आवश्यकता पड़ती है।

(1) व्यक्ति की पहचान

इससे पता चलता है कि सूचना को लेने और देने वाला व्यक्ति कौन है। वह किस तरह से सिस्टम से संबंध रखता है। अगर कोई व्यक्ति सिस्टम से सूचना की अपेक्षा रखता है तो पहले सिस्टम द्वारा उसकी सही पहचान सुनिश्चित की जाएगी। इसके बाद ही उसे सिस्टम का उपयोग करने की अनुमति प्राप्त होगी। 'यूजर का नाम' व्यक्ति की पहचान का सबसे आसान और आम तरीका है।

(2) व्यक्ति का प्रमाणीकरण

प्रमाणीकरण से तात्पर्य है कि जो व्यक्ति सिस्टम के तहत किसी सूचना विशेष का उपयोग करना चाहता है, वह उस सूचना विशेष को जानने या पाने के लिए अधिकृत है भी या नहीं। प्रमाणीकरण के लिए 'पासवर्ड' सबसे आम तरीका है।

आजकल कम्प्यूटरों में कार्य करने हेतु 'यूजर नाम' और 'पासवर्ड' का चलन ही सर्वाधिक है परन्तु यह भी अब उतना सुरक्षित नहीं रहा। अतः अब नए उपाए प्रयोग में लाए जा रहे हैं। बायोमैट्रिक्स के द्वारा जैसे कि अंगुलियों की छाप, आंखों के स्कैन इत्यादि द्वारा भी व्यक्ति की पहचान व उसकी प्रामाणिकता आंकी जा सकती है। सूचना की सुरक्षा की दृष्टि से एक व्यक्ति की पहचान एवं प्रामाणिकता सिद्ध होने के उपरान्त भी यह निर्धारित करना अत्यन्त आवश्यक है कि कौन सी सूचना की पहुँच किस स्तर पर उपलब्ध कराने हेतु व्यक्ति को प्राधिकृत किया जाए। इसे 'प्राधिकृत' करना कहते हैं। इसके लिए आंतरिक प्रशासनिक नीतियां एवं नियम निर्धारित किए जाने आवश्यक हैं। नियंत्रक प्रणालियों की तदनुसार संरचना की जाती है ताकि नियमों का उल्लंघन न हो।

क्रिप्टोग्राफी (Cryptography)

सूचना-सुरक्षा में क्रिप्टोग्राफी तकनीक का इस्तेमाल किया

जाता है जिससे उपलब्ध सूचना को ऐसे प्रारूप में बदल दिया जाता है कि वह अधिकृत उपयोगकर्ता के अतिरिक्त किसी के द्वारा प्रयोग में न लाई जा सके। इस प्रक्रिया को 'इन्क्रिप्शन' कहते हैं। इस 'इन्क्रिप्टेड' सूचना को केवल उसी व्यक्ति द्वारा उपयोग में लाया जा सकता है जिसके पास क्रिप्टोग्राफी की कुंजी उपलब्ध हो, जो इसे उसके असली प्रारूप में बदल सके। इस प्रक्रिया को 'डीक्रिप्शन' कहते हैं। इस प्रक्रिया का इस्तेमाल सुरक्षा की दृष्टि से किया जाता है ताकि अनधिकृत व्यक्ति द्वारा या किसी आकस्मिक घटना/दुर्घटना द्वारा सूचना सार्वजनिक रूप से प्रकट न हो जाए, जबकि सूचना का प्रसारण किया जा रहा है अथवा वह 'संरक्षित' रूप में हो। क्रिप्टोग्राफी अन्य अनुप्रयोगों के साथ उन्नत एवं अधिप्रमाणित 'सूचना-सुरक्षा' प्रदान करने में सक्षम है जैसे कि मेसेज डाइजेस्ट, डिजिटल हस्ताक्षर, इंकार न कर सकना एवं इनक्रिप्टेड संप्रेषण इत्यादि। क्रिप्टोग्राफी का ठीक ढंग से प्रयोग नहीं करने पर यह कई प्रकार की मुश्किलें खड़ी कर सकता है। इसके लिए आम सहमति तथा अच्छी तरह से जांचे परखे उपायों का प्रयोग जरूरी होता है। पुराने एवं असुरक्षित उपकरणों को धीरे-धीरे प्रतिस्थापित कर नए एवं उन्नत उपकरणों का इस्तेमाल किया जा रहा है जो कि सुरक्षा की दृष्टि से ज्यादा उपयुक्त है। इनक्रिप्शन कुंजी की लम्बाई भी इस मायने में महत्वपूर्ण होती है। एक छोटी व कमजोर कुंजी एक कमजोर 'इनशन' पैदा करेगी, जो कि सुरक्षा की दृष्टि से घातक हो सकती है।

कुंजी की सुरक्षा भी गोपनीय सूचना की तरह मजबूती से करना अत्यावश्यक है। इसका अनधिकृत रूप से प्रकट

करना व नष्ट होना घातक साबित हो सकता है जिससे इसे बचाया जाना चाहिए। जहां एक सही सूचना हमें उठा सकती है वहीं एक गलत सूचना हमें गड़बड़े में भी धकेल सकती है। सूचना-सुरक्षा आज की जरूरत है। किसी भी प्रणाली की सुरक्षा तभी मजबूत होगी जब उसकी सूचना-सुरक्षा पुख्ता और मजबूत हो। इस संबंध में निरंतर जांच, प्रशिक्षण, निरीक्षण और समय-समय पर उसकी मरम्मत जरूरी है।

सूचना-सुरक्षा की आवश्यकता से इंकार नहीं किया जा सकता, लेकिन यह एक निरंतर प्रक्रिया है। इसके लिए समय-समय पर आकलन, जांच एवं समीक्षा किए जाने की आवश्यकता होती है ताकि सूचना को अनधिकृत घुसपैठ/पहुंच/संशोधन/विघटन/व्यवधान से बचाया जा सके। कभी न समाप्त होने वाली इस प्रक्रिया को सक्रिय एवं उद्देश्यपरक बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि समय-समय पर इसके लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाएं जिनमें सूचना-सुरक्षा को मजबूत एवं अभेद्य बनाए रखने संबंधी जानकारी संबंधित व्यक्तियों को दी जाए। साथ ही प्रबंधन द्वारा इसमें निरंतर सुधार हेतु विचार-विमर्श के माध्यम से रणनीति तैयार की जाए ताकि सुरक्षा-प्रणाली को मजबूती प्रदान की जा सके।

याद रहे कि सूचना-सुरक्षा से छेड़छाड़ करने की सोच रखने वाले हमेशा इसी प्रयोग/ताक में लगे रहते हैं कि वे कैसे कब इस सुरक्षा कवच में सेंध लगा सकें। इसके लिए समय-समय पर कवच को अभेद्य बनाए रखने हेतु प्रयास करते ही रहना पड़ेगा। यही समय की मांग है एवं आवश्यक भी है।

प्रख्यात अर्थशास्त्री सुरेश डी. तेंदुलकर का निधन

प्रख्यात अर्थशास्त्री तथा प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्व चेयरमैन प्रोफेसर सुरेश डी. तेंदुलकर का 72 साल की उम्र में 21 जून 2011 को निधन हो गया। तेंदुलकर अपने निधन के समय भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल में सदस्य थे। वे वर्ष 2004 से 2008 के बीच प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य तथा वर्ष 2008 से 2009 के बीच इसके चेयरमैन भी रहे। ज्ञातव्य हो कि प्रोफेसर तेंदुलकर दिल्ली के विश्व प्रसिद्ध दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रोफेसर भी थे। प्रोफेसर तेंदुलकर योजना आयोग द्वारा गरीबों की संख्या के अनुमान के लिए गठित विशेषज्ञ समूह के अध्यक्ष भी रहे थे। केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन के विभिन्न विशेषज्ञ समूहों के सदस्य के साथ-साथ राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के अध्यक्ष पद पर रहने के अलावा श्री तेंदुलकर भारत के प्रथम विनिवेश आयोग (1996-99) और पांचवें केंद्रीय वेतन आयोग (1994-97) के भी सदस्य रहे।

प्रोफेसर तेंदुलकर ने रीडिंटीग्रेटिंग इंडिया विद द वर्ल्ड इकॉनोमी (Reintegrating India with the World Economy) और अंडरस्टैंडिंग रिफॉर्म्स (Understanding Reforms) जैसी कई पुस्तकें भी लिखी हैं।

वित्तीय समावेशन : समस्याएं एवं समाधान

● संजय कुमार*

बैंकिंग के संदर्भ में वित्तीय समावेशन का अभिप्राय है कि अब तक बैंकों से दूर रह गए लोगों (चाहे शहर से हों अथवा गांव से) तक वित्तीय सेवाएं पहुंचाना। इस अभियान का मुख्य मकसद है- “समाज के कमजोर एवं वंचित वर्ग को सस्ती दर पर बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराना।” बैंकिंग सुविधाओं से तात्पर्य खाते खोलना, ऋण, भुगतान, प्रेषण, बीमा आदि सुविधाएं उपलब्ध कराना है।

वित्तीय समावेशन के राह की प्रमुख चुनौतियाँ/अड़चनें

वित्तीय वर्जन (Financial Exclusion) की वास्तविक स्थिति का आकलन : अभी तक कितने लोग वित्तीय समावेशन की परिधि से बाहर हैं, इसके विश्वसनीय आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। अलग-अलग संस्थाओं के अलग-अलग अनुमान हैं जो वास्तविकता के नजदीक भी हो सकते हैं और वास्तविकता से दूर भी। आमतौर पर विभिन्न बैंकों के खातेदारों की संख्या का योग कर लिया जाता है और देश की जनसंख्या (वयस्क जनसंख्या) से उसका अनुपात लगाकर यह निष्कर्ष निकाल लिया जाता है कि इतने फीसदी लोग वित्तीय समावेशन के दायरे के बाहर हैं। यहाँ एक समस्या यह आती है कि मान लीजिए विभिन्न बैंकों में मेरे 10 खाते हैं और वे दसों बैंक अपने आंकड़ों में मुझे अपना एक खातेदार दर्शा रहे हैं। जब ये आंकड़े एक जगह संगृहीत किए जाएंगे तो मैं 10 बार गिना जाऊंगा और 10 लोग वित्तीय रूप से समावेशित मान लिए जाएंगे, जबकि वास्तविकता में केवल एक व्यक्ति ही समावेशित है।

अशिक्षा : देश में जहाँ साक्षरता अनुपात तकरीबन 66 फीसदी है (जनगणना-2001), वहीं वित्तीय साक्षरता तो और भी कम है। भारत में उस व्यक्ति को साक्षर कहा जाता है जो लिख और पढ़ सकता है (भले ही समझ न सकता हो), किंतु क, ख, ग जान लेने मात्र से ही वित्तीय मामलों को समझ पाना आसान नहीं है।

बचत करने की आदत का अभाव : समाज का एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो आज कमाओ, आज ही खर्च करो पर विश्वास रखता है। उसे कल की चिंता नहीं है। कई बार उनके पास अतिरिक्त पैसे भी होते हैं, परंतु वे उसे भविष्य की जरूरतों के लिए जमा न करके, विभिन्न व्यसनों अथवा विलासिता जैसी अनुत्पादक गतिविधियों पर खर्च कर डालते हैं। इससे उनकी अर्जन शक्ति बढ़ने का जरिया नहीं बन पाता और वे गरीबी के दलदल से नहीं निकल पाते।

बैंकों के मध्य जागरूकता का अभाव : वित्तीय समावेशन के दीर्घकालीन फायदों के प्रति बैंकर भी पर्याप्त जागरूक नहीं हैं। उनकी राय में हाई नेटवर्थ वाले लोगों से ही बेड़ा पार लगेगा। जबकि वास्तविकता यह है कि हाई नेटवर्थ वाले लोगों की बैंक से अपेक्षाएं काफी अधिक होती हैं, चाहे सेवा का मामला हो अथवा ब्याज दर का। ऐसे लोग बैंक बदलने में भी तनिक देर नहीं करते, जबकि एक आम आदमी जिस बैंक से एक बार जुड़ जाता है, पीढ़ी दर पीढ़ी उसी का हो जाता है।

शाखा से दूरी : वित्तीय समावेशन की राह का एक बड़ा रोड़ा है- शाखा से दूरी, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। कुछेक गाँवों से शाखाएं इतनी दूर हैं कि आने-जाने में ही आधा पहर लग जाए, फिर लेन-देन के लिए तो पूरा दिन चाहिए। पूर्वोत्तर राज्यों में यह स्थिति और भी खराब है।

फ्रंटलाइन काउंटर्स पर कार्यरत स्टाफ-सदस्यों का व्यवहार : कतिपय मामलों में शाखा के फ्रंट लाइन स्टाफ-सदस्यों का व्यवहार भी अप्रत्यक्ष रूप से वित्तीय समावेशन को उसके मुकाम तक पहुँचने से रोक रहा है। कुछेक स्टाफ-सदस्यों का व्यवहार इतना उपेक्षापूर्ण रहता है कि आम ग्राहक डरते हुए शाखा में घुसता है, हमेशा आशंकित रहता है कि कब डपट लग जाए। ऐसी स्थिति में वर्तमान ग्राहक किस विश्वास के साथ अन्य लोगों को बैंक से जोड़ने की सोच सकता है?

* सहायक प्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक, पटना

बैंकों द्वारा मामलों का शीघ्र निस्तारण न करना : कमजोर वर्ग को पैसों की जरूरत तुरंत होती है। परंतु दो-चार हजार के लोन के लिए कई बार वह महीनों बैंकों के चक्कर काटता है, फिर भी काम नहीं बनता। इसके विपरीत साहूकार का दरवाजा उसके लिए दिन के 24 घण्टे एवं साल के 365 दिन खुला रहता है और पहली ही विजिट में वह पैसा लेकर लौटता है। यह बात दीगर है कि ब्याज दर इतनी अधिक होती है कि कई बार एक छोटा सा लोन जेवर, जमीन, जानवर तथा आबरू बेचकर भी पाटे नहीं पटता। गरीब के लिए ब्याज दर की अपेक्षा जल्दी पैसा मिलना ज्यादा मायने रखता है। बचत खाता खोलने में भी कमोबेश वही हाल है। किसान को एक खाता खुलवाने में कई बार कई दिन खराब करने पड़ते हैं। मसलन, आज गए, दोपहर तक शाखा में बैठे रहे, फिर मैनेजर ने कहा- कल आओ, कल गए तो कहा - अगले हफ्ते आओ.....। भारतीय कचहरियों की तरह तारीख पर तारीख लगती जाती है, पर खाता नहीं खुलता। इन कुछ लोगों की मुश्किलों को देखकर वह बहुत बड़ा तबक़ा, जो खाता खोलने की तमन्ना रखता है, एवरेस्ट पर चढ़ने जैसे इस दुष्कर कार्य से मुंह मोड़ लेता है।

उन्नत तकनीक का अभाव : डोर-टु- डोर सेवा देने हेतु बैंकों के पास उन्नत तकनीक की कमी वित्तीय समावेशन की राह में प्रमुख बाधा है।

स्थानीय जरूरतों के मुताबिक उपयुक्त उत्पादों की कमी : ज्यादातर मामलों में बैंक की व्यावसायिक नीतियाँ उसके कारपोरेट ऑफिस में तैयार की जाती हैं और पूरे देश में सार्वभौमिक रूप से लागू कर दी जाती हैं, जबकि अलग-अलग क्षेत्रों की जमीनी हकीकत अलग-अलग होती है।

उत्पादों का समुचित मूल्य न होना : बैंकों के कुछेक उत्पाद सामान्य आदमी की दृष्टि में मंहगे हैं। मसलन, एक सौ रुपए का आउट स्टेशन चेक जमा करने पर जितना हाथ लगता है, उतना ही कमीशन में चला जाता है।

लागत : आज लाभप्रदता बैंकों का प्रमुख ध्येय बन गया है। ऐसे में नो-फ्रिल खाते खोलने एवं उनके रख-रखाव में जो लागत आती है, वह उनसे होने वाली आय से कहीं अधिक है।

ऋण की वसूली एक समस्या : बैंकों का यह अनुभव रहा है कि किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) तथा अन्य सब्सिडीशुदा योजनाओं में एनपीए का प्रतिशत काफी अधिक रहता है। लोग पैसा लेना तो जानते हैं, पर चुकाना नहीं। चूँकि उधार लेने की स्वस्थ परंपरा अर्थात् पैसा लो और समय से अदा करो, नदारद रहती है, अतएव बैंकर कमजोर तबकों को लोन देने से कतराते हैं।

आधारभूत सुविधाओं का अभाव : वित्तीय समावेशन की राह की एक बड़ी अड़चन है, बैंकों में आधारभूत सुविधाओं का न होना। ग्रामीण क्षेत्रों की ज्यादातर शाखाओं में पर्याप्त स्टाफ नहीं है। ऐसे में रोजमर्रा के कामों को निपटाने में ही पसीना आ जाता है, फिर नए खाते खोलकर कोई अपना काम क्यों बढ़ाए। इसके अतिरिक्त बिजली, सड़क, परिवहन से जुड़ी अन्य समस्याएं भी हैं।

समुचित प्रोत्साहन की कमी : बैंकों में प्रायः उस कर्मचारी को अतिरिक्त प्रोत्साहन नहीं मिलता जिसने वित्तीय समावेशन की दिशा में उल्लेखनीय कार्य किया हो। कई बार तो वित्तीय समावेशन के चलते लोगों की वार्षिक कार्यनिष्पादन रिपोर्ट खराब हो जाती है। मसलन, यदि किसी मैनेजर ने कमजोर वर्ग को बड़ी संख्या में ऋण बांट दिए तो ऐसे ऋण एनपीए हो गए और उसकी शाखा का एनपीए प्रतिशत काफी बढ़ गया। इसके अतिरिक्त छोटी-छोटी जमाराशियों के पीछे भागते-भागते कई बार वह बड़े दरवाजे न खटखटा सका, जिससे शाखा का डिपॉजिट टारगेट पूरा न हो सका। ऐसे में उसे अच्छे अंक नहीं मिलेंगे।

केवाईसी जैसी अड़चनें : कई लोगों के पास, खासकर जो शहरों में मजदूरी करने, रिक्शा चलाने, सब्जी/फल की दुकान लगाने अथवा अन्य किसी असंगठित क्षेत्र में रोजगार के लिए आए हैं, केवाईसी मानदण्डों के मुताबिक पता एवं पहचान का प्रमाण नहीं होता।

निष्क्रिय खाते : 2005 से चालू वित्तीय समावेशन अभियान के तहत अभी तक जितने नो-फ्रिल खाते खोले गए हैं, उनमें से ज्यादातर खाते निष्क्रिय हो गए।

निवारण के उपाय

ऊपर जो समस्याएं बताई गई हैं, उन्हें दूर कर लेना ही उचित समाधान होगा। तथापि, कुछ समाधान निम्नानुसार हैं:-

जनगणना की मद में शामिल हो - बैंक खाता : देश में वित्तीय समावेशन की सही स्थिति के आकलन के लिए “बैंक खातों” को जनगणना की एक मद के रूप में शामिल किया जाना चाहिए। अतएव बिना समय गंवाए इस दिशा में पहल किए जाने की जरूरत है।

सरकार एवं बैंकों के स्तर पर दृढ़ इच्छा शक्ति : इस बात में कोई दो राय नहीं कि यदि किसी उद्देश्य को दृढ़ इच्छा शक्ति का साथ मिल जाए तो वह निश्चय ही पूरा होता है। सरकार द्वारा भ्रष्टाचार से निपटने हेतु जिस प्रकार से विगत में “सूचना का अधिकार” विधेयक लाया गया है, उसी प्रकार “बैंकिंग का अधिकार” विधेयक भी लाया जाना चाहिए और हरेक वयस्क के लिए बैंक खाता अनिवार्य कर देना चाहिए। यह कोई कठिन काम नहीं है। जब एयरटेल, रिलायंस, आइडिया, बीएसएनएल जैसी कंपनियां सुदूर क्षेत्र में बैठे एक अनपढ़ व्यक्ति को मोबाइल कनेक्शन थमा सकती हैं और उसे मोबाइल पर बात करना सिखा सकती हैं, तो क्या हम उसे बैंकिंग नहीं सिखा सकते। सरकार को प्रत्येक सुविधा के लिए बैंक खाता अनिवार्य कर देना चाहिए। सभी प्रकार की सरकारी सहायता बैंक खाते के माध्यम से ही देय होनी चाहिए।

बैंकों को वित्तीय समावेशन को अपनी कारपोरेट योजना का अभिन्न अंग बनाना चाहिए। उन्हें यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि नो-फ्रिल खाते निष्क्रिय न होने पाएं। लोगों को नियमित लेन-देन के प्रति प्रोत्साहित करने हेतु इन खातों में अल्प राशि की ओवरड्राफ्ट सुविधा भी दी जा सकती है।

स्टाफ के दृष्टिकोण में परिवर्तन की आवश्यकता : स्टाफ-सदस्यों को वित्तीय समावेशन को एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। बेशक, बहुत से नो-फ्रिल खातों में मनरेगा जैसी योजनाओं का पैसा जमा होते ही पूरा का पूरा निकाल लिया जाता है। परंतु कुछ समय बाद ऐसी निकासी में थोड़ा ठहराव आएगा और खातों में पैसा छूटने लगेगा। कमजोर

वर्ग के खाते खोलने से उनकी छोटी-छोटी बचतें औपचारिक बैंकिंग प्रणाली में आएंगी और बैंकों को बड़ी संख्या में कम लागत पर जमा मिलेगी। इससे थोक जमाराशियों पर उनकी निर्भरता कम होगी और चलनिधि संबंधी जोखिम से भी कुछ हद तक निजात मिलेगी। राष्ट्रीयकृत बैंकों को तो चाहिए कि जब तक प्राइवेट बैंक गाँवों तक पहुंचें, उससे पहले ही वे सबको अपना बना लें।

शाखाओं में आधारभूत सुविधाओं का विस्तार : बैंक प्रबंधन को शाखाओं के सुचारु रूप से संचालन हेतु पर्याप्त स्टाफ की भर्ती करने के साथ-साथ अन्य आधारभूत सुविधाएं भी उपलब्ध करानी चाहिए।

शाखा रहित बैंकिंग : देश में तकरीबन 6 लाख गाँव हैं, हर गाँव में ईट-पत्थर से बनी शाखा खड़ी करना तो संभव नहीं है। दो हजार से अधिक की आबादी वाले गाँवों में शाखा खोलने की संभावना तलाशी जानी चाहिए, जबकि छोटे गाँवों एवं दूरदराज के क्षेत्रों के लिए मोबाइल बैंकिंग शुरू की जा सकती है। जैविक सूचना पर आधारित **बायोमीट्रिक एटीएम कार्ड** की व्यवस्था एक अच्छा विकल्प होगा। लोगों को डोर-टू-डोर ‘कैश इन एवं कैश आउट’ की सुविधा उपलब्ध कराने के मकसद से रिज़र्व बैंक ने 2006 में **व्यवसाय प्रतिनिधियों (बीसी)** की अवधारणा का सूत्रपात किया था। परंतु अभी भी बैंकों ने इस दिशा में कोई निर्णायक पहल नहीं की है। बैंकों को बीसी, बीएफ जैसी आउटसोर्स की गई सेवाओं का भरपूर उपयोग करना चाहिए। इससे उनका परिचालन खर्च शाखा स्थापित करने के मुकाबले काफी कम रहेगा। बिजनेस कॉरस्पॉण्डेंट दूर-दराज ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने के साथ-साथ शहरों में, खासकर ठेलेवालों, सब्जीवालों, फलवालों, रिक्शा/आटोचालकों को दैनिक सेवा प्रदान कर सकते हैं। आज तो हरेक के पास मोबाइल है, जरूरतमंद लोग “कैश इन एवं कैश आउट” के लिए बीसी से आसानी से संपर्क कर सकते हैं।

संप्रेषण की भाषा : वित्तीय समावेशन के लिए यह परम आवश्यक है कि संप्रेषण जनता की भाषा में हो। मौखिक संप्रेषण के साथ-साथ मुद्रित सामग्री भी जनता की भाषा में होनी चाहिए। बैंक प्रबंधन फील्ड में ऐसे कर्मचारी पदस्थ कर

सकता है जो लोगों की स्थानीय भाषा समझने और उन्हें उनकी भाषा में समझाने में सक्षम हो।

उत्पादों का उचित मूल्य : आम आदमी को सस्ती दर पर बैंकिंग उत्पाद उपलब्ध कराने से निश्चय ही वित्तीय समावेशन को गति मिलेगी। एक ही उत्पाद के लिए अलग-अलग आय समूह के ग्राहकों से अलग-अलग कीमत भी ली जा सकती है।

बैंकिंग योजनाओं का सही जगह एवं सही समय पर डिस्ट्रिब्यूट : आमतौर पर बैंक की विभिन्न योजनाओं (यथा-जमाराशियों पर ब्याज दरें, खाता खोलने हेतु आवश्यक जरूरतें, ऋण, बीमा आदि) के बारे में जानकारी केवल शाखा परिसर में ही प्रदर्शित रहती है। परंतु, जो लोग अभी तक बैंक से ही नहीं जुड़े हैं, उनके लिए शाखा परिसर में चिपकाई गई ऐसी सूचनाओं का क्या प्रयोजन? अतएव, बैंकों को चाहिए कि वे ऐसी सभी सूचनाएं पंचायतों के कार्यालयों, बाजारों, गांव के नुककड़ों अथवा अन्य सार्वजनिक स्थलों पर प्रदर्शित करें।

जहां तक योजनाओं के सही समय पर विज्ञापन की बात है, लोग इस बात से सहमत होंगे कि कई योजनाएं किसी खास सीजन में विशेष रंग लाती हैं। मसलन, यदि फसल कटने के समय आकर्षक जमा योजनाओं का विज्ञापन किसान के द्वार पर लगा हो तो निश्चय ही किसान फसल बिक्री की राशि बैंक में जमा करने हेतु प्रेरित होंगे। बुआई के समय यदि केसीसी जैसी योजनाओं का विज्ञापन लगा हो तो वे ऋण के द्वारा उन्नत किस्म के बीज, फर्टिलाइजर आदि खरीदने का मन बना सकते हैं।

स्थानीय जरूरतों के मुताबिक नीतियाँ : बैंक के कारपोरेट कार्यालय को विभिन्न व्यावसायिक नीतियाँ सार्वभौमिक रूप से न बनाकर, विविध क्षेत्रों की जरूरतों के मुताबिक अलग-अलग बनानी चाहिए।

मीडिया की भूमिका : इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट दोनों प्रकार का मीडिया आम जनता के मध्य विभिन्न बैंकिंग उत्पादों, बैंकिंग सेवाओं से जुड़े विविध समाधानों के बारे में प्रभावी जानकारी फैला सकता है।

फील्ड स्टाफ के कार्यनिष्पादन मूल्यांकन में वित्तीय समावेशन को तरजीह दें : भारतीय रिज़र्व बैंक ने 2010-11 हेतु घोषित मौद्रिक नीति में बैंकों को सुझाव दिया है कि वे फील्ड स्टाफ के कार्यनिष्पादन मूल्यांकन में वित्तीय समावेशन मानदण्ड को शामिल कर सकते हैं। बैंक इस दिशा में अच्छा काम करने वाली शाखाओं को भी पुरस्कृत कर सकते हैं।

केवाईसी मानकों में लचीलापन अपनाए जाने की जरूरत : शाखाकर्मियों को कम मूल्य के खातों हेतु केवाईसी मानकों में दी गई ढील को व्यवहार में लाना चाहिए। आने वाले दिनों में यूआईडी परियोजना पूरी होने पर केवाईसी मानदण्ड पूरा करना और भी आसान होगा।

स्वयं सहायता समूहों को प्रोत्साहित करना : खातों के परिचालन में आने वाली लागत को कम करने तथा काम के बोझ को हल्का करने के लिए बैंकों को स्वयं सहायता समूहों के खाते खोलने हेतु आगे आना चाहिए।

वित्तीय साक्षरता : ग्राहकों को प्रशिक्षित करने हेतु वित्तीय साक्षरता केन्द्र स्थापित किए जाने चाहिए और नियमित प्रशिक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। एनजीओ भी इस दिशा में कारगर भूमिका निभा सकते हैं।

प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र : अगर कोई शाखा खाता खोलने में आनाकानी करती है तो इसके लिए बैंक के अन्दर एक मुस्तैद शिकायत निवारण तंत्र होना चाहिए। बैंकिंग लोकपाल के पते भी प्रमुख जगहों पर प्रदर्शित होने चाहिए।

वित्तीय समावेशन के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक की भी अहम भूमिका है। केन्द्रीय बैंक को वित्तीय समावेशन की दिशा में बैंकों द्वारा किए जा रहे कार्यों पर सघन निगरानी रखने के साथ-साथ उन्हें यथासमय समुचित मार्गदर्शन प्रदान करना होगा।

“वित्तीय समावेशन की राह से सारी बाधाएं हटाया जाना भले ही संभव न हो, किंतु उन्हें पार अवश्य किया जा सकता है।”

बैंकिंग सेवाओं के वैकल्पिक डिलिवरी चैनल

वर्तमान समय में बैंकिंग का स्वरूप पूरी तरह बदल चुका है। बैंकिंग क्षेत्र वैश्वीकरण, निजीकरण, उदारीकरण तथा प्रतिस्पर्धा के दौर से गुजर रहा है। बैंकों में जैसे-जैसे प्रौद्योगिकी का उपयोग बढ़ता जा रहा है वैसे-वैसे ग्राहकों की बैंकों से अपेक्षाएँ भी बढ़ती जा रही हैं। प्रतिस्पर्धा में बने रहने और ग्राहकों की बढ़ती अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए अद्यतन और समुन्नत तकनीक को अपनाना जरूरी हो गया है। आज बैंकिंग सिर्फ भावनात्मक और मूल्यों पर आधारित नहीं है अपितु ये प्रतिमान

ग्राहक सेवा की उत्कृष्टता में निहित हैं। उत्कृष्टता गुणवत्ता में निहित है। उत्कृष्टता, गुणवत्ता एवं संबंधपरक ग्राहक सेवा से ही प्राप्त की जा सकती है क्योंकि आज ज्ञान और सूचनाओं का जमाना है। आर्थिक उदारीकरण व वैश्वीकरण के वर्तमान युग में टेक्नॉलॉजी ने संपूर्ण जगत को वैश्विक ग्राम का रूप दे दिया है। यहाँ पर ग्राहकों की आकांक्षाएं चरम सीमा पर हैं, विशेषकर बैंकिंग क्षेत्र में निजी व विदेशी बैंकों के प्रवेश ने जहाँ प्रतिस्पर्धा को जटिल बनाया है वहीं ग्राहकों की दृष्टि से यह स्वागत योग्य है क्योंकि ग्राहक स्वयं के लिए उच्च स्तर चाहता है। अतः बैंकों के लिए भी ग्राहक सेवा मात्र औपचारिकता न रहकर ग्राहक प्रसन्नता का कारण बने, यही कोशिश होनी चाहिए।

वृद्धि और विकास की प्रक्रिया में प्रौद्योगिकी का योगदान स्पष्ट रूप से सराहनीय है। इसे सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया गया है। बैंकिंग क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के बढ़ते प्रयोग के कारण आ रहे परिवर्तनों और ग्राहकों की बढ़ती अपेक्षाओं ने नई-नई संभावनाओं को जन्म दिया है। अतः ग्राहकों की अपेक्षाओं व आवश्यकताओं और ग्राहक सेवा की संतुष्टि पर ही ध्यान केन्द्रित करना चाहिए।

ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को जानकारी संग्रहण, उसकी प्रोसेसिंग

तथा विश्लेषण व्यापक स्तर पर करना पड़ता है। प्रौद्योगिकी ने ग्राहक के हाथ में शक्ति देकर बैंकिंग में आमूलचूल परिवर्तन कर दिया है।

ग्राहक अब उपभोक्ता के अनुकूल और गुणात्मक वित्तीय समाधान चाहता है। बैंक भी अब एटीएम (स्वचालित टेलर मशीन), टेली बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग आदि जैसी सुविधाएँ देकर सेवा के वैकल्पिक माध्यम अ-

बैंकिंग क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के बढ़ते प्रयोग के कारण आ रहे परिवर्तनों और ग्राहकों की बढ़ती अपेक्षाओं ने नई-नई संभावनाओं को जन्म दिया है। अतः ग्राहकों की अपेक्षाओं व आवश्यकताओं और ग्राहक सेवा की संतुष्टि पर ही ध्यान केन्द्रित करना चाहिए।

पना रहे हैं। प्रौद्योगिकीय नवोन्मेष लागत और पहुँच का समीकरण बदल देते हैं - इसकी मदद से वित्तीय सेवा प्रदाताओं के लिए ग्राहकों तक व्यापक श्रेणी के उत्पादों और सेवाओं को उपलब्ध कराना - यथा - साझा नेटवर्क, सेवाओं की आउटसोर्सिंग, ई-कामर्स, केंद्रीकृत

प्रसंस्करण, त्रुटिरोधी प्रणालियाँ (हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर), डीमैट सुविधा, आंकड़ों का भंडारण, सी-आरएम (ग्राहक संबंध प्रबंधन), हरित आईटी आभासीकरण, सेवोन्मुखी वास्तुशिल्प, मांग पर गणना (ऑन डिमांड कंप्यूटिंग), उच्चस्तरीय कॉल सेंटर सेवाएँ, उच्च गुणवत्ता के पोर्टल, वेबसाइट, मोबाइल व्यवसाय-आर्थिक रूप से व्यवहार्य बन जाता है।

अधिकांश बैंक, सही अर्थों में “कभी भी कहीं भी” बैंकिंग सेवा प्रदान करने के लिए अपने सभी कार्यालयों में ‘कोर बैंकिंग सोल्यूशन’ (सीबीएस) प्रणाली लागू कर चुके हैं। प्रौद्योगिकी ऐसी होनी चाहिए जो कोर बैंकिंग सुविधा से भी आगे बढ़कर विभिन्न प्रकार के मूल्य संवर्धित उत्पादों और सेवाओं के जरिए ग्राहकों के साथ सुदृढ़ संबंध बना सके।

ग्राहकों की अपेक्षाएँ

आज उपभोक्ता अधिक जानकार, ज्ञानवान है। कई बैंकिंग

* प्रबंधक, पंजाब नेशनल बैंक, रिटेल एसेट ब्रांच, वाशी, नवी मुंबई

कंपनियों की भीड़ के कारण ग्राहकों के समक्ष उत्पाद कई रूप में होते हैं जिसके परिणामस्वरूप उपभोक्ता के पास कई विकल्प होते हैं। बैंकिंग के नवीन उत्पादों की व्यूह रचना का सामना करने वाला ग्राहक त्वरित सेवा, उत्कृष्ट सेवा, व्यक्तिगत ध्यान, कस्टमाइज्ड प्रस्ताव तथा उस उत्पाद के संबंध में सुगमता से जानकारी तथा शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई के अतिरिक्त और भी बहुत कुछ अपेक्षाएँ रखता है, यथा :-

- पासबुक / विवरणी को शीघ्र अद्यतन करना,
- नये खाते खोलने में अनावश्यक विलंब न करना,
- खाता स्थानांतरित करने में शीघ्रता,
- ऋण आवेदन की प्रक्रिया को न्यूनतम समय में पूरा करना,
- पब्लिक डीलिंग का समय पर शुरू होना एवं सीट पर कर्मचारी का मौजूद होना,
- आवासीय इलाकों में स्थित सभी बैंक शाखाओं में 7 X 24 बैंकिंग को अंगीकार करना,
- एकल खिड़की प्रणाली की गुणवत्ता में सुधार लाना,
- ग्राहक द्वारा मांगी गई जानकारी शीघ्र प्रदान करना,
- खाते में विसंगति होने पर खाते का विवरण भेजना,
- खातों से संबंधित शिकायतों का शीघ्र निपटान करना,
- जमा दर, ब्याज दर, व अन्य किसी भी प्रभार के बारे में सही जानकारी देना,
- पैसों का शीघ्र भुगतान, चेकों, ड्राफ्टों के भुगतान में विलंब न करना,
- चेक बुक/ड्राफ्ट जारी करने व धन संग्रहण भुगतान में न्यूनतम समय लगाना,
- चेकों के संग्रहण एवं समाशोधन में लगने वाले समय को कम करना,

- क्रास उत्पादों (बीमा उत्पाद, गोल्ड कॉइन एसआईपी, म्यूच्युअल फंड, प्रतिभूति बांड आदि) की सही जानकारी देना,
- 'क्या मैं आपकी सेवा कर सकता हूँ' के काउंटर पर मौजूद कर्मचारी कुशल, बैंक नियमों / योजनाओं का पूर्ण ज्ञाता हो एवं ग्राहकों के साथ सहयोग करे,
- काउंटर पर हमेशा मौलिक व मधुर भाषा का प्रयोग करना,
- ग्राहकों के खातों और लेन-देन की गोपनीयता तथा खातों की सुरक्षा बनाए रखना,
- बैंकों में ग्राहकों के बैठने के लिए समुचित व्यवस्था एवं मूलभूत सेवाएँ प्रदान करना,
- कम्प्यूटर सिस्टम फेल होने से ग्राहकों को होने वाली असुविधा का ध्यान रखना,
- मृतक के खातों के दावों का निपटान करने में शीघ्रता दिखाना।

विकासोन्मुखी बैंकिंग, प्रौद्योगिकी बैंकिंग, तकनीकी बैंकिंग आज बैंकिंग की स्थायी माँग है तो विशेषकर ग्राहक सेवा संचारी भाव है जो पूर्णतः ग्राहक अपेक्षाओं की संतुष्टि पर ही निर्भर है। बदलते परिवेश में टिके रहने के लिए ग्राहक की प्रभुसत्ता को स्वीकार करना होगा, अर्थशास्त्र के 'उपभोक्ता सार्वभौमिकता' व ग्राहक जो चाहे उसे मिले जैसे सिद्धान्त के अनुसार ग्राहक को सर्वोपरि मानते हुए ग्राहकों की अपेक्षाओं व रुचियों आदि को ज्ञात कर अपनी व्यावसायिक क्रियाओं (उत्पाद, विपणन, वित्त, सेवाएँ आदि) के माध्यम से ग्राहकोन्मुखी दृष्टिकोण अपनाकर ग्राहक संतुष्टि पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है।

सूचना प्रौद्योगिकी तथा उसके जरिए हुए नवोन्मेष ग्राहक संबंध को बढ़ाने में महत्वपूर्ण माध्यम का कार्य करते हैं। ये वित्तीय लेनदेनों की लागत को कम करते हैं। एक अनुमान के अनुसार टेलर के जरिए प्रति लेन-देन लागत एक रुपये, एटीएम के जरिए 45 पैसे, फोन बैंकिंग द्वारा 35 पैसे, डेबिट कार्ड द्वारा 20 पैसे तथा इंटरनेट से मात्र 10 पैसे आती है। प्रौद्योगिकी वित्तीय संसाधनों के आबंटन में सुधार लाती है तथा

वित्तीय संस्थाओं की प्रतिस्पर्धा एवं कौशल में वृद्धि करती है। रिटेल बैंकिंग विपणन को भी तकनीकी विकास ने नए आयाम दिये हैं। एटीएम सेवा, डायल सेवा, उगाही या किस्त भुगतान सेवा, मोबाइल फोन सेवा, रिचार्ज सेवा, बीमा प्रीमियम या किस्त भुगतान सेवा, मल्टी सिटी चेक सेवा, सेटेलाइट सेवा, त्वरित विप्रेषण, रेलवे व एयर टिकट बुकिंग, बिजली बिल भुगतान सेवा इसके उदाहरण हैं। इसके अतिरिक्त मेडीक्लेम वरिष्ठ नागरिकों हेतु सेवाएँ, टैक्स जमा, डी-मैट, सोने के सिक्कों की बिक्री, निवेश सेवा और वित्तीय बाजार से जुड़ी सेवाएँ भी इस परिधि में शामिल की गई हैं।

बैंकिंग क्षेत्र में प्रौद्योगिकी की उपलब्धियाँ आकर्षक होने पर भी हमारे सामने कई महत्वपूर्ण कार्य हैं। वित्तीय क्षेत्र की वर्तमान अग्रणी संस्थाओं द्वारा अभी भी नई प्रौद्योगिकी तथा सूचना आधारित प्रणालियों का पूरा लाभ उठाया जाना आवश्यक है ताकि ग्राहकों की बढ़ती अपेक्षाओं को पूरा किया जा सके। उदाहरणस्वरूप, ग्रामीण तथा अर्ध शहरी क्षेत्रों में कम बैंकिंग सुविधायुक्त बाजारों में बैंकिंग सेवाओं के विस्तार में सूचना तकनीक के उपयोग की संभावना व्यापक है। एक अनुमान के अनुसार गांवों में 44 हजार करोड़ रुपये का बाज़ार उपलब्ध है जो अभी तक अनछुआ है। आज आवश्यक हो गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों की शाखाओं में भी उच्च तकनीक का प्रयोग किया जाए। कृषि कार्ड को एटीएम सुविधा से जोड़ा जाना चाहिए। किसान अपने उत्पादों को सीधा मण्डियों में बेचे इसके लिए ई-कामर्स जैसी सुविधाओं का प्रचलन बैंकों को करना होगा जिसका लाभ किसानों को अवश्य मिलेगा। इसके अतिरिक्त बड़े ग्रामीण इलाकों में कमोडिटी एक्सचेंज से जुड़ा हुआ कम्प्यूटर टर्मिनल इत्यादि सेवाएँ भी उपलब्ध कराई जानी चाहिए। स्मार्ट कार्ड प्रौद्योगिकी, मोबाइल एटीएम, बायोमेट्रिक एटीएम, दूर-दराज के क्षेत्रों में इलेक्ट्रॉनिक भुगतान नेटवर्क के अंतर्गत डाक घरों को शामिल किया जाना, ये सभी वित्तीय सेवाएँ प्रदान करने में सकारात्मक कदम हैं।

भारत में मोबाइल संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग से अभूतपूर्व वृद्धि हो रही है। ये ऐसे घटनाक्रम हैं जिनका लाभ वित्तीय क्षेत्र उठा सकता है। मोबाइल फोन के उपयोगकर्ताओं में महानगरीय केन्द्रों, शहरों तथा गांवों में रहने वाले समाज के सभी वर्गों के लोग आते हैं। यदि बैंक इस माध्यम से सेवाएँ उपलब्ध कराते

हैं तो वे टेलीकॉम की इस विस्तारित पहुँच का लाभ उठा सकते हैं। फोन की इंटीग्रेटेड चिप बहु प्रयोग स्मार्ट कार्ड के रूप में कार्य कर सकती है, इस प्रकार वस्तुतः प्रत्येक मोबाइल धारक को बैंकिंग सेवाएँ उपलब्ध कराई जा सकती हैं। भविष्य के डिलिवरी माध्यम के रूप में इसका भविष्य उज्ज्वल है, इसकी संभावनाएँ असीम हैं तथा ये कारोबार को एक बेहतर अवसर प्रदान करते हैं। फिर भी ऐसी सुविधाओं का विस्तार करते समय आवश्यक सुरक्षा उपायों के न्यूनतम स्तर के बारे में ध्यान दिया जाना चाहिए तथा ये ग्राहकों के लेनदेनों की गोपनीयता संबंधी स्थापित प्रयासों के अनुरूप होने चाहिए।

ग्राहकों की अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए निम्नलिखित प्रयोग किये जा सकते हैं :-

- कुशल प्रौद्योगिकी से सज्जित प्रौद्योगिकी चालित सेवाओं एवं वैकल्पिक डिलिवरी चैनलों से युक्त बैंकिंग ने ग्राहकों की अपेक्षाओं को इतना अधिक बढ़ा दिया है कि ग्राहक अब केवल वित्तीय उत्पादों से संतुष्ट नहीं है वरन उसे अपने प्रयोजनों के अनुरूप निर्मित उत्पाद एवं सेवाएँ चाहिए। बढ़ती अपेक्षाओं, बढ़ती जागरूकता के कारण भी ग्राहक संबंधों का प्रबंधन महत्वपूर्ण है।
- प्रौद्योगिकी का कार्यान्वयन ग्राहक को ध्यान में रखकर करना चाहिए जिससे लागत, समय और सुगमता के अर्थ में ग्राहकों को सुविधा प्राप्त हो सके। ग्राहकों की सामाजिक, आर्थिक एवं व्यावहारिक पृष्ठभूमि का ध्यान रखते हुए विभिन्न प्रकार के ऋण उत्पाद एवं सेवाएँ ग्राहकों को प्रदान करें, जिसमें कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर सीआरएम (कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट - सीआरएम) का उपयोग कारगर सिद्ध हो सकता है।
- बैंक शाखाओं के बढ़ते स्वचालन के कारण ग्राहक संबंध शाखा की परिधि से इतर कम लागत वाले अन्य माध्यमों जैसे मोबाइल बैंकिंग, वर्चुअल बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग इत्यादि में समाते जा रहे हैं जिससे बैंकों का पूरा ध्यान ग्राहकों के साथ संबंधों के प्रौद्योगिकी प्रबंधन पर होना चाहिए। प्रौद्योगिकी प्रबंधन के द्वारा बिक्री, विपणन, ग्राहक शिकायत, प्रशिक्षण, व्यावसायिक विकास, मानव

संसाधन प्रबंध, निष्पादकता मूल्यांकन से प्राप्त सूचना कोश द्वारा ग्राहकों को लक्षित विपणन प्रणाली द्वारा संतुष्ट रखा जा सकता है।

- प्रौद्योगिकी उन्नयन के अधिकतम लाभों का दोहन करने के लिए कारोबारी प्रक्रिया की रि-इंजिनियरिंग करनी होगी। प्रक्रियात्मक लचीलापन एवं जोखिम प्रबंधन को समानान्तर महत्व देकर बैंक अपने एवं ग्राहक दोनों के हितों की रक्षा कर सकते हैं। आधुनिक बैंकिंग केन्द्रीयकृत नेटवर्किंग प्रचालन सीबीएस तथा 24 x 7 x 365, यूनिवर्सल बैंकिंग, ई-बैंकिंग, इमेज प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज, ईसीएस जैसी सेवा प्रदाता प्रणालियों का समावेश है, जिससे ग्राहकों की अपेक्षाओं को ध्यान में रखा जा सकता है और ग्राहक संबंधों को मजबूती दी जा सकती है।
- सूचना प्रौद्योगिकी को ग्राह्य बनाने हेतु ग्राहकों को कम लागत पर सुदृढ़ और भरोसेमंद सेवाएँ प्रदान करने के लिए बैंकों को आगे आना होगा। कोशिश यह होनी चाहिए कि सूचनाओं में अखंडता, विश्वसनीयता और सटीकता के आधार पर एकत्र किये गए आंकड़े शामिल हों जिनका सार्थक विश्लेषण करके विविधकृत आंतरिक और बाह्य एमआईएस अपेक्षाएँ पूरी हों व ग्राहक संबंध प्रबंधन को सही अर्थों में कार्यान्वित किया जा सके।
- आज तकनीक न्यूनतम मानवीय हस्तक्षेप से बेहतर ग्राहक संबंध बनाए रखने में सहायक है। परंतु हमें यह याद रखना चाहिए कि बैंक का ग्राहक कोई मशीन नहीं है बल्कि मानव है जिसके साथ मानवीय व्यवहार एवं संबंधों की जगह मशीनी संबंध नहीं ले सकते हैं। ग्राहकों को मुस्कान के साथ सेवा देना नितांत आवश्यक है क्योंकि ग्राहकों में ही बैंकिंग की संभावनाएँ रची-बसी हैं।
- बैंक प्रबंधन को चाहिए कि वह बैंक एवं उसकी शाखाओं को सरकारी कार्यालय की भांति न समझे अपितु एक ऐसे मंदिर के रूप में देखे जिसका देवता ग्राहक है। यह सर्वविदित है कि मूलभूत संरचनात्मक पहलू के कारण कई ग्राहकों ने सार्वजनिक बैंकों को छोड़ निजी बैंकों का रुख कर लिया है।

- बैंक रहित और अगम्य क्षेत्रों तक पहुँचने के लिए बैंकिंग सेवाओं हेतु मजबूत डिजिटल तथा भौतिक मूलभूत संरचना की जाए ताकि प्रौद्योगिकी को हर तरह से ग्राहक केन्द्रित बनाया जा सके, जो बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत छोटे और खुदरा ग्राहकों के संपूर्ण समूहों को खींच सके।
 - कभी-कभी कर्मचारी ज्ञान के अभाव में ग्राहकों को बैंकिंग उत्पादों एवं सुविधाओं के बारे में बताने में असमर्थ रहते हैं। ज्ञान का संबंध बैंकिंग संबंधी पूर्ण जानकारी रखने से है। बिना ज्ञान के ग्राहकों को संतुष्ट नहीं किया जा सकता है क्योंकि वर्तमान समय में ग्राहक बड़ा जागरूक है, वह तुरंत अपनी जिज्ञासाओं को शांत करना चाहता है। इस संदर्भ में प्रत्येक स्टाफ को बैंक उत्पादों एवं सेवाओं की पूर्ण जानकारी रखनी चाहिए ताकि वे ग्राहकों की अपेक्षाओं के अनुरूप जानकारी देकर ग्राहक संतुष्टि को सर्वोपरि बनाए रख सकें।
 - आज का ग्राहक 'डोर स्टेप बैंकिंग' जैसी सुविधाओं की अपेक्षा रखता है। बैंकों को भी सावधि जमा की होम डिलिवरी, बनाये गए ड्राफ्ट, खाता खोलने के लिए ग्राहक के घर पर जाकर सेवाएँ प्रदान करनी चाहिए। दैनिक, मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, वार्षिक जमाओं की राशि उनके घर से ही प्राप्त करनी चाहिए। इससे ग्राहकों की बैंकों से आत्मीयता बढ़ेगी और संबंधों की सुदृढ़ता भी।
- अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी सोल्यूशन के कार्यान्वयन से बैंकों की परिचालन लागत कम हुई है, लेकिन यह विचारणीय है कि बैंकों की आय में हुई इस वृद्धि से ग्राहक को कितना लाभ पहुँचा है। आज के उदारीकृत वातावरण में बैंकों द्वारा अर्जित लाभ को बहुत कम मात्रा में ग्राहकों के बीच बाँटा गया है। पर्याप्त प्रमाण है कि छोटे-छोटे लेन-देनों की लागत कम नहीं हुई है। कम मूल्य के ड्राफ्ट निर्गम प्रभारों का ही उदाहरण लीजिए। जब तक कम मूल्यों के लेन-देनों को किफायती नहीं बनाया जाता, इससे कार्य दक्षता पर प्रभाव नहीं पड़ने वाला।

आज भी एक जमाखाता खोलने के लिए औपचारिकताएँ पूरी करने की दौड़-धूप में ग्राहक पिसकर रह जाता है, फिर आसानी से ऋण सुलभ होना तो बहुत दूर की बात है।

प्रौद्योगिकी ने हमें हमारे डेस्कटॉप पर इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा प्रदान की है। एक विवेकपूर्ण सुरक्षा उपाय के रूप में कोई ग्राहक तीन बार अपने पासवर्ड को गलत डालने के बाद अपने खाते से लॉग आउट हो जाता है। वह तब नये पासवर्ड को जारी करने के लिए या तो शाखा में जाता है अथवा शुल्कमुक्त टेलीफोन नंबर का प्रयोग करता है। लेकिन, ग्राहक को नया पासवर्ड जारी करने के लिए दस दिन का समय और ग्राहक द्वारा विधिवत प्रमाणित करने और पासवर्ड की प्राप्ति की पावती देने के पश्चात पासवर्ड को ऐक्टिवेट करने में दो दिन का अतिरिक्त समय क्यों लिया जाता है। क्या यह आवश्यक नहीं है कि पूरी प्रक्रिया को वास्तविक रूप से तेजी प्रदान की जाए ताकि ग्राहक अति शीघ्र इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा शुरू कर सके? ग्राहक संतुष्टि एवं ग्राहक सेवा का हमारा स्तर बढ़ती हुई शिकायतों की संख्या से स्वतः स्पष्ट है। अतः ग्राहक के लिए बैंकिंग लेन-देनों को और सुगम बनाने हेतु एक तीव्र और प्रभावी शिकायत निवारण प्रणाली आवश्यक है।

एटीएम लेन-देनों से संबंधित शिकायतों की ही बात करें तो जब ग्राहक का खाता नामे हो जाता है और नकदी का भुगतान भी नहीं होता है तब ग्राहकों द्वारा की गई अनेक शिकायतों और उनके खाते में धनराशि पुनः जमा करने के लिए बैंकों द्वारा की जा रही देरी को देखते हुए रिज़र्व बैंक ने अब 12 दिनों की एक अनिवार्य समय सीमा लगाई है, जिसके अंतर्गत ही ग्राहक के खाते में इस राशि को जमा करना होगा। ऐसा न करने पर बैंक को ग्राहक को प्रति दिन 100/- रुपये का दंड देना होगा। सीबीएस परिवेश में समाधान में इतना लंबा समय क्यों लगना चाहिए जिससे ग्राहक को असुविधा हो और ग्राहक की ओर से विनियामक हस्तक्षेप किया जाए।

आए दिन बैंकिंग कार्यकलापों में कम्प्यूटर से संबंधित तकनीकी खराबियों की बात सुनने को मिलती रहती है, जिससे ग्राहकों में असंतोष एवं रोष फैलता है। कई बार साइबर अपराध यथा फिशिंग, फार्मिंग, हैकिंग, सोशल इंजिनियरिंग जैसे साइबर अपराधों के शिकार ग्राहकों को अहमियत नहीं दी जाती। बैंक उनसे अपना पल्ला झाड़ कर निकलना चाहता है। जहाँ बैंकों के द्वारा परस्पर सहयोग अपेक्षित है, ऐसे में हमारी गलती नहीं है, बैंक धोखाधड़ी के लिए क्या कर सकता है, जैसे जवाब ग्राहकों को दुःखी कर देते हैं।

बैंकों में एकल खिड़की प्रणाली शुरू की गई है लेकिन क्या ऐसा वास्तव में संभव हुआ है? भारतीय रेल का उदाहरण देखें, जो सार्वजनिक क्षेत्र का संगठन है, जिसने अपने सभी लेन-देनों जैसे टिकटिंग, निरस्तीकरण, किसी रेलगाड़ी के गंतव्य अथवा श्रेणी के लिए पूछताछ आदि से संबंधित सिंगल विंडो सुविधा अपने ग्राहकों के लिए उपलब्ध कराई है। क्या हम बैंकर के रूप में यहाँ तक पहुँच पाए हैं? नहीं। ग्राहक को रकम निकासी के लिए अलग खिड़की, जमा करने के लिए अलग, बचत खाता खोलने हेतु अलग, सावधि जमा खाता हेतु अलग, बिल भुगतान, पूछताछ हेतु अलग, अर्थात् जितने कार्य उतनी खिड़कियों में लंबी कतारों में खड़ा ग्राहक उपेक्षित शोषित होकर रह जाता है।

ग्राहकों के नेमी प्रश्नों के लिए टेली बैंकिंग एक अच्छा माध्यम है और मानव संसाधनों को कम करने में बैंकों के लिए एक सक्षम साधन भी है। कॉल सेंटर एक ऐसा दूसरा माध्यम है जो बैंकों और ग्राहकों की भावनाओं के अनुरूप कार्य करता है। इन केंद्रों पर बहुत सारी जानकारी प्रशिक्षित ग्राहक सेवा प्रतिनिधियों की उंगलियों पर होती है। एक कॉल सेंटर न केवल लागत में कमी करता है बल्कि ग्राहक संतोष भी बढ़ाता है। यह 24X7X365 कार्य करता है और ग्राहकों को मानवीय स्पर्श प्रदान करता है। मोबाइल बैंकिंग को भविष्य के सुपर्दगी चैनल के रूप में माना जा सकता है। ऐसा इसकी सुवहनीयता और प्रयोक्ता की सुविधा के कारण है। यह ठीक वैसा ही है जैसे जेब में एक बैंक।

बैंकिंग क्षेत्र में अब सीबीएस सुस्थापित हो गया है। परंतु ग्राहक धारणीयता और ग्राहक संख्या में वृद्धि हेतु सीबीएस से परे देखने की आवश्यकता है। शाखा बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, ई-बैंकिंग, वर्चुअल बैंकिंग, यूनिवर्सल बैंकिंग जैसे विभिन्न चैनलों की प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए बैंक व्यापक सीआरएम सोल्यूशन के प्रयोग पर विचार करें, जिससे सही चैनल के माध्यम से सही समय पर सही ग्राहक को सही प्रस्ताव दिया जा सके, सेवा गुणवत्ता बढ़ायी जा सके। बैंकों के कारोबार प्रोफाइल और उसके मार्जिन, कारोबार से जुड़े जोखिमों, उत्पादों की संख्या, ग्राहक सूचना, कारोबारी मात्रा और विभिन्न स्रोतों से आय संबंधी जानकारी एक लाभप्रद और प्रभावी सीआरएम पर ध्यान केंद्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका

निभाती है जिससे ग्राहकों की बढ़ती अपेक्षाओं को पूरा करने में दक्षता हासिल होती है।

सारांशतः प्रौद्योगिकी को अपनाने से उत्पन्न अवसरों का पूरी तरह से दोहन नहीं किया गया है। ग्राहक अभी भी तीव्र, सस्ती और सुगम बैंकिंग सेवाओं का लाभ नहीं उठा सकता है। अधिक ग्राहक केन्द्रित होने के लिए विशेष रूप से मौजूदा

सीबीएस के पुनर्विन्यासन और बैंकिंग क्षेत्र में अन्य प्रौद्योगिकीय समाधानों के अनुसार अभी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है तथा अभी और अधिक सुसंचालित प्रौद्योगिकी समाधान, गुणवत्ता, सुरक्षा, गति और शुद्धता के अनुसार एमआईएस क्षमता में सुधार, प्रभावी सीआरएम के लिए प्रौद्योगिकी को सुसज्जित करके ग्राहक आत्मीयता प्राप्त कर कारोबार और लाभप्रदता को बढ़ाने की आवश्यकता है।

जाली करेंसी से निपटने की क्रियाविधि

जाली भारतीय करेंसी नोटों का मुद्रण करना और/अथवा उनका परिचालन करना भारतीय दंड संहिता की धारा 489ए से 489ई के तहत एक अपराध है। अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 39 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति से इस बात की अपेक्षा की जाती है कि यदि वह करेंसी की जालसाजी सहित किसी अपराध के किए जाने अथवा ऐसा अपराध करने की नीयत रखने वाले किसी अन्य व्यक्ति के बारे में जानकारी रखता हो, तो वह उसकी सूचना निकततम मजिस्ट्रेट अथवा पुलिस अधिकारी को दे। तदनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा वाणिज्य बैंकों के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार बैंकों को चाहिए कि वे पकड़े गये ऐसे सभी जाली नोटों को ज़ब्त करें और उन्हें कानून के अनुसार एफआईआर दर्ज करने के लिए पुलिस के पास भेज दें।

नकली नोटों की बढ़ती घटनाओं के कारण, व्यक्तियों के पास जाने-अनजाने जाली नोट आ सकता है और वह अनजाने में किसी बैंक अथवा कारोबार प्रतिष्ठान को प्रस्तुत कर उसके संचलन का माध्यम बन सकता है।


मुद्रा वितरण की प्रणाली तथा क्रियाविधि के संबंध में रिज़र्व बैंक द्वारा गठित उच्चस्तरीय दल ने अगस्त 2009 की अपनी रिपोर्ट में जाली नोटों के पकड़े जाने पर एफआईआर दर्ज करने संबंधी प्रक्रिया को युक्तिसंगत बनाने की सिफारिश की।

इस मामले पर गृह मंत्रालय, केंद्र सरकार के साथ विचार-विमर्श करके निम्नलिखित निर्णय लिये गये:

- सैद्धांतिक रूप में यह निर्णय लिया गया कि जाली नोट संबंधी अपराध के मामलों को दर्ज करने के लिए हर जिले में एक नोडल पुलिस स्टेशन को नामित किया जाए। तदनुसार, बैंक हर जिले में एक नोडल अधिकारी को नामित करेगा, जिस पर पुलिस के पास ऐसे मामले दर्ज करने की जिम्मेदारी होगी।
- बैंक का नोडल अधिकारी नामित पुलिस स्टेशन को एकल रिपोर्ट दर्ज करेगा, जिसमें एकल लेन-देन में प्राप्त 1 से 4 नग तक के नोटों के संबंध में विस्तृत जानकारी होगी।
- एकल लेन-देन में प्राप्त 5 अथवा उससे अधिक नगों के मामलों में अलग एफआईआर दर्ज किया जाएगा।

कई राज्यों ने जिला स्तर पर नोडल पुलिस स्टेशनों को नामित किया है। रिपोर्टिंग प्रणाली को सरल बनाने संबंधी विषय केंद्र सरकार के विचाराधीन है।

स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट, 2010-11.



घूमता आईना

प्रस्तुतकर्ता :

● के.सी. मालपानी*

अब 25 पैसे का सिक्का समा जाएगा इतिहास के पन्नों में

अब 25 पैसे और उससे कम मूल्य के सिक्के वैध नहीं रह गए हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक ने 25 पैसे के सिक्के (चवन्नी) को चलन से बाहर करने की घोषणा करते समय सूचना दी थी कि 30 जून 2011 तक बैंकों में पच्चीस पैसे या चार आना यानी चवन्नियां जमा कर उनके स्थान पर बड़ी मुद्रा के सिक्के या नोट हासिल किए जा सकते हैं।

केंद्र सरकार ने सिक्का अधिनियम, 1906 की धारा 15ए का इस्तेमाल करते हुए 25 पैसे और उससे कम मूल्य के सिक्कों को बाजार से वापस लेने का निर्णय किया था। चवन्नी और इससे कम मूल्य के सिक्कों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध के बाद सबसे कम मूल्य का सिक्का 50 पैसे का होगा। इससे पहले 1, 2, 3, 5, 10 और 20 पैसे को बाजार से खत्म किया जा चुका है। केंद्र सरकार ने चवन्नी की वैधता समाप्त करने के पीछे तर्क दिया कि उनकी ढलाई में उन पर अंकित मूल्य से कहीं अधिक का खर्चा आता था। सिक्के बनाने में मुख्य रूप से तांबा, निकल, जस्ता और स्टेनलेस स्टील का इस्तेमाल किया जाता है।

कासा रेशियो

कासा रेशियो क्या है?

कासा का मतलब करेंट एकाउंट और सेविंग एकाउंट (CASA) होता है। सामान्य अर्थों में किसी बैंक की कुल जमाराशि में चालू खातों और बचत खातों में जमाराशियों की हिस्सेदारी ही कासा रेशियो कहलाती है। बैंकों को कासा पर दूसरी जमाराशियों के मुकाबले कम ब्याज का भुगतान करना पड़ता है। भारत में बैंकों को बचत बैंक खातों पर कितना ब्याज देना होगा, यह केंद्रीय बैंक यानी भारतीय रिज़र्व बैंक तय करता है।

कासा पर ज्यादा जोर क्यों देते हैं बैंक?

बैंकों को कासा पर सावधि और रिकरिंग जैसी दूसरी

जमाराशियों के मुकाबले कम ब्याज देना पड़ता है। बैंकों को चालू खातों पर कोई ब्याज देना ही नहीं पड़ता, जबकि बचत खातों पर उसे 4 प्रतिशत ब्याज देना पड़ता है। कासा के रूप में कम ब्याज दर पर मिली राशि को अधिक ब्याज दर पर उधार देकर बैंक अच्छा खासा लाभ कमाते हैं। इसलिए लागत घटाने के लिए बैंक अपने डिपॉजिट में कासा की हिस्सेदारी बढ़ाने पर ज्यादा जोर देते हैं। इसके अलावा जिन बैंकों का कासा रेशियो अधिक होता है उनके द्वारा दिए जाने वाले/दिए गए ऋणों हेतु आधार दर (बेस रेट) कम रहती है जिसका सीधा लाभ ऋण लेने वालों को कम ब्याज दर के रूप में मिलता है। 30 जून 2011 को एचडीएफसी बैंक का कासा सबसे ज्यादा यानी 49.1 प्रतिशत था जबकि एसबीआई का कासा 47.89 प्रतिशत और आईसीआईसीआई बैंक का कासा 41.9% प्रतिशत था।

ज्यादा कासा होने के क्या नुकसान हैं?

चूंकि कासा के कभी भी बैंक के खाते से निकलने का जोखिम होता है और ऐसा होने पर आस्ति-देयता असंतुलन पैदा होने का खतरा बना रहता है। सावधि जमा पर बैंकर यह मानकर चलते हैं कि जमाकर्ता मैच्योरिटी से पहले निकासी नहीं करेंगे और मैच्योरिटी के बाद वे उसका रिन्यूअल करा सकते हैं। इसके अलावा बैंकों को लंबी अवधि की परियोजनाओं हेतु फंड मुहैया कराने के लिए लंबी अवधि के डिपॉजिट की जरूरत होती है। इसमें आस्ति-देयता असंतुलन का खतरा कम होता है। बैंक लंबी अवधि के लोन देने के लिए कासा पर निर्भर नहीं रह सकते।

डुअल लिस्टिंग (दुहरी सूचीबद्धता)

क्या है डुअल लिस्टिंग?

डुअल लिस्टिंग उस प्रक्रिया को कहते हैं, जिसके तहत कोई कंपनी दो अलग-अलग देशों के स्टॉक एक्सचेंजों में अपने शेयर सूचीबद्ध कराती है। जब भी दो देशों की दो कंपनियों के

* प्रबन्धक, भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई

बीच कारोबार को लेकर समझौता होता है तो डुअल लिस्टिंग के जरिए दोनों ही देशों में इन कंपनियों के शेयर सूचीबद्ध बने रहते हैं। यहां महत्वपूर्ण बात यह है कि दोनों ही देशों के स्टॉक एक्सचेंजों में दोनों ही कंपनियों के शेयरों की खरीद-बिक्री की जा सकती है। उदाहरण के लिए यदि भारती एयरटेल और एमटीएन के बीच होने वाले सौदे में डुअल लिस्टिंग की शर्त शामिल होती है तो भारती के शेयरों की बिक्री जोहानसबर्ग स्टॉक एक्सचेंज में की जा सकेगी, जबकि एमटीएन के शेयर ट्रेडिंग के लिए घरेलू स्टॉक एक्सचेंज में उपलब्ध रहेंगे।

अभी कितनी कंपनियों में डुअल ट्रेडिंग होती है?

डुअल लिस्टिंग में कई जटिलताएं हैं, जिसके चलते यह ज्यादा लोकप्रिय नहीं है। हालांकि, डुअल लिस्टिंग के कई उदाहरण हैं। रॉयल डच शेल के शेयरों में इंग्लैंड और नीदरलैंड के शेयर बाजारों में ट्रेडिंग होती है। बीएचपी बिलिटॉन के शेयरों में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में ट्रेडिंग होती है। इसी तरह रियो टिटो ग्रुप के शेयरों की ट्रेडिंग भी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बाजारों में होती है। यूनिलीवर के शेयरों की ट्रेडिंग इंग्लैंड और नीदरलैंड के बाजारों में होती है।

क्या भारत में डुअल लिस्टिंग की इजाजत है?

फिलहाल भारत में डुअल लिस्टिंग की इजाजत नहीं है। इसके लिए देश के कंपनी कानून में कई संशोधन करने पड़ेंगे। इसके अलावा रुपए को पूर्ण परिवर्तनीय बनाना होगा। डुअल लिस्टिंग में कोई निवेशक एक देश में शेयरों को खरीदकर दूसरे देश में बेच सकता है। इसके लिए रुपये का पूर्ण परिवर्तनीय होना जरूरी है। इसके अलावा विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम (फेमा) में भी संशोधन करना होगा। फिलहाल विदेशी मुद्रा में कारोबार वाले शेयरों की ट्रेडिंग रिज़र्व बैंक की इजाजत के बगैर घरेलू बाजार में नहीं हो सकती।

पास थ्रू सर्टिफिकेट (पीटीसी)

पास थ्रू सर्टिफिकेट (पीटीसी) क्या है ?

पास थ्रू सर्टिफिकेट यानी पीटीसी वह प्रमाणपत्र है, जो गिरवी रखी गई संपत्ति के एवज में निवेशक को जारी किया जाता है। पीटीसी बैंक या अन्य वित्तीय संस्थानों द्वारा निवेशकों को जारी किए जाने वाले बॉण्ड या डिबेंचर के समान होते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि पीटीसी को अंडरलाइंग सिक्योरिटी के एवज में जारी किया जाता है। सिक्योरिटी पर मिलने वाला ब्याज निवेशक को फिक्स्ड इनकम यानी निश्चित आय के रूप में होता

है। प्रायः पीटीसी में वित्तीय संस्थाएं जैसे-बैंक, म्यूच्युअल फंड और बीमा कंपनियां निवेश करती हैं। इसे बेहतर ढंग से समझने के लिए हमें सिक्यूरिटाइजेशन के बारे में जानना होगा।

प्रतिभूतिकरण (सिक्यूरिटाइजेशन)

बैंक और अन्य वित्तीय संस्थाएं ग्राहकों को जो लोन या सेवाएं देती हैं, उन पर उन्हें ब्याज मिलता है या मूलधन वापस मिलता है। सिक्यूरिटाइजेशन के तहत मिलने वाली रकम या आय को कर्ज लिखत (डेट इंस्ट्रूमेंट) में परिवर्तित कर निवेशकों को बेच दिया जाता है। इसके लिए मूल कंपनी या बैंक एक स्पेशल पर्पस व्हीकल (एसपीयू) बनाता है, जो डेट इंस्ट्रूमेंट जारी करने का काम करती है। बाजार में इस डेट इंस्ट्रूमेंट की बिक्री से मूल कंपनी को नकदी हासिल होती है। वह इस रकम या फंड का इस्तेमाल अपने कारोबार के लिए कर सकती है। जब कोई निवेशक इस डेट इंस्ट्रूमेंट को खरीदता है तो उसे पीटीसी जारी किया जाता है। इसका मतलब यह नहीं है कि पीटीसी के अंडरलाइंग एसेट पर निवेशक का अधिकार होता है। जब मूल कंपनी को दिए गए कर्ज की रकम या कर्ज पर ब्याज मिलता है तो वह उसे एसपीवी को स्थानांतरित कर देती है। एसपीवी इस रकम को फिक्स्ड इनकम के रूप में निवेशकों को दे देती है।

पास थ्रू सर्टिफिकेट और पे थ्रू सर्टिफिकेट

पास थ्रू सर्टिफिकेट में कंपनी को लोन पर मिलने वाला ब्याज या मूलधन सीधे निवेशक को दे दिया जाता है, जबकि पे थ्रू सर्टिफिकेट में ब्याज या मूलधन की रकम निवेशक को नहीं दी जाती है। इसके बदले निवेशकों को एसपीवी द्वारा नई सिक्यूरिटी जारी की जाती है।

पीटीसी का क्या महत्व है?

बाजार में मौजूद पीटीसी की रेटिंग क्रिसिल या फिच जैसी रेटिंग एजेंसियों द्वारा की जाती है। रेटिंग से निवेशकों को पीटीसी की अंडरलाइंग सिक्यूरिटी की गुणवत्ता के बारे में जानकारी मिलती है।

क्या होता है डोंगल, कुकीज और वैप

डोंगल (Dongle)

दरअसल डोंगल एक छोटी यूएसबी ड्राइव होती है जिसे कंप्यूटर से कनेक्ट करके कोई सॉफ्टवेयर सुरक्षित ढंग से रन करवाया जा सकता है। जहां सिक्यूरिटी की जरूरत सर्वाधिक होती है वहीं इसे यूज किया जाता है। डोंगल का

इस्तेमाल इसलिए किया जाता है ताकि गैरकानूनी ढंग से सॉफ्टवेयर चोरी न हो। लेटेस्ट टेक्नॉलॉजी बेस्ड डॉंगल फ्लैश ड्राइव की तरह आसानी से कैरी किए जा सकते हैं। डॉंगल को पहली बार 1980 में वर्डक्राफ्ट प्रोग्राम पर यूज किया गया था।

कुकीज (Cookies)

कुकीज दरअसल एक प्रकार से टेक्स्ट या मैटर के छोटे-छोटे हिस्से होते हैं जो वेब ब्राउजर में इकट्ठा होते जाते हैं। जैसे-जैसे आप वेबसाइट के पेज सर्फ करते हैं, ये बननी यानी स्टोर होनी शुरू हो जाती हैं।

सीधे तौर पर कहें तो कुकीज एक प्रकार का संदेश हैं जो वेब ब्राउजर से वेब सर्वर को भेजे जाते हैं। ब्राउजर मेसेज को एक टेक्स्ट फाइल में स्टोर करता जाता है। यह मेसेज वापस सर्वर को हर बार तब भेजा जाता है जब सर्वर की ओर से पेज रिक्वेस्ट होती है। कुकीज वेब सर्वर्स द्वारा डेटा की पहचान करने में यूज किए जाते हैं। हालांकि अब ज्यादातर ब्राउजर यूजर्स को यह ऑप्शन देते हैं कि वह कुकीज को स्टोर करे या नहीं।

वैप यानी डब्ल्यूएपी (WAP)

WAP यानी वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकाल। वैप के जरिए आप मोबाइल फोन, पेजर, टू वे रेडियो, स्मार्टफोन और कम्युनिकेटर्स पर इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं। ज्यादातर वायरलेस नेटवर्क को वैप सपोर्ट करता है जैसे CDPD, CDMA, GSM, PDC, PHS, TDMA, FLEX, ReFLEX, iDEN, TETRA, DECT, DataTAC, और Mobite ।

वैप ब्राउजर किसी कंप्यूटर जैसी ही बुनियादी सुविधाएं देता है लेकिन इसकी अपनी कुछ लिमिटेशन होती हैं जैसे कि मोबाइल फोन इंस्ट्रूमेंट की स्क्रीन का छोटा होना। साथ ही, वैप HTML Deewj XMLको सपोर्ट करता है पर WML (Wireless Markup Language) को सपोर्ट नहीं करता। Wireless Markup Language छोटी स्क्रीन को ध्यान में रखते हुए डेवलप की गई है जिसे बिना की-बोर्ड के भी हाथ से ऑपरेट किया जा सकता है।

योजना आयोग चाहता है भारत में सावरेन वेल्थ फंड की स्थापना

राष्ट्रिक संपत्ति कोष (सावरेन वेल्थ फंड) सरकार की तरफ से गठित एक ऐसा कोष होता है जिसमें सरकारी संसाधनों से

धन जुटाकर उसे मुख्यतः विदेशी परिसंपत्तियों में निवेश किया जाता है। योजना आयोग चाहता है कि भारत सरकार विदेशों में ऊर्जा और खनन परिसंपत्तियों में निवेश के उद्देश्य से 10 अरब डॉलर की शुरुआती राशि से एक राष्ट्रिक संपत्ति कोष (सावरेन वेल्थ फंड) का गठन करे।

कई देशों में पहले से ही इस तरह के फंड मौजूद हैं तथा इनका निधियन विदेशी मुद्रा आस्तियों से किया जाता है। 1953 में स्थापित 'कुवैत इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी' इस प्रकार का पहला फंड था।

गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए कड़े नियमों को लागू करने की सिफारिश

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के लिए गठित कार्यदल ने इन कंपनियों के लिए कड़े नियमों को लागू करने की सिफारिश की है। इनका मकसद एनबीएफसी के लिए विनियमन तथा निगरानी ढांचे को मजबूत करना है। बैंक की पूर्व उप गवर्नर उषा थोरात की अध्यक्षता में गठित कार्यदल की सिफारिशें 29 अगस्त 2011 को जारी की गयीं हैं और इन सिफारिशों पर हितधारकों और आम जनता से 30 सितंबर 2011 तक टिप्पणियां मांगी गई हैं, जिसके बाद इसे क्रियान्वित किया जाना है। कार्यदल द्वारा प्रस्तुत प्रमुख सिफारिशें इस प्रकार हैं :

- जमाराशियां स्वीकार न करने वाली ऐसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को जिनकी परिसम्पत्तियों का आकार 50 करोड़ रुपये से कम है, पंजीकरण कराने की अनिवार्यता से छूट प्रदान की जाए,
- जमाराशियां स्वीकार न करने वाली उन गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को पंजीकरण रद्द कराने को कहा जाए जिनकी परिसम्पत्तियों का आकार 50 करोड़ रुपये से कम है। जो कंपनियां अपना पंजीकरण रद्द नहीं कराती हैं और यदि उनकी परिसम्पत्तियां बढ़कर 50 करोड़ रुपये से अधिक हो जाती हैं, तो उनको दो वर्ष बाद (रिज़र्व बैंक द्वारा इस संबंध में अधिसूचना जारी किए जाने की तारीख से) नया पंजीकरण प्रमाणपत्र लेने हेतु कहा जाएगा,
- रिज़र्व बैंक के पास पंजीकरण कराने की इच्छुक सभी नई गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए अपेक्षित न्यूनतम निवल स्वाधिकृत निधि (एनओएफ) की वर्तमान अपेक्षा - दो करोड़ रुपये - को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम में संशोधन होने तक यथावत रखा जाए। तथापि, नई गैर-

बैंकिंग वित्तीय कंपनी के पंजीकरण के लिए रिज़र्व बैंक को न्यूनतम 50 करोड़ रुपये के परिसम्पत्ति-आकार पर जोर देना चाहिए,

- शेयर ब्रोकरों व मर्चेन्ट बैंकरों को कर्ज देने में एनबीएफसी के लिए भी बैंकों जैसे नियम लागू हों,
- बैंकों पर लागू होने वाले एकाउंटिंग नियम को गैर बैंकिंग कंपनियों के लिए भी लागू किया जाए,
- एक हजार करोड़ रुपये से ज्यादा परिसम्पत्ति वाली सभी एनबीएफसी से, बशर्ते वे सूचीबद्ध हैं या नहीं, अधिदेशात्मक प्रकटनों सहित सेबी के लिस्टिंग करार के खंड 49 के अनुपालन की अपेक्षा की गई है,
- पंजीकरण के तीन वर्ष के भीतर पूंजी पर्याप्तता की दृष्टि से उनकी टियर-I पूंजी 12 प्रतिशत होना अनिवार्य,
- एनबीएफसी को कर्ज वसूली के नए कानून 'वित्तीय आस्तियों का पुनर्गठन व प्रतिभूतिकरण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (सरफेसी कानून)' का लाभ,
- 25 प्रतिशत से अधिक की प्रत्यक्ष या परोक्ष हिस्सेदारी हस्तांतरण, नियंत्रण में बदलाव और रजिस्टर्ड एनबीएफसी के विलय या अधिग्रहण के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक की अनुमति अनिवार्य,
- बैंकों की तरह ही एनबीएफसी के लिए आस्ति वर्गीकरण (एसेट क्लासिफिकेशन) मानदंड बनाए जाएं,
- गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं का सालाना आधार पर दबाव झेलने की क्षमता का परीक्षण (स्ट्रेस टेस्ट) हो, जिससे यह पता चल सके कि उनकी स्थिति क्या है।

निजी बैंक स्थापित करने के लिए दिशानिर्देशों का प्रारूप जारी

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा भारत में नए निजी बैंकों की स्थापना हेतु दिशानिर्देशों का प्रारूप 29 अगस्त 2011 को जारी किया गया। देश के वित्त मंत्री द्वारा इस साल के बजट में निजी क्षेत्र के नए बैंकों को लाइसेंस दिए जाने की घोषणा की गई थी। इन दिशानिर्देशों के अनुसार निजी क्षेत्र में नए बैंक की स्थापना हेतु कंपनियों के लिए कम से कम 500 करोड़ रुपये का निवेश अनिवार्य किया गया है। साथ ही इन बैंकों में पहले पांच वर्ष तक विदेशी हिस्सेदारी की अधिकतम सीमा 49 प्रतिशत तय की गई है।

इन दिशानिर्देशों के मुताबिक, निजी क्षेत्र के नए बैंक केवल पूर्ण स्वामित्व वाली गैर संचालित होल्डिंग कंपनी (एनओएचसी)

के जरिये ही स्थापित किए जा सकते हैं। साथ ही इन होल्डिंग कंपनियों को बैंक में न्यूनतम 40 प्रतिशत इक्विटी हिस्सेदारी रखना अनिवार्य है और इसे बैंक की स्थापना से अगले पांच वर्ष तक बेचा नहीं जा सकता है। चालीस प्रतिशत से अधिक इक्विटी हिस्सेदारी होने पर होल्डिंग कंपनी को बैंक लाइसेंस मिलने की तारीख से दो साल के भीतर उसे घटाकर न्यूनतम सीमा तक लाना होगा।

नए दिशानिर्देशों के मुताबिक, यदि बैंक लाइसेंस मिलने की तारीख से पहले पांच साल में अतिरिक्त इक्विटी जुटाते हैं तो होल्डिंग कंपनी अगले पांच साल तक बढ़ी हुई पूंजी की 40 प्रतिशत होल्डिंग अपने पास रख सकती है। उसके बाद होल्डिंग कंपनी को इक्विटी हिस्सेदारी को घटाकर दस साल में 20 प्रतिशत तक और बारह साल में 15 फीसदी तक सीमित करना होगा। इसके अलावा होल्डिंग कंपनियों को नए बैंकों को दो साल के भीतर शेयर बाजार में सूचीबद्ध भी कराना होगा। साथ ही इन कंपनियों में कम से कम आधे स्वतंत्र निदेशक होंगे।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने नए दिशानिर्देशों में स्पष्ट किया है कि निवासी भारतीयों द्वारा नियंत्रित अथवा प्रवर्तित निजी क्षेत्र में कार्यरत कंपनियों और कंपनी समूह को नए बैंक स्थापित करने की अनुमति देने पर विचार किया जाएगा। हालांकि इसके लिए अच्छी साख और ईमानदारी से काम करने का कम से कम 10 वर्ष का रिकॉर्ड अनिवार्य है।

नए दिशानिर्देशों के अनुसार उन कंपनियों / समूहों को नए बैंकिंग लाइसेंस के लिए पात्र नहीं माना गया है जिनकी आय अथवा परिसम्पत्तियों या दोनों का महत्वपूर्ण भाग (10 प्रतिशत या इससे अधिक) पिछले तीन वर्षों के दौरान रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन और ब्रोकिंग जैसे कारोबार/रों से आया है।

भारतीय अर्थव्यवस्था के समग्र विकास को ध्यान में रखते हुए इन दिशानिर्देशों में यह भी स्पष्ट किया गया कि नए बैंकों को कम से कम 25 प्रतिशत शाखाएं बैंकिंग सुविधाओं की दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में खोलनी होंगी।

चूंकि यह सिर्फ प्रारूप है, इस कारण रिज़र्व बैंक ने बैंकों, गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थानों, उद्योग समूहों, अन्य संस्थानों और आम जनता से 31 अक्टूबर 2011 तक इस पर प्रतिक्रिया मांगी है। अंतिम दिशानिर्देश प्रतिक्रिया, टिप्पणियां और सुझाव मिलने के बाद जारी किए जाने हैं।



पुस्तक का नाम : ऋण स्वीकृति - चेकलिस्ट, ऋण
मॉनीटरिंग एवं वसूली करने बाबत
मार्गदर्शिका

लेखक का नाम : श्री लीलाधर कुन्तेवार

प्रकाशक : साई लीला प्रकाशन, भोपाल

पृष्ठ संख्या : 210

मूल्य : रुपये 500/-

नए जमाने की बैंकिंग से अपेक्षित है कि वह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्य सर्वश्रेष्ठ प्रथाओं को अपनाए। हमारे देश के बैंक भी बासेल-II और बासेल-III के परिवेश में अपने को नए सिरे से ढाल रहे हैं। प्रकारांतर से यह कहा जा सकता है कि बैंकों को हर प्रकार के जोखिम से बचाने के लिए विनियमन और पर्यवेक्षण की नई-नई अपेक्षाएं सामने आ रही हैं। तीन साल पहले की विश्वव्यापी आर्थिक मंदी के बाद की चर्चा में भी बार-बार यह मांग उठती रही कि विश्व स्तर पर बैंकिंग में मौजूदा नियंत्रणों की व्यवस्था को पुनःपरिभाषित किया जाए।

ऐसे में ऋण स्वीकृति - चेकलिस्ट, ऋण मॉनीटरिंग एवं वसूली करने बाबत मार्गदर्शिका का प्रकाशन सही समय पर किया गया एक सार्थक प्रयास है। इसके लेखक श्री लीलाधर कुन्तेवार का प्रोफाइल बताता है कि वे एक सिद्ध एवं अनुभवी बैंकर हैं। उन्हें भारतीय रिज़र्व बैंक तथा नाबार्ड में काम करने का भी अनुभव है।

प्रस्तावना में ही स्पष्ट कर दिया गया है कि एनपीए ऋण की वसूली एवं एनपीए प्रबंधन बैंकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। बैंकों में अनर्जक आस्तियों में निरंतर वृद्धि होने से बैंक की लाभप्रदता प्रभावित होती है। शहरी सहकारी बैंकों की वर्तमान आवश्यकता के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत संस्करण में विषय सामग्री को चार अध्यायों में विभाजित किया गया है।

पहले अध्याय ऋण स्वीकृति बाबत चेकलिस्ट के अंतर्गत ऋण के लिए आवेदन प्राप्त होने के पहले चरण से लेकर स्वीकृति के अंतिम चरण के बीच की केवाईसी का पालन, उधारकर्ता की ऋण अदायगी क्षमता का सही आकलन करना, कोलैटरल यानी प्रतिभूतियों की आवश्यक

विशेषताएं सुनिश्चित करना, बंधक के रूप में रखी जाने वाली अचल संपत्तियों का स्थलीय निरीक्षण, राष्ट्रीय बचत पत्र/किसान विकास पत्र/जीवन बीमा पॉलिसियों/स्वर्णाभूषण गिरवी रखकर ऋण एवं अग्रिम स्वीकृत करते समय अपेक्षित दिशानिर्देशों का पालन, वैयक्तिक ऋण, आवास ऋण, शैक्षणिक ऋण, वाहन ऋण, बैंक के निदेशकों और उनके रिश्तेदारों को ऋण जैसे मामलों से संबंधित सभी मानदंडों और प्रक्रियाओं की विस्तार से व्याख्या की गई है। इस पूरे क्रम में नीति-नियमों का सोदाहरण हवाला दिया गया है। भारतीय रिज़र्व बैंक के संबंधित परिपत्रों का यथास्थान उल्लेख किया गया है। साथ ही, बैंकों के संचालक मंडल द्वारा अनुमोदित ऋण-नीति के कड़ाई से अनुपालन की आवश्यकता को रेखांकित भी किया गया है।

इसी प्रकार दूसरे अध्याय में लेखक ने ऋण एवं अग्रिम खातों पर मॉनीटरिंग करने एवं अनुवर्ती कार्रवाई की तकनीक के अंतर्गत ऋण वितरण से पूर्व ऋण एवं अग्रिम स्वीकृति की मुख्य-मुख्य शर्तें क्या हैं, सक्षम प्राधिकारी द्वारा बैंक की शाखा स्तर पर इन शर्तों की बिन्दुवार स्कूटनी, विभिन्न दस्तावेजों के सत्यापन आदि को बेहद जरूरी बताया है। विभिन्न ऋण एवं अग्रिम योजनाओं के लिए ऋण भुगतान से पूर्व कौन-कौन से विलेख प्रस्तुत करना जरूरी है, इसकी एक विस्तृत एवं लंबी सूची दी गई है। साथ ही, यह भी समझाया गया है कि विलेखीकरण करते समय कौन-कौन सी सावधानियां अपेक्षित हैं। ऋण के लिए प्रतिभूति के रूप में बंधक रखी जाने वाली मदों, प्रतिभूतियों के बीमाकरण आदि का भी सविस्तार वर्णन इस पुस्तक में किया गया है। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 'अपने ग्राहक को जानिए' संबंधी जारी दिशानिर्देशों का यथास्थान उल्लेख किया गया है और उनके अनुपालन की अनिवार्यता को रेखांकित किया गया है।

इस संदर्भ में इरादतन चूककर्ताओं पर निगरानी रखने और दंडात्मक उपायों का बिंदुवार उल्लेख किया गया है।

पुस्तक का तीसरा अध्याय कालातीत/एनपीए ऋण एवं अग्रिम की मॉनीटरिंग, वसूली करने बाबत दिशानिर्देश एवं कानूनी कार्रवाई करना इस मायने में बहुत महत्व रखता है कि समय पर ऋण की वसूली किसी बैंक की आर्थिक मजबूती का आधार है। इस अध्याय में लेखक ने ऋण एवं अग्रिम खातों पर निगरानी रखने और वसूली संबंधी भारतीय रिज़र्व बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशों के कड़ाई से अनुपालन पर जोर देते हुए यह बताया है कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण, प्रावधानीकरण एवं अन्य संबंधित मामलों पर जारी परिपत्र एवं प्रतिवर्ष जारी मास्टर परिपत्र में दिए गए मानदंडों के अनुसार आय निर्धारण की नीति, वसूली रिकार्ड पर आधारित होनी आवश्यक है एवं बैंक की आस्तियों का वर्गीकरण वास्तविक मानदंडों के आधार पर किया जाना चाहिए तथा अनर्जक आस्तियों के लिए उनके वर्गीकरण के अनुसार त्रैमासिक आधार पर प्रावधान किया जाना चाहिए। अग्रिमों की पुनर्रचना मानक, अवमानक, संदिग्ध एवं हानि आस्तियों के रूप में करने और भारतीय रिज़र्व बैंक के मानदंडों के अनुसार उनके प्रावधानीकरण की चर्चा की गई है। इसी प्रकार गिरवी प्रतिभूति को ऋण खाते में समायोजित करने, ग्रहणाधिकार यानी लियेन के अधिकारों का प्रयोग करने, वाद दायर करने, डिक्री प्राप्त ऋण खातों में निष्पादन कार्रवाई करने या वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम (SARFAESI Act), 2002 के तहत ऋण वसूली हेतु कानूनी कार्रवाई करने, ऋण को बट्टे खाते डालने के बारे में सविस्तार बताया गया है। उधारकर्ता या जमानतदार की मृत्यु की स्थिति में ऋण खातों के संबंध में की जाने वाली अपेक्षित प्रक्रियाओं का भी संक्षेप में उल्लेख किया गया है।

चौथे और अंतिम अध्याय ऋण एवं अग्रिम में पाई गई अनियमितताओं के लिए बैंक अधिकारी का उत्तरदायित्व निर्धारित करना का मूल स्वर यह है कि बैंक निधियों के दुरुपयोग को रोकने की प्राथमिक जिम्मेदारी बैंक के प्रबंधतंत्र की है। अतः लेखक ने बैंक के आंतरिक प्रबंधन को चुस्त-दुरुस्त बनाए रखने की आवश्यकता पर बल दिया है। इस संदर्भ में उन्होंने निधियों के दुरुपयोग, विशाखन यानी निधियों

के प्रयोजन से इतर प्रयोग एवं तमाम अनुषंगी कदाचारों पर प्रकाश डाला है। इस अध्याय में यह माना गया है कि यदि ऋण एवं अग्रिमों में किसी भी प्रकार की गंभीर अनियमितताएं पाई गई हैं तो इसका मतलब है कि इन अधिकारियों ने अपनी जिम्मेदारी निभाने में कोताही की है। इस सिलसिले में लेखक ने कई ऐसी सावधानियों का जिक्र किया है जिन पर ध्यान न देने के कारण बैंक की निधियों यानी ऋण एवं अग्रिमों की हानि होती है। इसकी एक लंबी फेहरिश्त दी गई है जैसे, “अपने ग्राहक को जानिए” संबंधी दिशानिर्देशों की अनदेखी, ऋण आवेदन पत्र के साथ संलग्न वेतनपर्ची या वेतन प्रमाणपत्र फर्जी पाया जाना, आयकर विवरणी की जांच न करना, उधारकर्ता एवं जमानतदार के ऋण अदायगी ट्रैक रिकार्ड की अनदेखी, ऋण-पात्रता विवरण (credit worthiness statement) प्राप्त न करना, उधारकर्ता द्वारा प्रस्तुत परियोजना की व्यवहार्यता के पर्याप्त मूल्यांकन के प्रति लापरवाही, संपार्श्विक प्रतिभूति का सत्यापन उसकी विक्रययोग्यता, पहुंचयोग्यता, मूल्य-स्थिरता तथा हस्तांतरणीयता के आधार पर न किया जाना।

लेखक ने अपनी इस कृति में बड़े करीने से विषय से संबंधित सभी पहलुओं की विशद विवेचना की है। चूंकि इस विषय की अपनी सीमाएं हैं और उसे अकादमिक ढंग से फैलाना संभव नहीं था इसलिए बैंकिंग की सैद्धांतिकी में रुचि रखने वाले पाठकों को यह पुस्तक प्रिय नहीं लगेगी। यह ऋणों के विशेष संदर्भ में व्यावहारिक बैंकिंग की नीतियों और मानदंडों का एक पुनर्विश्लेषण है। लेखक ने इसे शुरू में ही स्पष्ट कर दिया है। अपने इस प्रयास को उन्होंने खुद मार्गदर्शिका नाम दिया है और उम्मीद की है कि यह मार्गदर्शिका शहरी एवं अन्य सभी सहकारी बैंकों का निरीक्षण करने वाले निरीक्षकों के साथ-साथ सहकारी बैंकों से जुड़े शाखा प्रबंधकों, ऋण कक्ष अधिकारियों, ऋण स्वीकृतिदाता अधिकारियों एवं वसूली अधिकारियों के लिए एक सुलभ संदर्भ के रूप में अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगी। इस मार्गदर्शिका के दूसरे संस्करण के प्रकाशन के दौरान उसकी ज़िल्द को थोड़ा सख्त कागज से बनवाया जाए ताकि वह मुड़कर गोलाकार न हो।

● सुशील कृष्ण गोरे

प्रबंधक
भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई

लेखकों से

इस पत्रिका का उद्देश्य बैंकिंग और उससे संबंधित विषयों पर हिन्दी में मौलिक सामग्री उपलब्ध कराना है। बैंकिंग विषयों पर हिन्दी में मूल रूप से लिखने वाले सभी लेखकों से सहयोग मिले बिना इस उद्देश्य की पूर्ति कैसे होगी? हमें इसमें आपका सक्रिय सहयोग चाहिए। बैंकिंग विषयों पर हिन्दी में मूल रूप से लिखे स्तरीय लेखों की हमें प्रतीक्षा रहती है। साथ ही, अर्थशास्त्र, वित्त, मुद्रा बाज़ार, पूंजी बाज़ार, वाणिज्य, विधि, मानव संसाधन विकास, कार्यपालक स्वास्थ्य, मनोविज्ञान, परा बैंकिंग, कम्प्यूटर, सूचना प्रौद्योगिकी आदि क्षेत्रों से जुड़े विशेषज्ञ इन विषयों पर व्यावहारिक या शोधपूर्ण मौलिक लेख भी हमें प्रकाशनार्थ भेज सकते हैं। प्रकाशित लेखों और पुस्तक समीक्षाओं पर मानदेय देने की व्यवस्था है। कृपया प्रकाशनार्थ सामग्री भेजते समय यह देख लें कि :

- सामग्री बैंकिंग और उससे संबंधित विषयों पर ही है।
- उसमें दी गयी जानकारी उपयोगी और अद्यतन है एवं अधिकतम 8 टंकित पृष्ठों में है।
- लेख यदि संभव हो तो सी.डी. में आकृति/एपीएस/यूनिकोड फॉन्ट में भेजने की व्यवस्था की जाए।
- वह कागज़ के एक ओर स्पष्ट अक्षरों में लिखित अथवा टंकित है।
- यथासंभव सरल और प्रचलित हिंदी शब्दावली का प्रयोग किया गया है और अप्रचलित एवं तकनीकी शब्दों के अर्थ कोष्ठक में अंग्रेजी में दिये गये हैं।
- यह प्रमाणित करें कि लेख मौलिक है, प्रकाशन के लिए अन्यत्र नहीं भेजा गया है और 'बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन' में प्रकाशनार्थ प्रेषित है।
- लेख में शामिल आंकड़ों, तथ्यों आदि के संबंध में स्रोत का स्पष्ट उल्लेख करें।
- प्रकाशन के संबंध में यह सुनिश्चित करें कि जब तक लेख संबंधी अस्वीकृति की सूचना प्राप्त नहीं होती, संबंधित लेख किसी अन्य पत्र-पत्रिका में प्रकाशनार्थ न भेजा जाए।

प्रकाशकों से

जो प्रकाशक अपनी पुस्तक की समीक्षा करवाना चाहते हैं वे कृपया अपनी पुस्तकों की दो प्रतियां भिजवाने की व्यवस्था करें।

पाठकों से

इस पत्रिका को आप निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको लिखित रूप में 'कार्यकारी संपादक, बैंकिंग चिंतन अनुचिंतन' से अनुरोध करना होगा। आपका पत्र मिलते ही आपका नाम डाक सूची में शामिल कर लिया जाएगा और तदनंतर आपको पत्रिका निरंतर मिलती रहेगी। आपसे अनुरोध है कि अपने सहयोगियों को भी यह जानकारी प्रदान करें तथा अपनी मांग से हमें तत्काल अवगत कराएं ताकि हम तदनुसार प्रतियों का मुद्रण कर सकें। पुराने पाठक कृपया पत्राचार करते समय अपनी सदस्यता संख्या का उल्लेख अवश्य करें।

- पाठकों की प्रतिक्रियाओं का हमें सदैव इंतजार रहता है।

बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन सदस्यता नवीकरण फॉर्म

प्रबंध संपादक
बैंकिंग चिंतन अनुचिंतन
भारतीय रिज़र्व बैंक
राजभाषा विभाग
केंद्रीय कार्यालय, गारमेट हाउस
वरली, मुंबई 400 018

महोदय,

मैं दो वर्ष के लिए 'बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन' की सदस्यता का नवीकरण कराना/ग्राहक बनना चाहता हूँ। आपसे अनुरोध है कि निम्नांकित ब्योरे के अनुसार मुझे नियमित रूप से पत्रिका भेजें।

सदस्यता क्रमांक _____

नाम (स्पष्ट अक्षरों में) : श्री/श्रीमती/कुमारी _____

पता (स्पष्ट अक्षरों में) _____

केंद्र _____ पिनकोड _____

टेलीफोन नं. (कार्यालय) _____ (निवास) _____

फैक्स नं. _____ एसटीडी कोड _____

ई-मेल पता _____

दिनांक : _____ 2011

(हस्ताक्षर)

कृपया नोट करें : सदस्यता नवीकरण फॉर्म प्राप्त न होने पर आपका नाम सदस्यता सूची से हटा दिया जाएगा।

बैंकिंग शब्दावली

वित्तीय क्षेत्र में हिंदी के प्रचार-प्रसार तथा शब्दावली में एकरूपता सुनिश्चित किए जाने के क्रम में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रकाशित बैंकिंग शब्दावली एक ऐसा शब्दकोश है जिसमें बैंकिंग एवं वित्तीय क्षेत्र से जुड़े महत्वपूर्ण अंग्रेजी शब्दों की अवधारणा को ध्यान में रखते हुए उनके लिए उपयुक्त हिंदी शब्दों का चयन किया गया है। 268 पृष्ठ वाले इस कोश का मूल्य 75.00 रुपए (डाक व्यय अतिरिक्त) है। इसे प्राप्त करने हेतु निम्न पते पर संपर्क किया जा सकता है:




निदेशक, रिपोर्ट समीक्षा और प्रकाशन (बिक्री अनुभाग)

आर्थिक एवं नीति अनुसंधान विभाग
भारतीय रिज़र्व बैंक
अमर भवन, फोर्ट, मुंबई - 400 001

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रकाशित
नवीनतम हिन्दी पुस्तक

**‘सहकारी बैंकिंग-संगठन और
स्वरूप’**



मूल्य : 250/- रुपये

पुस्तक मिलने का पता

मै. आधार प्रकाशन प्रा. लि.
एस.सी.एफ. 267, सेक्टर 16
पंचकुला (हरियाणा)

इस अंक के प्रकाशन में राजभाषा विभाग, केन्द्रीय कार्यालय, भारतीय रिज़र्व बैंक के सहायक प्रबंधक (राजभाषा) श्री आशीष पूजन एवं श्री उमेश कुमार का सहयोग प्राप्त हुआ।

वित्तीय समावेशन : भारतीय परिप्रेक्ष्य में

